भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

की

रिपोर्ट

1973-74

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

की

रिपोर्ट

1973-74

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
		(iii)
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
पहला अध्याय—सांविधिक निगम—		
अनुभाग—I		
प्रस्तावना	1	1
उत्तर प्रदेश वित्त निगम	2	1–2
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	3	2–3
अनुभाग—II		
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	4–21	4–88
दूसरा अध्याय—सरकारी कम्पनियां		
अनुभाग—III		
प्रस्तावना	22–25	89–90
अनुभाग—IV		
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	26–33	91–106
अनुभाग—V		
उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड	34	106–107
उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	35	107–109
इंडियन टर्पेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	36	109
टर्पेन्टाइन सबसिडियरी लिमिटेड	37	109–110
पैग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	38	110–111

परिशिष्ट

		पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट I	—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के 1973–74 के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	114–115
परिशिष्ट II	—राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के पश्चात पूरे किये गए और चालू किये गए जनरेशन स्टेशनों का विवरण	116–117
परिशिष्ट III	—31 अगस्त 1974 को मण्डलों द्वारा धारण किये गये वास्तविक भण्डार का विवरण	118–119
परिशिष्ट IV	—वर्ष 1971–72 से 1973–74 के दौरान उपभोक्ता के अनुसार जोड़े गये भार का ब्यौरा, ऊर्जा की बिक्री और राजस्व प्राप्ति का विवरण	120–123
परिशिष्ट V	—सरकारी कंपनियों के 1973–74 के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	124–127
परिशिष्ट VI	—अक्टूबर 1974 तक भूमि अभिग्रहण क्षेत्रों का विकास, प्लाटों का नियतन और औद्योगिक यूनिटों के उत्पन्न होने की स्थिति का विवरण	128–131

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनके लेखे की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:—

(i) सांविधिक निगम,
(ii) सरकारी कम्पनियां और
(iii) वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रम, जिनका प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है।

2. इस रिपोर्ट में सांविधिक निगमों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को शामिल करते हुए, तथा सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा के परिणामों पर विचार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सिविल) में वाणिज्यिक और अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों, जिनका प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है, की लेखा परीक्षा के परिणाम दिये गये हैं।

3. इस रिपोर्ट में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो वर्ष 1973–74 के दौरान देखने में आये और साथ ही साथ वे मामले भी शामिल हैं जो पिछले वर्षों में देखने में तो आये, परन्तु पिछली रिपोर्टों में सम्मिलित नहीं किये जा सके। जहां आवश्यक समझा गया है वहां 1973–74 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (पहली जून 1972 को स्थापित) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (पहली अप्रैल 1959 को स्थापित) जो कि सांविधिक निगम हैं, के विषय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूर्ण रूप से लेखापरीक्षक हैं, जब कि अन्य दो सांविधिक निगमों अर्थात् उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम के संबंध में उनको, संबंधित अधिनियमों द्वारा नियुक्त व्यावसायिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा से अलग, स्वतंत्र रूप से इन संस्थाओं के संबद्ध अधिनियमों की शर्तों के अनुसार लेखा परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

5. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, परन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पूरक या नमूना लेखा परीक्षा का अधिकार प्राप्त है। उनको यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर टिप्पणी करें या उसे पूरक कर दें। कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को और भी अधिकार देता है कि लेखा परीक्षकों को उनके कार्य सम्पादन के बारे में निदेश देवें। इस प्रकार के निदेश नवम्बर 1962 में लेखा परीक्षकों को सरकारी कम्पनियों के कार्यचालन के कुछ विशिष्ट पहलुओं के देखने के लिये दिये गये थे। ये आदेश दिसम्बर 1965 में और दुबारा फरवरी 1969 में संशोधित किये गये थे।

6. इस रिपोर्ट में जिन मुद्दों की ओर संकेत किया गया है वे उपरोक्त उपक्रमों के लेखे की जांच लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये हैं। उनका आशय यह नहीं है और न ही उनका यह अर्थ लगाया जाय कि उनके द्वारा संबंधित उपक्रमों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त किया गया है।

पहला अध्याय

सांविधिक निगम

अनुभाग—I

1. प्रस्तावना

31 मार्च 1974 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम।

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

राज्य विद्युत् परिषद् के कार्य चालन की समीक्षा अनुभाग–II में दी गई है।

परिषद् के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का एक साररूप विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है।

(ii) अन्य सांविधिक निगम

भांडागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (10) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम के वार्षिक लेखे उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर को निगम की साधारण बैठक में प्रस्तुत किये जाने चाहिये। निम्नलिखित सारणी यह दिखाती है कि वर्ष 1969–70 से 1972–73 के लेखे देय तिथियों के बाद वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किये गये थे; वर्ष 1973–74 के लेखे तैयार नहीं किये गये हैं (मार्च 1975)

लेखे का वर्ष	बोर्ड-संचालकों द्वारा कब माना गया	प्रत्येक वर्ष की साधारण बैठक में कब प्रस्तुत किया गया
1969–70	मार्च 1971	मई 1971
1970–71	जून 1972	जुलाई 1972
1971–72	जनवरी 1973	मई 1973
1972–73	मार्च 1974	जून 1974

2. उत्तर प्रदेश वित्त निगम

31 मार्च 1974 को निगम की प्रदत्त पूंजी (पेड–अप–कैपीटल) 2,25 लाख रुपये थी; पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रदत्त पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

केन्द्रीय और राज्य सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये निवेश के अनुसार 1973–74 के अन्त तक निगम की प्रदत्त पूंजी का ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

केन्द्रीय सरकार	राज्यसरकार	निजी पार्टियां	जोड़
	(लाख रुपयों में)		
15.00	1,80.36	29.64	2,25.00

राज्य सरकार ने मूल धन की वापसी और प्रदत्त शेयर पूंजी कम से कम 3½ प्रतिशत की दर से वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु प्रत्याभूति दिया है।

ऋण

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत निगम ने कुल 8,40.20 लाख रुपये के ग्यारह श्रेणियों के ऋण पत्र (1973–74 के दौरान जारी किये गये 1,92.50 लाख रुपये के दो श्रेणियों को शामिल करके) जारी किये। अनिष्क्रेय ऋण पत्रों का शेष 1972–73 में 5,39.88 लाख रुपये के मुकाबले में 31 मार्च 1974 को 7,32.38 लाख रुपये था।

निगम ने राज्य सरकार और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से भी कर्जे लिये, 31 मार्च 1974 को इन स्रोतों से लिये गये कर्जे के 7,14.44 लाख रुपये बकाया थे, जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
(i) राज्य सरकार	89.44
(ii) इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया	6,25.00
जोड़	7,14.44

लाभ

वार्षिक लेखे के अनुसार निगम ने पिछले वर्ष के 42.24 लाख रुपये की तुलना में 1973–74 में 52.24 लाख रुपये का लाभ कमाया।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(क) राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पहली जून 1972 को की गई थी। निगम को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उचित लेखे एवं अन्य अभिलेखों को रखना और लाभ हानि खाते तथा बैलेन्स शीट को शामिल करते हुए वार्षिक लेखे का विवरण, राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित रूप में तैयार करना होता है। न तो वह रूप, जिसमें ये लेखे रखे जाने हैं और वार्षिक लेखे का विवरण तैयार करना है, निर्दिष्ट ढंग से निर्धारित किये गये हैं और न ही वर्ष 1972–73 और 1973–74 के वार्षिक लेखे अभी तक (अप्रैल 1975) तैयार किये गये हैं।

(ख) **मोबिल आयल की कमी**—31 अगस्त 1969 से 24 जून 1970 की अवधि में क्षेत्रीय कर्मशाला, लखनऊ ने 2.04 लाख लिटर मोबिल आयल के स्टाक में से 1.32 लाख लिटर दिये। 24 जून 1972 को शेष स्टाक 72,192 लिटर होना चाहिये था। सहायक रीजनल मैनेजर द्वारा उसी दिन (24 जून 1970) प्रत्यक्ष जांच की गई, किसी प्रकार वास्तविक स्टाक 10,619 लिटर निकला। इस प्रकार 1.45 लाख रुपये कीमत के 61,573 लिटर मोबिल आयल (2.35 रुपये प्रति लिटर क्रय कीमत के हिसाब से निकाली गई) लेखे में नहीं दर्ज था। रीजनल मैनेजर ने, जिनको प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट दी गई थी, इस कमी के लिये किसी का दायित्व निश्चित नहीं किया।

सरकार को इस मामले की सूचना अगस्त 1971 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ग) **मार्ग–कर की वापसी**—यू0 पी0 मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निगम की गाड़ियों पर कर देने का दायित्व है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधान है कि कर अदा करने की तारीख से यदि किसी गाड़ी को कम से कम तीन माह तक लगातार इस्तेमाल नहीं किया

जाय तो उस गाड़ी के वार्षिक कर की दर का 1/12 भाग, प्रत्येक संपूर्ण मास के लिये, जितने माह तक गाड़ी इस्तेमाल नहीं की गई हो, और कर का भुगतान कर दिया गया हो, वापस लिया जा सकता है। यू0 पी0 मोटर गाड़ी कराधान नियमावली के अनुसार जिस गाड़ी का मार्गकर वापस लेना हो, उसके रजिस्ट्रेशन कागजात, जैसे ही गाड़ी सड़क पर इस्तेमाल में न लाई जाये, शुल्क अधिकारी को समर्पित कर देना चाहिये। मई 1972 से नवम्बर 1973 की अवधि में आगरा रीजन की 43 गाड़ियों और गोरखपुर रीजन की 18 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कागजात गाड़ियों को सड़क पर इस्तेमाल में न लाने के बाद दो माह से पन्द्रह माह की देरी से लाइसेंसिंग अधिकारियों को समर्पित किये गये थे। इसके फलस्वरूप निगम 0.42 लाख रुपये के मार्गकर की वापसी को प्राप्त न कर सका।

निगम को इस मामले की सूचना मार्च 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(घ) **चेसिस का क्रय**—टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को प्रति चेसिस (टी0 एम0 बी0 मेक) 200 रुपये की छूट देना नवम्बर 1967 में स्वीकार किया बशर्ते कि कीमत का 98 प्रतिशत भुगतान या तो माल की डिलीवरी के समय या उसके पूर्व तथा शेष भुगतान चेसिस के सम्बद्ध प्रेषती के परिसर में प्राप्त होने से 10 दिन के अन्दर अदा कर दिया जाये।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने जुलाई 1972 में 60,680 रुपये प्रति यूनिट की दर से 450 चेसिस (टी0 एम0 बी0 मेक) के पूर्ति आदेश फर्म के अधिकृत व्यापारी को दिये। आदेश की शर्तों के अनुसार, निगम को चेसिस प्राप्ति के समय व्यापारी को पूरा भुगतान इलाहाबाद में करना था। सितम्बर 1972 से मार्च 1973 की अवधि में कुल 450 चेसिस पूर्ति की गई थी। यद्यपि चेसिस की डिलीवरी लेते समय पूरा भुगतान कर दिया गया था, परन्तु निगम ने पूर्तिकर्ता द्वारा दी गई 200 रुपये प्रति चेसिस की छूट का लाभ नहीं उठाया। इसके फलस्वरूप 0.90 लाख रुपये (450 चेसिस पर 200 रुपये प्रति चेसिस की दर से) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार को मामले की सूचना जून 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ङ) **यात्री–कर की कम वसूली**—नवम्बर 1962 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कुमायूं और उत्तराखंड मण्डलों में एक मात्र सैनिकों के लिये चलाई गई किसी सवारी गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री, यात्री-कर के भुगतान से मुक्त थे। फिर भी, रोडवेज की सवारी गाड़ियों में रोड-बारेन्ट्स पर सैनिकों द्वारा यात्रा किये जाने पर उनसे यात्री-कर की वसूली नहीं की गई, यद्यपि वे गाड़ियां एक मात्र सैनिकों के लिये नहीं चलाई गई थी। इसके फलस्वरूप नवम्बर 1962 से सितम्बर 1974 की अवधि में 2.34 लाख रुपये यात्री-कर की वसूली नहीं हुई (अक्तूबर 1974 से वसूल न की गई यात्री-कर की रकम निश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि निगम द्वारा उस अवधि के भुगतान बिल मार्च 1975 तक भेजे नहीं गये थे)।

प्रबन्धक द्वारा यह बताया गया (मार्च 1975) कि एक मात्र सैनिकों के लिये नहीं चलाई गई गाड़ियों में रोड-बारेन्ट्स पर यात्रा करने वाले सैनिकों से परिवहन आयुक्त के आदेशों के अनुसार, जो राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय के लिये लंबित है, यात्री-कर वसूल नहीं किया जा रहा था।

(च) **किराये का न्यून प्रभार**—राज्य सरकार ने नवम्बर 1971 में सवारी गाड़ियों में यात्रियों को ले जाने के लिये किराये की दरें निर्धारित कीं। उसके अनुसार विशेष अवसरों पर चलने वाली सवारी गाड़ियों को 5.06 पैसे प्रति कि0 मी0 प्रति यात्री की दर से वसूली करनी थी। रोडवेज/निगम ने जनवरी 1972 और मई 1973 में बृजघाट (मेरठ क्षेत्र) के "पूर्णमासी मेला" अवसर पर विशेष गाड़ियां चलायी जिसके लिये किराया 3.80 पैसे प्रति कि0 मी0 प्रति यात्री की दर से वसूल किया गया था। इसके फलस्वरूप 0.18 लाख रुपये का न्यून प्रभार हुआ।

फरवरी 1975 में सरकार द्वारा यह बताया गया कि प्रत्येक माह "पूर्णमासी" के अवसर पर चलाई गई विशेष गाड़ियों को सामान्य लक्षण की तरह माना गया था और विशेष अवसर के लिये निर्धारित दरें लागू नहीं की गई थीं।

अनुभाग—II

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

4. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना, विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत अप्रैल 1959 को, एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गई थी। पहली अप्रैल 1959 को इसकी स्थापना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के विद्युत् विभाग तथा कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) के कार्य और उनकी परिसम्पत्तियां परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गईं। रिहन्द की पनकी बिजली परियोजना पहली अप्रैल 1965 को चालू हो जाने के पश्चात् परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गई।

परिषद् की स्थापना के समय राज्य में बत्तीस निजी लाइसेन्सधारी कार्य कर रहे थे। भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 6 परिषद् को, लाइसेन्सों की वर्तमान अवधि की समाप्ति पर, उन निजी लाइसेन्सधारियों के उपक्रमों को खरीदने का प्रथम विकल्प का अधिकार प्रदान करता है। मार्च 1974 के अन्त तक अठारह निजी लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्सों की अवधि समाप्त हुई और इन सभी मामलों में निजी लाइसेन्सधारियों के उपक्रम परिषद् द्वारा, विकल्प का प्रयोग करते हुए, खरीद लिये गये। बाकी के चौदह लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स फरवरी 1975 से नवम्बर 1985 के बीच समाप्त होने हैं। परिषद् ने नगरपालिका, कासगंज के उपक्रम को भी ले लिया है।

5. उद्देश्य

(1) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत परिषद्, विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों के संदर्भ में, ऊर्जा उत्पादन के समन्वित विकास को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा की दक्षता तथा मितव्ययिता पूर्ण ढंग से पूर्ति तथा वितरण करने के लिये उत्तरदायी है। परिषद् को ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की योजनाओं को बनाना तथा कार्यान्वयन करना भी होता है।

(2) अधिनियम की धारा 59 में दिया गया है कि परिषद्, जहां तक व्यावहारिक हो, अपने कार्य इस प्रकार करेगा कि उसे घाटा न हो और इसकी प्राप्ति के लिये अपने प्रभारों का समय-समय पर समायोजन करेगा।

6. संगठनात्मक ढांचा

(1) इस समय परिषद् में पांच पूर्ण सामयिक सदस्य, अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य (वाणिज्यिक), सदस्य (उत्पादन), सदस्य (पारेषण तथा वितरण) और सदस्य (लेखा तथा वित्त) तथा दो पदेन सदस्य, अर्थात्, वित्त विभाग तथा विधि विभाग के सचिव हैं। परिषद् सामूहिक रूप से कार्य करता है और कोई भी विशिष्ट अधिकार, वित्तीय या और भी कोई, व्यक्तिगत सदस्यों को नहीं सौंपे गये हैं। केन्द्रीय भांडार क्रय समिति को, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य (वाणिज्यिक) तथा सदस्य (लेखा तथा वित्त) शामिल हैं, उन भांडारों की अधिप्राप्ति के निविदाओं को अन्तिम रूप देने का अधिकार है जिनका मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक न हो। 50 लाख रुपये से अधिक के क्रय के लिये भी यह समिति परिषद् को अपनी संस्तुति देती है।

(2) परिषद् का संगठन क्षेत्र में दो भागों में बंटा है—(i) जल विद्युत् शाखा, और (ii) केसा। केसा, जिसके प्रमुख एक जनरल मैनेजर हैं, कानपुर क्षेत्र में ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की देख-भाल करता है जब कि मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत्, राज्य में बाकी के कार्यों की देख-भाल करते हैं।

प्रायः राज्य सरकार के नियमों की तरह, जिन्हें परिषद् ने अपने निजी नियम बनने तक ग्रहण कर लिया है, मुख्य अभिवन्ता, जल विद्युत् तथा जनरल मैनेजर, केसा को विस्तृत प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें भंडार क्रय करने के अधिकार भी सम्मिलित हैं, जो कि और आगे अधीक्षण अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं तथा उप खण्ड अधिकारियों को भी सौंप दिए गए हैं। निधियों का वितरण तथा आवंटन सदस्य (लेखा) के नियन्त्रण में कार्य कर रहे परिषद् कार्यालय के लेखा विभाग द्वारा केन्द्रीय नियन्त्रित है। खण्ड/वृत्त में होने वाली प्राप्तियां बैंक में खाते में जमा कर दी जाती हैं जहां से आहरण की अनुज्ञा नहीं होती है तथा संवितरण के लिए निधि, परिषद् द्वारा पृथक् आहरण लेखों में प्रेषण की जाती है। यह देखा गया है कि क्षेत्र संगठन वित्तीय बचनबद्धताओं का समय से सम्मान करने में असमर्थ रहते हैं जिससे नुकसान अथवा असुविधा होती है, उदाहरणार्थ, सामान को, जिसमें विलम्ब और स्थान शुल्क प्रभार निहित होते हैं, छुड़ाने में असफलता उपभोक्ताओं से वसूल किए गए विद्युत् शुल्क तथा ठेकेदारों से काटे गये आयकर को सरकारी खाते में जमा कराने में देरी।

7. पूंजी संरचना तथा वित्त का उपयोग

(1) **साधन**—पूंजीगत व्यय के लिए परिषद् के निधियों का स्रोत ऋण है जैसा कि नीचे बताय गया है :—

(i) वह धन, जो परिषद् को परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के बारे में पूंजीगत लेखे में घोषित व्यय था, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 60 (2) के अन्तर्गत दिया गया ऋण समझा गया। चालू काम में लगाई हुई ऋण पूंजी के भाग पर ब्याज 1971–72 से परिषद् द्वारा राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है और वह पूंजी–कृत किया जा रहा है। इनको राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिया हुआ ऋण घोषित कर दिया गया है (31 मार्च 1974 को 32.16 करोड़ रुपए)। इन ऋणों के नियम तथा शर्तें सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गयीं (अप्रैल 1975)। पूंजी–कृत ब्याज पर भी, जो कि ऋण समझा गया है, कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है।

(ii) अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत सरकार से लिया ऋण।

(iii) सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत इकट्ठा किया गया ऋण।

(v) परिषद्, वाणिज्यिक बैंकों के अल्पकालीन ऋणों और इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया की बट्टा सुविधाओं द्वारा मध्यमकालीन ऋणों का भी प्रयोग कर रहा है।

अन्य स्रोतों से ऋण लेने के विषय में अधिनियम की धारा 65 (3) के अन्तर्गत उधार लेने की सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए है जिसके विरुद्ध 31 मार्च 1974 तक 156.21 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं।

(2) **उधार**—31 मार्च 1974 को गैर–सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त ऋणों का शेष नीचे इंगित है :—

(करोड़ रुपयों में)

स्रोत	निकाले गए ऋण की राशि	ऋण की शर्तें	वापस की हुई धनराशि	बकाया ऋण की धनराशि
बंध–पत्रों का सार्वजनिक निर्गम	48.17	(i) 12 वर्ष बाद अदायगी, अर्थात्, नवम्बर 1976 से दिसम्बर 1985 के दौरान	कुछ नहीं	48.17

(करोड़ रुपयों में)

स्रोत	निकाले गए ऋण की राशि	ऋण की शर्तें	वापस की हुई धनराशि	बकाया ऋण की धनराशि
		(ii) 5 से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से		
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	14.76	(i) पिछड़े हुए क्षेत्रों के ऋणों की अदायगी 25 वार्षिक किस्तों में होनी है तथा अन्य क्षेत्रों की 20 किस्तों में पांच वर्ष के विलम्ब-काल के पश्चात्	0.02	14.74
		(ii) पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए 6½ से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 7¼ से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से		
कृषि वित्त निगम	18.78	(i) 1.96 करोड़ रुपए के ऋण की अदायगी प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष समाप्त होने पर होनी है। शेष ऋणों की अदायगी 10 वर्षों में सात से आठ वार्षिकी किस्तों में होनी है, पहली किस्त ऋण की किस्त निकालने के 3 से 4 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होनी है	कुछ नहीं	18.78
		(ii) 9 से 9½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से		
वाणिज्यिक बैंक	30.73	( ) 1973 से 1981 तक में देय	4.46	26.27
		(ii) 9 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से		
भारतीय जीवन बीमा निगम	51.25	(i) 15 से 20 वर्षों में देय (ii) 7½ से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से	4.10	47.15
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	1.00	(i) 1975 में देय (ii) 9½ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से	कुछ नहीं	1.00
कोआपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेअर (केयर)	0.10	इसका स्वरूप परिक्रामी निधि का सा है। जब-जब किन्हीं अनुमोदित कार्यों पर व्यय होता है तब-तब इसकी संपूर्ति कर ली जाती है	कुछ नहीं	0.10

(3) **सरकार द्वारा ऋण—क—परिसंपत्तियों का हस्तान्तरण**—(i) अधिनियम की धारा 60 (2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा परिषद् को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण

उनके मूल्य तथा तिथियां, जब से वे ऋण घोषित किए गए, का विवरण नीचे दिया गया है:—

परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण की तिथि	हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)	ऋण घोषित किए जाने की तिथि
1 अप्रैल 1959	66,61.957	29 मार्च 1961
1 अप्रैल 1965	51,51.818	24 मार्च 1966
जोड़	1,18,13.775	

(ii) ऋणों पर देय ब्याज की दर हस्तान्तरण किए जाने की तिथि को प्रचलित सरकार की उधार दर से ½ प्रतिशत अधिक निश्चित की गई।

(iii) 1,18,13.775 लाख रुपए के उपरोक्त ऋण में 13,03.406 लाख रुपए सम्मिलित हैं, ब्यौरा नीचे दिया गया है, जो कि सही अर्थों में पूंजीगत व्यय की प्रकृति के नहीं हैं।

	(लाख रुपयों में)
पूंजी लागत पर ब्याज प्रभार	11,83.753
लेखा परीक्षा तथा लेखा प्रभार	92.312
कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना प्रभार,	24.904
कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन का वेतन, यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व्यय	2.437
जोड़	13,03.406

1973-74 के अन्त तक परिषद् ने 13,03.406 लाख रुपये के ऋण के इस भाग पर 7.87 करोड़ रुपये ब्याज दिया।

अगस्त 1966 में परिषद् ने पूंजी हस्तान्तरण से संबंधित ऋण में से 13,03.406 लाख रुपये कम करने तथा उस पर दिये गये ब्याज को भी वापस करने के लिये सरकार के पास पहुंच की। सरकार का निर्णय अभी प्रतीक्षित है (मार्च 1975)।

ख—अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अन्य ऋण—(i) 1973-74 के अन्त तक राज्य सरकार से परिषद् को प्राप्त ऋण की राशि 817.64 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 5.98 करोड़ रुपये परिषद् द्वारा 1973-74 में वापस कर दिये गये। 31 मार्च 1974 को बकाया राज्य सरकार के शेष ऋण की धनराशि 811.66 करोड़ रुपये थी जिसमें 32.16 करोड़ रुपये भी सम्मिलित थे जो कि चालू कार्यों पर पूंजीकृत ब्याज प्रभार था, जिन पर कोई ब्याज देय नहीं होता है।

ऋणों पर देय ब्याज की दर, सरकार को सम्बन्धित वर्षों की उधार दर से, 1959-60 से 1964-65 के दौरान दिये गये ऋणों पर ½ प्रतिशत, 1965-66 से 1969-70 के दौरान दिये गये ऋणों पर 1 प्रतिशत तथा 1970-71 से 1973-74 में दिये गये ऋणों पर ½ प्रतिशत अधिक नियत की गई। वर्ष 1965-66 से 1969-70 के दौरान दिये गये सभी ऋणों पर ब्याज की दर 1969-70 से सरकार की उन्हीं वर्षों की उधार की दर से ½ प्रतिशत अधिक संशोधित की गई, जिसके फलस्वरूप परिषद् को अकेले 1969-70 में ब्याज में 1.25 करोड़ रुपये की राहत मिली।

(ii) कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति बढ़ाने के लिये 1964–65 में (0.35 करोड़ रुपये) और 1965–66 में (2.25 करोड़ रुपये) तथा 1972–73 में (9.60 करोड़ रुपये) सूखा राहत के लिये स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की दर सम्बन्धित वर्षों की सरकार की उधार की दर से $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अधिक नियत की गई ।

(iii) निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर ऋणों के भुगतान की अवधि सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई है (मार्च 1975)—

ऋण की धनराशि (करोड़ रुपये में)	उद्देश्य	ऋण स्वीकृत करने का वर्ष	अदायगी अवधि
22.00	परिषद् को अपनी अतिआवश्यक दैनिक देयताओं को पूरा करने के लिये	1972–73	10 बराबर किस्तों में
29.36	फरवरी 1973 में सीमा से अधिक निकाली गई धनराशियों के नियमानुकूलन के लिये	1973–74	यथोपरि
9.60	त्वरित रबी फसल योजना में सूखा राहत	1972–73	15 बराबर किस्तों में
2.00	ग्रामीण उपभोक्ताओं से प्राथमिकता प्रभार के भुगतान के आस्थगन के कारण परिषद् को स्रोतों के घाटे की क्षतिपूर्ति के लिये	1972–73	10 बराबर किस्तों में

(iv) अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत परिषद् की प्राप्तियां, परिचालन तथा अनुरक्षण और प्रबन्ध व्यय (और टैक्स भुगतान के लिये धन व्यवस्था करने के पश्चात्) वहन करने के बाद, जैसे ही वे उपलब्ध होती हैं, बताई गई प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित करनी होती हैं ।

(v) वर्ष 1959–60 से 1973–74 के दौरान, 100.23 करोड़ रुपये के प्राप्य अधिशेष के विरुद्ध, ऋण पर ब्याज के 2,11.23 करोड़ रुपये सरकार द्वारा समायोजित कर दिये गए और परिषद् को उन वर्षों में स्वीकृत नये ऋणों में से घटा दिये गये । यह पूंजी में से ब्याज का भुगतान हुआ ।

(4) **राज्य सरकार को ऋण की अदायगी**—धारा 64 के अन्तर्गत परिषद् को दिये गये ऋणों की अदायगी को, अधिनियम के अन्तर्गत निम्नतम प्राथमिकता दी गई है । यद्यपि वर्ष 1973–74 में अन्य दायित्वों का उन्मोचन नहीं किया गया है, तथापि 5.98 करोड़ रुपये का भुगतान परिषद् को स्वीकृत नये ऋणों के विरुद्ध समायोजन द्वारा कर दिया गया है ।

(5) **अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत अन्य स्रोतों से लिये गये ऋण**—अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा लिये गये ऋणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) **बन्धपत्रों का जारी करना**—(i) बन्धपत्रों को जारी करके पहला ऋण जन साधारण से वर्ष 1964–65 में लिया गया था । 1973–74 के अन्त तक परिषद् द्वारा कुल 48.17 करोड़ रुपये के बन्धपत्रों की पन्द्रह शृंखलायें जारी की गईं । इन बन्धपत्रों की ब्याज दर 5 से 6 प्रतिशत है

और इनकी अदायगी 1976 से 1985 तक होनी है । मूलधन की वापस अदायगी तथा उन ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा प्रत्याभूत है ।

(ii) 1972–73 तथा 1973–74 के प्रत्येक वर्ष में बन्धपत्रों के जारी करने से प्राप्त 10.17 करोड़ रुपये तथा 7.70 करोड़ रुपये में से क्रमशः 3.48 करोड़ रुपये तथा 6.95 करोड़ रुपये अनुसूचित बैंकों में 46 दिनों के अल्पकालीन जमा में निवेश कर दिये गये; ब्याज दर 3 से $3\frac{1}{4}$ प्रतिशत तक थी । परिषद् ने इन अल्पकालीन जमा की रसीदों को दृष्टिबन्धक करके इन बैंकों से 1972–73 में 1,42.775 लाख रुपये तथा 1973–74 में 2,46.245 लाख रुपये के ऋण प्राप्त किये, ब्याज की दर इन अल्पकालीन जमा पर ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक थी ।

(iii) 1969–70 में परिषद् ने $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर पांच वर्ष की अवधि के लिये अनुसूचित बैंकों में 1,10 लाख रुपये मियादी जमा में रख दिये । परिषद् ने 1971–72 में इन बैंकों से 93.50 लाख रुपये का एक ऋण, इन जमा रसीदों को दृष्टि-बन्धक करके, प्राप्त किया, ब्याज की दर, जमा दर से एक प्रतिशत अधिक थी । इन जमा राशियों की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त हुये धन से अगस्त 1974 में इस ऋण की वापस अदायगी कर दी गई ।

(iv) अनुसूचित बैंकों से 1972–73 में 15.53 करोड़ रुपये के ऋण (ब्याज दर $9\frac{1}{4}$ से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष थी) के अलावा परिषद् ने स्टेट बैंक आफ इन्डिया से $9\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1972–73 में 2 करोड़ रुपये तथा 1973–74 में 4 करोड़ रुपये का नकद उधार अग्रिम लिया, जबकि 1.10 करोड़ रुपये इन बैंकों में $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर जमा रखे थे जिसके परिणामस्वरूप, 9.41 लाख रुपये का ब्याज का भुगतान परिहार्य रहा (0.46 लाख रुपये 1972–73 में और 8.95 लाख रुपये 1973–74 में) ।

(ख) **कृषि वित्त निगम से ऋण**—1969–70 से 1973–74 के दौरान 18.78 करोड़ रुपये के ऋण कृषि वित्त निगम से कृषि कार्यों के लिये नलकूपों तथा पम्पसेटों के ऊर्जाकरण के लिये प्राप्त किये गये इन ऋणों पर, ब्याज के भुगतान तथा मूलधन की वापसी समय से करने पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट के साथ, ब्याज की दर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी ।

1973–74 के दौरान परिषद् ने निगम को देय तिथि में ब्याज का भुगतान न करने के कारण छूट को खो दिया ।

(ग) **अन्य उधार**—परिषद् ने विशिष्ट उद्देश्य के लिये जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा कोआपरेटिव अमरीकन रिलीफ एवरीव्हेयर (केयर) से ऋण प्राप्त किये । स्टेट बैंक आफ इंडिया से नगद उधार सुविधा के अतिरिक्त परिषद् ने औद्योगिक विकास बैंक आफ इंडिया से अल्प-कालीन ऋण प्राप्त किये । 31 मार्च 1974 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान निर्धारित सीमायें और प्राप्त की गई सुविधायें निम्न प्रकार थीं:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सुविधा	
	व्यवस्थित	प्राप्त
औद्योगिक विकास बैंक आफ इंडिया (पुनः बट्टे की सुविधा) 1971–72	1.00	0.98
1972–73	2.00	1.99
1973–74	5.00	4.97

8. लाभदायकता का विश्लेषण

(1) वित्तीय स्थिति—वर्ष 1973—74 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:—

(करोड़ रुपयों में)

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
क—देयताएं					
1. राज्य सरकार से ऋण	4,73.41	5,39.15	6,15.41	7,13.74	8,11.66
2. अन्य दीर्घकालिक उधार	35.32	48.24	66.16	1,18.84	1,62.07
3. आरक्षित निधि और अधिशेष					
(क) आरक्षित पूंजी (सर्विस लाइनों के लिये उपभोक्ताओं के योगदान को निकाल कर)	1.35	1.82	1.96	2.02	2.02
(ख) सामान्य आरक्षण	0.88	0.88	0.88	3.03	5.46
4. चालू देयताएं	51.74	67.03	87.64	91.58	1,10.70
योग—देयताएं (1 से 4)	5,62.70	6,57.12	7,72.05	9,29.21	10,91.91
ख—परिसम्पत्तियां					
5. सकल निश्चित् परिसम्पत्तियां	3,56.63	3,83.30	4,30.70	5,24.57	5,78.44
6. घटाएं—सर्विस लाइनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान	8.45	11.66	14.73	18.01	20.33
7. घटाएं—मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	35.35	44.15	35.35	62.64	72.72
8—निबल निश्चित् परिसम्पत्तियां (5)–(6+7)	3,12.83	3,27.49	3,62.62	4,43.92	4,85.39
9. चालू कार्य	1,40.68	1'90.76	2,27.62	2,49.47	3,01.72

(करोड़ रुपयों में)

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
10. **चालू परिसम्पत्तियां**					
(क) भंडार	21.17	31.62	41.53	54.26	58.40
(ख) ऊर्जा पूर्ति के फुटकर देनदार	10.79	14.36	18.34	23.63	31.35
(ग) अन्य प्राप्तव्य	42.59	43.95	59.09	76.40	1,03.72
(घ) निवेश	1.95	1.69	1.78	2.11	2.59
(ङ) नगद और बैंक बेलेंस	2.99	2.03	7.30	13.79	10.04
11. निबल संचित घाटा	29.70	45.22	53.77	65.63	98.70
कुल परिसम्पत्तियां	5,62.70	6,57.12	7,72.05	9,29.21	10,91.91
ग—अन्य विवरण					
12. कार्यकर पूंजी (10–4)	27.75	26.62	40.40	78.61	95.40
13. निबल मूल्य (1+2+3)–(11)	4,81.16	5,44.87	6,30.64	7,72.00	8,82.51
14. पूंजी की आधार रेखा					
वर्ष के प्रारम्भ	2,71.30	3,12,50	3,26.10	3,60.10	4,41.90
वर्ष के अन्त में	3,12.50	3,26.10	3,60.10	4,41.90	4,62.50
वर्ष का औसत	2,91.90	3,19.80	3,43.10	4,01.00	4,83.10

नोट—पूंजी की आधार रेखा—उपयोग में स्थायी परिसम्पत्तियां घन (प्लस) अगोचर परिसम्पत्तियां घन मूल्य-ह्रास को छोड़ कर प्रचालन–व्यय के 1/6 भाग के बराबर कार्यकारी पूंजी ऋण (माइनस) उपभोक्ता का अंशदान घन मूल्य-ह्रास के लिये संचित प्राविधान घन उपभोक्ताओं की जमानती जमा।

*31 मार्च 1974 तक आपूर्ति की गई ऊर्जा की देनदारों के नाम दर्शायी गयी 31.35 करोड़ रुपये की राशि में से एक बड़े भाग (4.72 करोड़ रुपये) पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिरोध किया गया है। "अन्य प्राप्तव्य खाते" के 1,03.72 करोड़ रुपयों में "विविध पेशगियों" के 25.35 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जिनका पूर्णरूपेण विश्लेषण नहीं किया गया है और जिनकी कई वर्षों से बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है। उदाहरणार्थ, विद्युत् अनुरक्षण खंड, लखनऊ में फरवरी 1974 में 1.65 करोड़ रुपये की वसूली देय थी, जिसमें से 41.1 लाख रुपये 1964–65 से 1968–69 की अवधि से संबंधित थे। बकाया अवशेष में से 0.33 करोड़ रुपये परिषद् के कर्मचारियों से वसूल होने थे।

(2) **लाभदायकता**—1973-74 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों की परिषद् की लाभदायकता नीचे दी गई है:—

(करोड़ रुपयों में)

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
निवेशित पूंजी	5,19.40	6,01.74	6,90.14	8,36.05	9,63.51
क्रियमाण पूंजीगत कार्य	1,40.68	1,90.76	2,27.62	2,49.47	3,01.72
सकल आय (क्रय की गई ऊर्जा की कीमत घटाकर)	55.28	58.60	64.67	78.61	74.92
मूल्य-ह्रास सहित प्रचालन व्यय (क्रय की गई ऊर्जा की कीमत घटाकर)	37.22	44.71	47.49	55.90	64.81
समेकित राजस्व लेखे में स्थानान्तरित आयाधिक्य	18.06	13.89	17.18	22.71	10.11
प्रतिशतता					
सकल आय की निवेशित पूंजी पर	10.6	9.7	9.4	9.4	7.8
आयाधिक्य की निवेशित पूंजी पर	3.5	2.3	2.5	2.7	1.0
परिचालन व्यय की सकल आय पर	67.3	76.3	73.4	71.1	86.5

चूंकि प्रचालन व्यय की वृद्धि सकल आय की वृद्धि की अपेक्षा असमानतः अधिक थी, 1969-70 में प्राप्त 3.5 प्रतिशत का कुल प्रतिलाभ 1973-74 में गिरकर 1 प्रतिशत रह गया।

(3) **निवेश पर प्रतिलाभ**—मई 1969 में परिषद् ने निर्धारित प्रतिलाभ की न्यूनतम दरों को प्राप्त करने के लिये कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया। वास्तविक रूप से प्राप्त प्रतिलाभ की दर निर्दिष्ट प्रतिलाभ की दर से काफी कम रही, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है (दरें विद्युत शुल्क को छोड़कर दी गई है)

वित्तीय वर्ष	निर्दिष्ट प्रतिलाभ प्रतिशत	वास्तविक रूप से प्राप्त प्रतिलाभ प्रतिशत
1970-71	7.0	4.5
1971-72	7.0	5.2
1972-73	8.5	5.7
1973-74	8.5	2.3

प्रतिलाभ की दर प्राप्त करने हेतु परिषद् द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम और वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

(i) **ऊर्जा जनन में कार्यकुशलता**—नीचे दी गई तालिका से प्रकट होगा कि कालावधि, जिसमें विभिन्न थर्मल सेट कोयले की कमी, ग्रिड की गड़बड़ी, भारी ओवर हालिंग, वार्षिक निरीक्षण आदि के कारण नहीं चलते रहे, वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती गई :—

विद्युत् केन्द्र	स्थापित क्षमता (एम0डब्ल्यू0)	इकाई	काम-बन्दी के घंटे 1971-72	1972-73	1973-74
ओवरा थर्मल	250(50×5)	I	1,305	3,745	3,293
विद्युत् केन्द्र		II	3,104	1,058	2,846
		III	877	1,197	6,272
		IV	789	3,914	1,999
		V	268	825	877
		जोड़ ..	6,343	10,739	15,287

50 मेगावाट की पांचवीं इकाई 31 जुलाई 1971 को चालू की गई। ओवरा थर्मल एक्सटेन्शन स्टेज I की 100 मेगावाट की पहली इकाई जुलाई 1973 में चालू की गई और इसलिये उसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है।

हरदुआगंज 'अ'	90(30×3)	I	819	1 533	957
विद्युत् केन्द्र		II	945	837	468
		III	318	1,508	422
		जोड़	2,082	3,878	1,847
हरदुआगंज 'ब'	210(2×50)	I	4,036	3,557	2,030
विद्युत् केन्द्र	एवं (2×55)	II	1,321	1,901	3,706
		III	5,756	4,003	4,451
		IV	..	3,730	3,853
		जोड़	11,113	13,191	14,040

इकाई IV, 18 सितम्बर 1972 को चालू की गई।

पनकी थर्मल	64(32×2)	I	2,294	3,326	2,674
विद्युत् केन्द्र		II	1,652	2,185	1,343
		जोड़	3,946	5,511	4,217

(ii) **जनन व्यय में मितव्ययिता**—निम्नांकित विवरण से प्रकट होता है कि जनन की लागत (क्रियमाण कार्यों में निवेशित पूंजी पर ब्याज को छोड़कर) 1971–72 के अलावा, वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती रही है।

वर्ष	खरीदी गई ऊर्जा को छोड़कर जनन की संचित लागत (प्रति इकाई पैसे में)
1970–71	8.56
1971–72	8.20
1972–73	8.94
1973–74	12.31

1973–74 के दौरान जनन की लागत में भारी वृद्धि का कारण परिषद् द्वारा कोयले, स्नेहकों (लुब्रीकेन्ट्स), तेल और मजदूरी की कीमतों में वृद्धि और रिहन्द के अपवाह क्षेत्र में कम वर्षा के कारण हाइडेल ऊर्जा के जनन में कमी को बताया गया (सितम्बर 1974)

(iii) **प्रचालन व्यय में मितव्ययिता**—उपभोक्ताओं के बिलों को यंत्रीकृत प्रणाली से बनाने की प्रक्रिया को यथासंभव कुछ अधिक कार्यालयों में प्रसार करने, वेतन चिट्ठा एवं भन्डार लेखों का यंत्रीकरण करने, सूची प्रणाली से नियंत्रण करने की विधि को प्रारम्भ करने, एवं भन्डार विभाग का पुनर्गठन करने, कर्मचारी वर्ग के पैटर्न को युक्तिसंगत करने आदि से क्रियान्वयन व्यय में मितव्ययता लाने का विचार किया गया।

परिषद् की तीन इकाइयों अर्थात् केसा, दी इलाहाबाद एलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग और दी लखनऊ एलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग (16 अप्रैल 1964 को अधिग्रहीत) में, जब परिषद् द्वारा इनका अधिग्रहण किया गया, बिल बनाने का कार्य छिद्रित पत्रक आंकड़े तैयार करने वाली मशीन द्वारा होता था और वही प्रक्रिया चल रही है। उपभोक्ताओं के बिलों को यंत्रीकृत प्रणाली से बनाने की प्रक्रिया अभी तक (नवम्बर 1974) किसी अन्य इकाई में आरम्भ नहीं की गई। कुछ खन्डों के लिये विशेषतः उपभोक्ताओं के नाम और पते लिखने के लिये 'ब्रादमा' मशीनें खरीदी गईं।

वेतन चिठ्ठे एवं भन्डार लेखे को परिषद् द्वारा यंत्रीकृत नहीं किया गया (अप्रैल 1975), यद्यपि लखनऊ में परिषद् के कार्यालयों में आई0 बी0 एम0 डेटा प्रक्रिया प्रणाली में अत्यधिक समय और कार्यक्षमता सुलभ है।

विद्युत् के जनन पारेषण और वितरण के लिये परिषद् की कार्य-कुशलता को उन्नतिशील बनाने एवं पारेषण हानियों और ऊर्जा की चोरी को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिये राज्य सरकार ने मार्च 1972 में एक प्राविधिक समिति का गठन किया। समिति का प्रतिवेदन दिसम्बर 1972 में प्राप्त हुआ। कर्मचारी वर्ग के पैटर्न को युक्तिसंगत करने के विषय में प्राविधिक समिति ने निम्नवत् कहा था :—

"उत्तर प्रदेश में विद्युत् केन्द्रों पर कर्मचारियों का बाहुल्य मालूम पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कार्य-पद्धतियों को युक्तिसंगत, प्रशिक्षण के स्वरूप को उन्नतिशील एवं कार्यकुशलता के बेहतर मानकों को लागू करके जन–शक्ति को स्थापित क्षमता के अनुपात में घटाने के लिये कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं।"

समिति ने यह भी संस्तुति की कि "पारेषण एवं वितरण प्रणाली के अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए उचित माप-दण्ड शीघ्र ही बनाए जांय।"

इन संस्तुतियों पर परिषद् द्वारा कार्यवाही अभी करनी है (अप्रैल 1975)।

(iv) **लाइन हानियों में कमी**– परिषद् ने पारेषण की हानियों को 1972–73 तक लगभग 15 प्रतिशत तक कम करने का विचार किया। फिर भी, लाइन–हानियां उत्तरोत्तर वृद्धि पर हैं, जैसा कि दिया गया है :—

वर्ष	लाइन–हानियां (प्रतिशत)
1970–71	23.6
1971–72	24.8
1972–73	27.5
1973–74	28.2

1970–71 से 1973–74 तक प्रक्रिया में हुई हानियों के विस्तार एवं 15 प्रतिशत से ऊपर हानियों को वित्तीय शब्दों में प्रति किलोवाट प्रति घन्टा औसत बिक्री मूल्य पर नीचे इंगित किया गया है:—

वर्ष	बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	ऊर्जा की हानि (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)		औसत विक्रय मूल्य प्रति के0 डब्ल्यू0 एच0 (पैसे)	हानि की वास्तविक प्रतिशतता	औसत विक्रय मूल्य के हिसाब से वित्तीय हानि	
		कुल	15 प्रतिशत से ऊपर			कुल	15 प्रतिशत से ऊपर हानि
						(लाख रुपयों में)	
1970–71	5,613.76	1,323.02	4,80.96	13.37	23.6	1,769	643
1971–72	5,968.25	1,482.29	5,87.06	13.56	24.8	2,010	796
1972–73	6,623.90	1,819.80	8,26.22	15.96	27.5	2,904	1,319
1973–74	6,015.70	1,693.46	7,91.10	17.29	28.2	2,928	1,368
					जोड़	9,621	4,126

(v) **शुल्क दर ढांचे में ऊर्ध्वमुखी संशोधन**—परिषद् ने अपने शुल्क-दर (टैरिफ) में भारी संशोधन, बजाय 1970–71 में करने के, जैसा कि पूर्व नियोजित था, 1 जनवरी 1972 से प्रभावी किया। संशोधन ऊर्जा के जनन, पारेषण और वितरण की वास्तविक लागत पर आधारित नहीं था वरन् प्रमुख रूप से अतिरिक्त निधियां इकट्ठा करने के दृष्टिकोण से किया गया था। संशोधन के बावजूद, प्रतिफल में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, क्योंकि परिचालन व्यय अतिरिक्त आय से अपेक्षाकृत अधिक था।

1970–71 से 1973–74 वर्षों के दौरान प्रतिफल में ह्रास के निम्न कारण परिषद् ने अक्तूबर 1974 में बताये :—

(i) ईंधन और परिचालन भण्डार के अन्य सामान की लागत एवं स्थापना व्यय में वृद्धि,

(ii) राज्य सरकार की नीति के अनुसार 1 जनवरी 1972 से ग्रामों के उपभोक्ताओं से न्यूनतम प्रत्यामूति प्रभार लेने के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप आय में कमी,

(iii) रिहन्द अपवाह क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण और गंगा एवं शारदा नदियों के अल्प जल-विसर्जन के कारण ऊर्जा-जनन में कमी, और

(iv) निरीक्षण अथवा सामान्य अनुरक्षण के कारण व्वायलर्स का लम्बी अवधि तक बन्द रहना।

(4) **कार्य परिणाम**— 1973–74 में समाप्त होने वाले परिषद् के पांच वर्षों के कार्य-परिणाम निम्नवत् थे :—

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
	(करोड़ रुपयों में)				
(क) सकल आय					
(i) विद्युत् की बिक्री	50.85	57.22	60.67	76.48	74.52
(ii) अन्य आय	7.15	4.64	6.77	7.50	5.46
(ख) मूल्य-ह्रास सहित परिचालन और अनुरक्षण व्यय	37.22	44.71	47.48	55.90	64.81
(ग) ऊर्जा का क्रय	2.72	3.26	2.77	5.37	5.06
(घ) निबल आधिक्य (क)–(ख+ग)	18.06	13.89	17.19	22.71	10.11
(ङ) आधिक्य का विनियोजन					
(i) अधिनियम की धारा 66 के अधीन अप्रत्याभूत ऋणों पर ब्याज	0.89	1.13	1.59	2.10	3.00
(ii) अधिनियम की धारा 66 के अधीन प्रत्याभूत ऋणों पर ब्याज	0.81	1.35	2.09	3.82	7.63
(iii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों की धनराशियों के सम्बन्ध में बट्टे खाते	0.03	0.03	0.03	0.06	0.10
(iv) सामान्य आरक्षण में अंशदान	..	..	..	2.15	2.44
(v) बकाये सहित राज्य सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज	23.19	26.90	22.03	26.44	30.01
जोड़ (ङ)	24.92	29.41	25.74	34.57	43.18

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
	(करोड़ रुपयों में)				
(च) निबल लाभ (+) हानि (–)	(–)6.86	(–)15.52	(–)8.55	(–)11.86	(–)33.07
(छ) संचित हानि	(–)29.70	(–)45.22	(–)53.77	(–)65.63	(–)98.70
(ज) बकाया मूल्य-ह्रास जिसका प्राविधान करना है और जिसे वर्ष की आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया गया है ।	..	4.13	3.54	2.95	2.36

(5) **सामान्य रक्षित निधि में अंशदान**—अधिनियम की धारा 67 (viii) में निर्दिष्ट है कि राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों पर ब्याज का प्रभार लगाने के पूर्व, प्राप्त धनाधिक्य में से सामान्य रक्षित निधि में अंशदान करना चाहिए, जिसकी धनराशि स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल लागत के एक प्रतिशत से अधिक न हो। 1959–60 से 1971–72 वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा सामान्य आरक्षण में प्राविधान (9.94 करोड़ रुपए) नहीं किया गया, यद्यपि राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान एवं राज्य सरकार को ऋणों की वापसी अदायगी की गई थी।

(6) **मूल्य-ह्रास रक्षित निधि में अंशदान**—31 मार्च 1970 के अन्त में परिषद् द्वारा मूल्य-ह्रास आरक्षण में 4.72 करोड़ रुपए एवं मूल्य-ह्रास के बकाए पर ब्याज (निर्धारण अभी होना है) कम प्राविधानित किए गए। इस कमी को परिषद् द्वारा 1970–71 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से प्रतिवर्ष 0.59 करोड़ रुपए की किश्त द्वारा पूरा किया जा रहा है। 31 मार्च 1974 के अन्त में 2.36 करोड़ रुपए एवं मूल्य ह्रास के बकाए पर ब्याज की धनराशि (निर्धारण अभी होना है) अभी भी प्रावधानित होनी है।

(7) **स्थायी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण**—(i) अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत मूल्य-ह्रास निकालने के उद्देश्य से, परिषद् की स्थायी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण अधिनियम की अनुसूची vii के प्राविधानों के अनुसार किया जाना चाहिये। स्थायी परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करने के लिये परिषद् द्वारा जुलाई 1965 में एक समिति गठित की गई। समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई जिसके अन्तर्गत समिति को अपना प्रतिवेदन देना था। समिति का प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है (मार्च 1975)। इस बीच समिति के कुछ सदस्य अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। समिति अभी तक पुनर्गठित नहीं की गई है (मार्च 1975)।

(ii) अधिनियम की अनुसूची vi के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों का, जिनका मूल्यांकन 31 मार्च 1974 को 5,78.44 करोड़ रुपये था, वर्गीकरण न किये जाने से प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का विवरण, अवाप्ति की लागत, कालावधि, मूल्य-ह्रास की दरें और प्रत्येक परिसम्पत्ति का अवशिष्ट मूल्य दिखलाते हुए अभिलेखों का स्थानानुसार अनुरक्षण परिषद् द्वारा नहीं रखा गया। स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन भी परिषद् के गठन के समय से नहीं हुआ।

(iii) मूल्य-ह्रास का प्राविधान करने के उद्देश्य से, 1971–72 तक जनित स्थायी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण 1972–73 में मुख्य अभियन्ता द्वारा तदर्थ के आधार पर किया गया। 1972-73 और 1973-74 में जनित परिसम्पत्तियों का तदर्थ वर्गीकरण अभी (मार्च 1975) तक नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप मूल्य-ह्रास का गणन अधिनियम में निर्धारित विधि के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

9. योजना परिव्यय, भावी परियोजनायें और कार्यक्रम

(1) **योजना परिव्यय**—(i) योजना की विभिन्न अवधियों में एवं चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में ऊर्जा पर किया गया पूंजीगत व्यय और कुल स्थापित क्षमता निम्नवत् थे :—

योजना	योजना काल में किया गया व्यय	क्रमिक व्यय अवधि के अन्त में स्थापित क्षमता (मेगावाट)	
	(करोड़ रुपयों में)		
योजना-पूर्व	..	17.49	125
प्रथम योजना (1951–56)	25.82	43.31	221
द्वितीय योजना (1956–61)	56.67	99.98	290
तृतीय योजना (1961–66)	1,57.01	2,56.99	861
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	1,75.35	4,32.34	1,136

(ii) चौथी पंच वर्षीय योजना में शक्ति पर अनुमोदित परिव्यय 375 करोड़ रुपये था जो 965 करोड़ रुपये के कुल राज्य योजना परिव्यय का 39 प्रतिशत था । वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां निम्नवत् थीं :—

	वित्तीय		अनुमोदित व्यय से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
	(करोड़ रुपयों में)		
(क) जनन			
(i) प्रायोजनाओं पर	1,47.01	1,88.79	128.4
(ii) नई योजनाएं	30.72	52.69	171.5
(ख) संचारण और वितरण	1,25.27	1,29.32	103.2
(ग) ग्राम विद्युतीकरण	68.00	72.17	106.1
(घ) छानबीन एवं विविध	4.00	2.13	53.3
जोड़	3,75.00	4,45.10	118.7

	भौतिक		लक्ष्य से उपलब्धि की प्रतिशतता
	लक्ष्य	उपलब्धि	
(क) जनन	स्थापित क्षमता में 1,229.75 एम0 डब्ल्यू0 की वृद्धि	437.25 एम0 डब्ल्यू0 स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई	35.6
(ख) संचारण और वितरण	(i) 66 के0 वी0 और इससे अधिक की मेन लाइन एवं उप-केन्द्र 4,500 सरकिट किलोमीटर की वृद्धि	(i) 66 के0 वी0 और इससे अधिक 1,598 सरकिट किलोमीटर की मेन लाइन की वृद्धि	35.5
	(ii) 37.5/33 के0 वी0 की सेकेन्डरी ट्रान्समिशन लाइन और संबंधित उप-केन्द्र 13,000 सरकिट किलोमीटर की वृद्धि	(ii) 37.5/33 के0 वी0 की सेकेन्डरी ट्रान्समिशन लाइन 6,876 सरकिट किलोमीटर की वृद्धि	52.9
	(iii) 40,000 सरकिट किलो-मीटर वितरण लाइन की वृद्धि	(iii) उपलब्धियों को प्रगट करने वाले अभिलेख परिषद् द्वारा नहीं रखे गये	..
(ग) ग्राम विद्युतीकरण	(i) 15,000 नई बस्तियों का विद्युतीकरण	(i) 16,639 नई बस्तियां विद्युतीकृत की गईं	112.3
	(ii) 2,200 राज्य नल-कूपों को ऊर्जित करना	(ii) 3,435 राज्य नल-कूप ऊर्जित किये गये	155.9
	(ii) 2 लाख निजी नल-कूपों को ऊर्जित करना	(iii) 1,40,365 निजी नलकूप ऊर्जित किये गये	70.2

इससे प्रगट होगा कि (i) उत्पादन की स्थापित क्षमता में लक्ष्य से 35.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि व्यय निर्विष्ट परिव्यय से 135 प्रतिशत हो गया, (ii) संचारण और वितरण लाइनों में वृद्धि 44.2 प्रतिशत हुई, यद्यपि व्यय अनुमोदित परिव्यय से 103 प्रतिशत हो गया और (iii) अनुमोदित परिव्यय से कुल योजनागत व्यय 118 प्रतिशत हुआ ।

(2) **कमी के कारण**—चौथी पंच वर्षीय योजना में जनन, संचारण एवं वितरण में कमी के लिये परिषद् ने निम्न लिखित कारण बतायें :—

(i) जनन—संयत्र एवं उपस्कर की विलम्ब से आपूर्ति विशेषत: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा, सीमेन्ट की कमी, समय पर स्टील की अलभ्यता, सिंचाई विभाग द्वारा सिविल निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब, निर्माण उपस्करों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की रिहाई में विलम्ब एवं उपस्करों के कतिपय पुर्जों की रूसी प्रदायकों द्वारा विलम्ब से आपूर्ति ।

सम्परीक्षण के दौरान देखा गया कि, उपस्करों की आपूर्ति के वास्तविक/अनुमानित विलम्ब को दृष्टि में रखकर, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अवस्थान का समय से संशोधन नहीं किया गया । उदाहरणार्थ, ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन प्लान्ट डिवीजन में 3×100 एम0 डब्ल्यू0 उत्पादन इकाइयों के लिये उपस्करों के प्रमुख प्रदायक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने महत्वपूर्ण उपस्कर प्रदान करने में विलम्ब किया, किन्तु एक पृथक अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति-कर्त्ताओं द्वारा लगाये गये उत्थापक में उन यंत्रोंको बैठाने के लिये भेजे गये कर्मचारी समय से पूर्व ही यथास्थान नियुक्त कर दिये गये और 21 से 27 माह के आकलन के मुकाबिले वास्तव में 26 से 41 माह तक (फरवरी 1974) काम पर रहे जिससे 2.29 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । इसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान हरदुआगंज

प्लान्ट डिवीजन में कुलजियन कार्पोरेशन (3.30 लाख रुपये) कैसेल पावर इंजीनियर्स (2.50 लाख रुपये) और वेस्टर्न इण्डिया एरेक्टर्स (0.84 लाख रुपये) को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विलम्ब से उपस्कर की आपूर्ति करने के कारण दिखलाई पड़ा। इन तीनों मामलों में परिषद् ने फर्मों से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किये गये यंत्रों को बैठाने के लिये पृथक अनुबन्ध किया था। चूंकि आपूर्ति समय सारिणी के अनुसार नहीं की गई थी, उन यंत्रों को बैठाने के कार्य को अनुबन्ध में निर्धारित अवधि के बाद भी जारी रखना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(ii) विद्युत् प्रसारण एवं वितरण—संरचनात्मक इस्पात तथा बुर्जों को जस्तीकृत करने के लिए जस्ते का अभाव एवं भूमि की अवाप्ति में विलम्ब।

(3) **पांचवीं पंच वर्षीय योजना**—1978–79 तक मांग की पराकाष्ठा 4,850 एम0 डब्ल्यू0 तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस उच्चतम मांग की पूर्ति करने के लिये स्थापित क्षमता में 3,300 एम0 डब्ल्यू0 की वृद्धि करने का परिषद् ने विचार किया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्थापित क्षमता में कुल 2,426 एम0 डब्ल्यू0 की वृद्धि होने की आशा है—1,808 एम0 डब्ल्यू0 चल रही प्रायोजनाओं से एवं 618 एम0 डब्ल्यू0 नई प्रायोजनाओं से।

10. उत्पादन

(1) **केन्द्रों का अपना निष्पादन—अ—थर्मल स्टेशन—(क) यन्त्रों की उपलब्धता**—1973–74 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान समय की मात्रा (8,700 घंटे एक वर्ष में) जिसके लिए प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों पर विभिन्न इकाइयां सुलभ थीं, नीचे दिखलाई गई है :—

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता	इकाई	उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटों की संख्या		
			1971–72	1972–73	1973–74
ओबरा	250 (50×5)	I	7,455	4,255	5,467
		II	5,656	7,702	5,914
		III	7,883	7,563	2,488
		IV	7,971	4,846	6,761
		V	5,588	7,935	7,883
	जोड़		34,553	32,301	28,513

50 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई V 31 जुलाई 1971 को चालू की गई। 100 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन स्टेज I की इकाई 1 जुलाई 1973 में चालू की गई और इसलिए ऊपर इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

पनकी	64(32×2)	I	6,466	5,434	5,886
		II	7,108	6,575	7,417
	जोड़		13,574	12,009	13,303

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता	इकाई	उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटों की संख्या		
			1971–72	1972–73	1973–74
हरदुआगंज (अ)	90(30×3)	I	7,941	7,227	7,803
		II	7,815	7,923	8,292
		III	8,442	7,252	8,338
	जोड़		24,198	22,402	24,433
हरदुआगंज (ब)	210(2×50) और (2×55)	I	4,724	5,203	6,730
		II	7,439	6,859	5,054
		III	3,003	4,757	4,309
		IV	..	350	4,907
	जोड़		15,166	17,169	20,990

55 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई IV, 1 नवम्बर 1972 को चालू की गई।

शक्ति की प्राविधिक समिति ने यह सिफारिश की (दिसम्बर 1972) कि परिषद् को अपने विद्युत् उत्पादक इकाइयों में 80 प्रतिशत संयंत्र जल्दी ही, और 85 प्रतिशत आगामी दो या तीन वर्षों में उत्पादन के लिए उपलब्ध करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस आधार पर संयंत्रों की सुलभता 7,500 घंटे के लगभग होनी चाहिए थी। उत्पादक इकाइयों की सुलभता अल्प होने के प्रमुख कारण निम्नकोटि का अनुरक्षण, यंत्रों के सामान्य एवं विशेष परिकल्पन (ओवरहालिंग) में असाधारण रूप से अधिक समय का लगना कोयले की आपूर्ति में अवरोध और संयंत्रों में बड़ी किस्म की गड़बड़ी होना बताए गए। उत्पादन में हुई कमियां नीचे दिखलाई गई हैं :—

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता एम0 डब्ल्यू0	वर्ष	जनन	
			बजट के अनुसार (एम0 के0 डब्लू0 एच0)	वास्तविक
ओबरा (एक्सटेन्शन सहित)	250 (50×5) एवं 350 (50×5) (100×1)	1971–72	1,450	1,389.221
		1972–73	1,560	1,356.377
		1973–74	2,051	1,358.168
पनकी	64 (32×2)	1971–72	360	393.023
		1972–73	360	347.652
		1973–74	381	387.758
हरदुआगंज (अ)	90 (30×3)	1971–72	450	439.89
		1972–73	450	432.81
		1973–74	447	312.168

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता (एम0 डब्ल्यू0)	वर्ष	जनन	
			बजट के अनुसार (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	वास्तविक
हरदुआगंज (ब)	155 (50×2)	1971–72	1,050	508.900
	(55×1) और	1972–73	1,100	857.215
	210 (50×2) एवं (55×2)	1973–74	1,251	813.972
नदी–तट पावर हाउस	87.5 (15×5) एवं	1971–72	415	386.923
	(12.5×1)	1972–73	400	388.226
		1973–74	417	349.406
अन्य लघु थर्मल स्टेशन	119.525	1971–72	525	501.501
	101.125	1972–73	525	465.067
	96.400	1973–74	525	428.033

(ख) उत्पादन में हठात उत्पन्न प्रमुख बाधाएं—संयंत्रों में क्रियागत दोष के कारण पर्याप्त समय तक उत्पादन में हुए व्यवधान के कुछ मामले नीचे दिए जा रहे हैं :—

(i) **ओबरा थर्मल स्टेशन**—5 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई III, 24 अगस्त 1973 को रोटर की गड़बड़ी के कारण ठप हो गई। सात माह से ऊपर समय व्यतीत हो जाने के बाद 9 अप्रैल 1974 को उसे सेवा योग्य बनाया जा सका।

(ii) **हरदुआगंज 'ब' थर्मल स्टेशन**—1 नवम्बर, 1972 को चालू की गई 55 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई IV का उत्पादन 15 नवम्बर 1972 को गति नियन्त्रक (गवर्नर) में दोष उत्पन्न हो जाने एवं प्रणोद वहन (थ्रस्टबेयरिंग) में क्षति हो जाने से ठप हो गया। मरम्मत के बाद उसे 9 फरवरी 1973 को पुनः चालू किया गया। 13 जुलाई 1973 को इस इकाई का उत्पादन फिर ठप हो गया और 5 अक्तूबर 1973 को पुनः चालू किया गया।

55 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई III, जो जनवरी, 1969 में चलाई गई थी, 'फीड पम्पों' में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने से 19 सितम्बर 1973 से 12 फरवरी 1974 तक बन्द पड़ी रही।

(iii) **नदी तट का बिजलीघर**—15 एम0 डब्ल्यू0 क्षमता की इकाई IX, 29 जुलाई 1972 से 2 जनवरी 1973 तक क्षतिग्रस्त स्टेटर की वाईंडिंग में मरम्मत किये जाने हेतु बन्द पड़ी रही।

(ग) जनशक्ति—प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों में स्थापित क्षमता की प्रति मेगावाट जनशक्ति निम्नवत् थी :—

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता (एम0डब्ल्यू0)	कुल जनशक्ति	स्थापित क्षमता की प्रति एम0 डब्ल्यू0 जन-शक्ति
ओबरा	350	2,310	6.6
हरदुआगंज 'अ'	90	1,117	12.4
हरदुआगंज 'ब'	210	1,575	7.5
पनकी	64	817	12.8
नदी तट पावर हाउस	75	1,125	15.0

शक्ति की प्राविधिक समिति ने अपने दिसम्बर 1972 के प्रतिवेदन में कहा कि उत्तर प्रदेश के पावर स्टेशनों में जनशक्ति प्रदेश के बाहर स्थित पावर स्टेशनों की जनशक्ति की अपेक्षा पर्याप्त रूप से अधिक है। समिति ने अनुभव किया कि पनकी और हरदुआगंज 'अ' पावर स्टेशनों में जन-शक्ति 7.5 प्रति एम0 डब्ल्यू0 और ओबरा थर्मल स्टेशन में जन-शक्ति 4 प्रति एम0 डब्ल्यू0 होनी चाहिए।

(घ) कोयले की खपत—विभिन्न ताप विद्युत् स्टेशनों में 1971–72 से 1973–74 तक तीन वर्षों के दौरान कोयले का उपभोग निम्नवत था:—

पावर स्टेशन	प्रति इकाई कोयले का उपभोग किलोग्राम में		
	1971–72	1972–73	1973–74
हरदुआगंज 'अ'	0.71	0.68	0.76
हरदुआगंज 'ब'	0.51	0.53	0.61
ओबरा	0.82	0.82	0.82
पनकी	0.54	0.52	0.55
नदी तट पावर हाउस	0.85	0.88	0.95
अन्य लघु थर्मल स्टेशन	1.11	1.12	1.21

स्थानीय सम्परीक्षण के दौरान देखा गया कि थर्मल पावर स्टेशनों में कोयला तौलने की सुविधा नहीं है। कोयले की प्राप्ति का लेखा रेलवे रसीदों पर दिखलाये गये तौल के आधार पर रखा गया और भट्ठियों को निर्गमित कोयले का लेखा अनुमान के आधार पर रखा गया।

नदी तट बिजली घर एवं लघु ताप विद्युत् स्टेशनों में कोयले की खपत वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि पर है। हरदुआगंज पावर स्टेशन 'अ' में कोयले का उपभोग परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में अपेक्षित उत्पादन की प्रति इकाई पर 0.64 किलोग्राम से कहीं अधिक था। परिषद् की प्रार्थना पर, ताप विद्युत् स्टेशनों में ईंधन संबंधी दक्षता बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल) द्वारा 1973–74 में किया गया। काउन्सिल ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी दी कि परिषद्, कतिपय रूपान्तरण करके, जिन पर 80 से 95 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, अपने ईंधन व्यय में प्रतिवर्ष 2.06 करोड़ रुपये तक की बचत कर सकती है। इन सुझावों पर परिषद् द्वारा अभी तक (मार्च 1975) कार्यवाही नहीं की गई है।

(ङ) **आनुषांगिक खपत**—प्रमुख ताप विद्युत् स्टेशनों में 1971–72 से 1973–74 तक तीन वर्षों के दौरान बिजली की आनुषांगिक खपत का विवरण नीचे दिया गया है:—

1971–72

स्टेशन	उत्पादित इकाइयां (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	आनुषांगिक खपत की इकाई (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	कुल उत्पादित इकाइयों पर आनुषांगिक खपत की इकाइयों की प्रतिशतता
नदी तट पावर हाउस (कानपुर)	386.9	32.3	8.4
पनकी	393.0	34.6	8.8
ओबरा	1,389.2	139.0	10.0
ओबरा एक्सटेंशन स्टेज I	..	..	..
हरदुआगंज 'अ'	439.9	39.3	8.9
हरदुआगंज 'ब'	595.6	61.3	10.3
जोड़	3,204.6	306.5	9.6

1972–73

स्टेशन	उत्पादित इकाइयां (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	आनुषांगिक खपत की इकाइयां (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	कुल उत्पादित इकाइयों पर आनुषंगिक खपत की इकाइयों की प्रतिशतता
नदी तट पावर हाउस (कानपुर)	388.2	31.2	8.0
पनकी	347.6	30.5	8.8
ओबरा	1,356.4	130.3	9.5
ओबरा एक्सटेंशन स्टेज I	..	..	..
हरदुआगंज 'अ'	432.8	41.5	9.6
हरदुआगंज 'ब'	857.2	82.3	9.6
जोड़	3,382.2	315.8	9.3

1973–74

स्टेशन	उत्पादित इकाइयां (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	आनुषांगिक खपत की इकाइयां (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	कुल उत्पादित इकाइयों पर आनुषांगिक खपत की इकाइयों की प्रतिशतता
नदी तट पावर हाउस (कानपुर)	349.4	30.0	8.6
पनकी	387.8	35.4	9.1
ओबरा	1,300.6	116.8	9.0
ओबरा एक्सटेंशन स्टेज I	157.5	13.3	8.5
हरदुआगंज 'अ'	312.2	34.9	11.2
हरदुआगंज 'ब'	814.0	86.8	10.7
जोड़	3,321.5	317.2	9.5

पावर स्टेशनों की परियोजना के प्राक्कलन में आनुषांगिक बिजली की खपत उत्पादन की सात से आठ प्रतिशत तक मानक रूप में स्वीकार की गई है।

ब—**जलविद्युत् केन्द्र**—31 मार्च 1974 को 600.35 एम0 डब्ल्यू0 की स्थापित क्षमता के मुकाबिले 1973–74 में बिजली का वास्तविक उत्पादन 19760.36 लाख यूनिट अथवा स्थापित क्षमता का 37.6 प्रतिशत हुआ। इसका कारण मुख्यत: रिहन्द के अपवाह-क्षेत्र में वर्षा का कम होना एवं अल्प मांग की अवधि में जलविद्युत् इकाइयों के उत्पादन को बन्द करना था। यह देखा गया कि विभिन्न इकाइयों में, जैसा कि नीचे दिखलाया गया है, जनशक्ति का आधिक्य था:—

पावर स्टेशन	स्थापित क्षमता (एम0 डब्ल्यू0)	कुल जनशक्ति	प्रति एम0 डब्ल्यू0 जनशक्ति
रिहन्द	300(6×50)	409	1.36
ओबरा हाइडेल	99(3×33)	300	3.03
खतिमा	41.4(3×13.8)	135	3.26
यमुना स्टेज I			
(क) ढालीपुर	51(3×17)	74	1.45
(ख) ढकरानी	33.75(3×11.25)	76	2.22
माताटीला	30.6(3×10.2)	100	3.26
गंगा नहर, पथरी में लघु पावर स्टेशन	20.4	65	3.18

ढालीपुर पावर स्टेशन की तुलना में, जहां की यूनिट छोटी थी, ओबरा पावर स्टेशन में स्थापित क्षमता की प्रति एम0 डब्ल्यू0 जनशक्ति उच्चतर थी। शक्ति की प्राविधिक समिति ने विचार व्यक्त किया (दिसम्बर 1972) कि "स्पष्टतः ओबरा में प्रति एम0 डब्ल्यू0 जन–शक्ति ढालीपुर की जनशक्ति से किसी दशा में अधिक नहीं होनी चाहिये थी"।

समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया था कि "जलविद्युत् उत्पादक केन्द्र का पूरे तौर पर उपभोग मुख्यतः जल की सुलभता पर निर्भर करता है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में जल विद्युत् उत्पादक केन्द्र उत्पादन के लिये उपलब्ध जल का उपयोग करते है। फिर भी, उत्पादक इकाइयों के लिये जल की उपलब्धता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रिहन्द ऐसे चोटी के केन्द्र में आवश्यक है कि उत्पादन की अधिकतम क्षमता हर समय उपलब्ध रहनी चाहिये। यह आवश्यक है कि ऐसे केन्द्र में नियोजित बंदी एवं बलात् बंदी दोनों ही न्यूनतम हो। समिति को प्राप्त सूचना से यह प्रगट होता है कि रिहन्द पावर स्टेशन में यूनिटों के परिकल्पन कार्य के लिये संयन्त्र की वार्षिक बंदी की अवधि 1970 में यूनिट संख्या 2 में 9 दिनों से, 1968 में यूनिट संख्या 5 में 73 दिन के बीच घटती बढ़ती रही। परिकल्पन के कार्य में लगने वाले समय का यह फैलाव बहुत अधिक है..... समिति की दृष्टि मे जल विद्युत् उत्पादक इकाई को परिकल्पन के लिये सामान्यतः दो सप्ताह से अधिक समय नहीं लेना चाहिये।"

रिहन्द जलविद्युत् उत्पादक केन्द्र में अल्प उत्पादन का कारण जल का उपलब्ध न होना था। परिषद् ने भारत सरकार के मौसम विभाग से परामर्श करके एवं इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मीटिरियोलाजी की सहायता से अगस्त–सितम्बर 1973 में और पुनः जुलाई–अक्टूबर 1974 में बादलों के नामकीय बीजारोपण से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग क्रमशः 4.5 लाख रुपये एवं 7.72 लाख रुपये की लागत से किया। 1973 में किये गये प्रयोग के दौरान बांध का जल स्तर 5 अगस्त 1973 के 798.4 फीट से 23 सितम्बर 1973 को 822 फीट तक बढ़ कर, 23.6 फीट ऊंचा हो गया। प्रयोग की संक्रियाओं के फल का सही आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि किस सीमा तक जलस्तर उठाने में प्राकृतिक वर्षा और किस सीमा तक बादलों के कृत्रिम बीजारोपण ने योगदान दिया उसका अलग–अलग निर्धारण नहीं हो सका। 1974 में हुये परीक्षण के परिणाम का भी समुचित रूप से विश्लेषण नहीं किया गया। जहां इस बात का अंकन किया गया कि 20 जुलाई 1974 से 18 सितम्बर 1974 के बीच जल स्तर 14.7 फीट ऊपर उठा, वहीं दूसरी ओर 19 सितम्बर 1974 से 1 अक्टूबर 1974 के बीच, जब परीक्षण का समापन हुआ, जल स्तर के परिवर्तनों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया। 1973 में नामकीय बीजारोपण प्रक्रिया का चयन किया गया क्योंकि भूमि बीजारोपण व्यवस्था सस्ती होते हुये भी अधिक समय लेती। महंगी प्रक्रिया को 1974 में पुनः अपनाये जाने के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया है।

बिजली की कटौती—परिषद् ने बिजली क्रय करने के साथ–साथ, बिजली की राशनिंग एवं बिजली आपूर्ति में कटौती करने का सहारा लिया। 1972–73 और 1973–74 में बिजली के आपूर्ति समय को प्रतिबन्धित करने के अतिरिक्त, 40 प्रतिशत ऊर्जा की कटौती भी आरोपित की गई।

कैलेण्डर वर्ष 1973 में बिजली आपूर्ति में कटौती के आरोपण के कारण 62,592 श्रमिक काम से अलग कर दिये गये। सरकार द्वारा आकलित मजदूरी एवं उत्पादन की हानि क्रमशः 3.75 करोड़ रुपये और 40.04 करोड़ रुपये की हुई। जनवरी 1974 से अगस्त 1974 की अवधि में 98,787 श्रमिक काम से हटाये गये एवं सरकार द्वारा आकलित मजदूरी और उत्पादन में क्रमशः 1.06 करोड़ रुपये और 14.32 करोड़ रुपये की हानि हुई। कृषि उत्पादन में हुई हानि का कोई विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है।

निर्माण पूरा करके चालू किये गये स्टेशन—परिषद् का गठन किये जाने के बाद के उन एवं प्रमुख उत्पादक बिजलीघरों का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है जिनका निर्माण पूरा करके चालू कर दिया गया।

दिये गये विवरण से प्रगट होगा कि अधिकांशतः विभिन्न परियोजनाओं को चालू करने में पर्याप्त विलम्ब हुआ एवं सभी परियोजनाओं की वास्तविक लागत अपने मूल आकलन से और कुछ की संशोधित आकलन से पर्याप्त मात्रा में अधिक रही।

(2) **चालू किये जाने के बाद व्यय**—परियोजनाओं के चालू किये जाने के बाद भी व्यय का होना जारी रहा एवं चालू की गई परियोजनाओं के लेखे में पड़ता रहा। कुछ मामले, जहां परियोजनाओं के आकलन उनके चालू किये जाने के काफी दिनों के बाद तक खुले रखे गये, विलम्बित समायोजन के साथ नीचे दिये गये हैं:—

परियोजना का नाम	वर्ष जिसमें चालू की गई	वर्ष जिसमें व्यय लिखा गया (लाख रुपयों में)				
		1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
माताटीला हाइडेल	1965–66	0.10	15.20	7.97	0.74	..
हरदुआगंज थर्मल स्टेज II	1965–66	..	36.73	44.04	..	..
हरदुआगंज थर्मल स्टेज III	1968–69	0.49	0.18	13.90	−10.28	−5.62
हरदुआगंज थर्मल स्टेज IV	1972–73	..	..	..	..	39.71
यमुना हाइडेल स्टेज I	1969–70	..	16.72	1.98	12.83	5.71
ओबरा थर्मल	1971–72	..	..	..	0.66	−8.86
ओबरा हाइडेल	1971–72	..	..	..	5.39	27.42

(3) **प्रोत्साहन–योजना**—श्रमिकों की उत्पादकता को उच्चतर बनाने एवं यंत्रों की उपयोग क्षमता अधिक प्राप्त करने के लिये एक तापविद्युत् उत्पादन प्रोत्साहन योजना परिषद् द्वारा नवम्बर 1973 से स्थापित की गई। योजना परीक्षण के तौर पर प्रमुख तापविद्युत् केन्द्रों में (क) एक्सटेन्शन स्टेज I सहित ओबरा थर्मल, (ख) हरदुआगंज 'अ' (ग) हरदुआगंज 'ब' (घ) पनकी और (ङ) रिवर साइड पावर हाउस, कानपुर में चालू की गई।

इस योजना के अन्तर्गत ताप विद्युत् संयंत्रों के सभी कर्मचारियों को जो 2,250 रुपये तक प्रतिमाह मूल वेतन प्राप्त करते है और जो केवल संयंत्र के समय उपयोग (ओ0 पी0 यू0 एफ0) के लिये निर्धारित 55 प्रतिशत या उससे अधिक ऊर्जा के उत्पादन के लिये ही तैनात हैं, निर्धारित दरों पर प्रतिमाह प्रोत्साहन लाभांश देय है।

हरदुआगंज 'अ' विद्युत् केन्द्र तथा नदी तट विद्युत् गृह में कुल 3.78 लाख रुपये (1.26 लाख रुपये हरदुआगंज 'अ' में और 2.52 लाख रुपये नदी तट विद्युत् गृह में) का भुगतान प्रोत्साहन के लिये किया गया, यद्यपि नवम्बर 1973 से मार्च 1974 की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन पिछले दो वर्षों 1971–72 तथा 1972–73 की अनुरूपी अवधि के वास्तविक उत्पादन की तुलना में कम था। ओबरा तथा पनकी विद्युत् केन्द्रों पर, जहां नवम्बर 1973 से मार्च 1974 की अवधि में वास्तविक उत्पादन 1971–72 की अनुरूपी अवधि के वास्तविक उत्पादन की तुलना में कम था, 6.53 लाख

रुपये (2.78 लाख रुपये ओबरा में तथा 3.75 लाख रुपये पनकी में) का भुगतान किया गया। प्रत्येक विद्युत् केन्द्रों के नवम्बर 1973 से मार्च 1974 की अवधि में वास्तविक उत्पादन तथा भुगतान किये गये प्रोत्साहन लाभांश के आंकड़े निम्न लिखित हैं :–

विद्युत् केन्द्र का नाम	नवम्बर 1973 से मार्च 1974 की अवधि में भुगतान किया गया प्रोत्साहन लाभांश (लाख रुपयों में)	नवम्बर से मार्च की अवधि में वास्तविक उत्पादन (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0 में)		
		1973–74	1972–73	1971–72
हरदुआगंज 'अ'	1.26	144	303	211
रिवर साइड विद्युत् गृह	2.52	153	157	174
ओबरा	2.77	596	562	698
पनकी	3.75	184	155	194
हरदुआगंज 'ब	0.52	354	350	257*

इसी प्रकार का भुगतान 1974–75 में भी किया गया है यद्यपि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(4) **उत्पादन सेटों की बिक्री**—(i) चौथी पंच-वर्षीय योजना काल के दौरान परिषद् ने 60.30 मे0 वा0 की सीमा तक पुराने एवं अलाभकर उत्पादक सेटों को निकाल देने का विचार किया। किन्तु 73.525 मे0 वा0 की सीमा तक उत्पादक सेट वस्तुतः निकाले गये (1969–70 में 20.27 मे0 वा0, 1972–73 में 46.78 मे0 वा0 तथा 1973–74 में 6.475 मे0 वा0)।

(ii) निवृत्त किये गये उत्पादक सेटों (73.525 मे0 वा0) में से 53.985 मे0 वा0 के 23 ताप (थर्मल) उत्पादक सेट तथा 8.937 मे0 वा0 के 54 डीजल उत्पादक सेटों की बिक्री परिषद् द्वारा फरवरी 1973 से सितम्बर 1974 की अवधि में खुले टेंडर के आधार पर की गई। निविदा धारकों से बातचीत हुई जिसके दौरान बिक्रय के नियमों और शर्तों में पर्याप्त परिवर्तन स्वीकार किये गये। ताप (थर्मल) उत्पादक सेटों को 2,35.860 लाख रुपयों में तथा डीजल उत्पादक सेटों को 81.739 लाख रुपयों में (बिक्री कर को छोड़कर) बेचा गया। विक्रय किये गये ताप (थर्मल) उत्पादक सेटों का विवरण नीचे दिया गया है :—

सेट का स्थान	क्षमता	चालू करने का वर्ष	टेन्डर में अधिकतम प्रस्ताव (लाख रुपयों में)	बातचीत के दौरान निश्चित उच्चतर मूल्य (लाख रुपयों में)
कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन	1×3 मे0वा0	1922	7.50	..
विद्युत् केन्द्र कासिमपुर (ब्वायलर सहित उत्पादक सेट)	1×10 मे0वा0 1×5 मे0वा0 1×5 मे0वा0	ज्ञात नहीं भाटपारा (बंगाल) से स्थानान्तरित करने के बाद 1944–48 में चालू किया गया	.. 44.28	.. 49.46

*55 एम0 डब्ल्यू0 इकाई का उत्पादन सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसे 1 नवम्बर 1972 से चालू किया गया।

सेट का स्थान	क्षमता	चालू करने का वर्ष	टेन्डर में अधिकतम प्रस्ताव (लाख रुपयों में)	बातचीत के दौरान निश्चित उच्चतर मूल्य
सोहावल विद्युत् गृह (ब्वायलरों के साथ उत्पादक सेट)	2×1.280 मे0वा0 2×1.00 मे0वा0	1938 1949 में पुराना सेट स्थापित किया गया	9.25 7.75	.. ..
रामपुर विद्युत् गृह, रामपुर (ब्वायलरों सहित उत्पादक सेट)	2×1.0 मे0वा0 1×2.2 मे0वा0 1×1.6 मे0वा0 1×3.125 मे0वा0	1940 1940 ज्ञात नहीं है	3.50 3.00 36.00	.. .. ..
इलाहाबाद विद्युत् प्रदेय उपक्रम, इलाहाबाद (ब्वायलरों सहित उत्पादक सेट)	2×1.0 मे0वा0	1928	4.28	..
लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ (ब्वायलरों सहित उत्पादक सेट)	1×1.25 मे0वा0 1×1.25 मे0वा0	1932	7.04	..
बलरामपुर विद्युत् गृह	1×1.0 मे0वा0	1936	0.58	..
गोंडा (ब्वायलरों सहित उत्पादक सेट)	1×2.0 मे0वा0 1×0.4 मे0वा0	ज्ञात नहीं है 1938	1.16 1.27	.. ..
चन्दौसी विद्युत् गृह, चन्दौसी (ब्वायलरों सहित उत्पादक सेट)	3×3.2 मे0वा0	1937	1,01.11	1,05.06

सेटों की बिक्री के विषय में निम्नलिखित मुद्दे विचारणीय हैं :—

(क) टेन्डर फार्मों में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित था कि क्रेता को अपने खर्चे से उत्पादक सेटों तथा ब्वायलरों को खोलना तथा ले जाना होगा। किन्तु निम्नलिखित तीन फर्मों को अपनी वर्तमान जगह पर सेटों को चलाने तथा जमीन, मकान तथा अन्य सुविधाओं जैसे रेलवे साइडिंग क्रेन, औजार एवं संयंत्र, पानी साफ करने वाले उपकरण तथा निवास-स्थान, जो उस स्थल पर उपलब्ध थे, का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई :–

(i) कासिमपुर विद्युत् केन्द्र पर मोदीनगर की एक फर्म 'ए' जिसने दस ब्वायलरों के साथ एक सेट 10 मे0 वा0 का तथा दो सेट 5 मे0 वा0 प्रत्येक के खरीदे।

(ii) लखनऊ की एक फर्म 'बी' जिसने चन्दौसी विद्युत् गृह, चन्दौसी के पांच ब्वायलरों के साथ 3 सेट प्रत्येक 3.2 मे0 वा0 के खरीदे।

(iii) मुजफ्फरनगर की एक फर्म 'सी' ने रामपुर विद्युत गृह से 1.6 मे0 वा0 का एक सेट तथा 3.125 मे0 वा0 का एक और सेट क्रय किया।

इसकी भी सहमति दी गई कि उत्पादित विद्युत् को तीनों फर्मों के विभिन्न कारखानों या उनसे संलग्न कारखानों को परिषद् की वितरण प्रणाली द्वारा संचारित किया जायेगा।

चन्दौसी विद्युत गृह के सेट के मामले में फर्म 'बी' ने शुरू में 57.51 लाख रुपये का दाम लगाया पर बाद में मूल्य बढ़ाकर 1,05.06 लाख रुपये कर दिया, इस आधार पर कि उसे सेटों को

वर्तमान जगह पर ही चलाने की अनुमति दी जाय । अन्य दोनों मामलों में विक्रय मूल्य बिना इस समझौते के निश्चित किया गया ।

(ख) फर्म 'ए' के मामले में 4 दिसम्बर 1973 को विक्रय का आदेश इस अनुबन्ध के साथ दिया गया कि सेटों को खोलकर हटा लिया जाय। हालांकि, सेटों को चालू रखने की अनुमति फर्म की प्रार्थना पर 25 जनवरी 1974 को लिये गये एक निर्णय के आधार पर दी गई। तीन वर्ष के लिये किया गया यह अनुबन्ध बाद में वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता था, इस आशय का एक समझौता फर्म से 7 फरवरी 1974 को किया गया। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें थीं :—

(i) उत्पादित एवं प्राप्त विद्युत् सहायक कारखानों तथा आवासीय बस्तियों के उपभोग से बचने के बाद परिषद् के ग्रिड को दे दी जायेगी। 5½ प्रतिशत रूपान्तरण तथा पारेषण हानि घटाने के बाद यह बिजली मोदीनगर तथा मोदीपान के निर्दिष्ट कारखानों को दी जायेगी। परिषद् ½ पैसा प्रति यूनिट की दर से व्हीलिंग प्रभार प्राप्त करेगी । यह आपूर्ति परिषद् द्वारा उन कारखानों को सामान्य आपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

(ii) 61,239 वर्ग मीटर जमीन के लिये जिसमें 3,755 वर्ग मीटर का निर्मित स्थान भी शामिल है, 50,000 रुपया प्रति वर्ष किराया परिषद् को दिया जायेगा । एक निरीक्षण भवन, रेलवे साइडिंग तथा क्रेन का निःशुल्क उपयोग करने के लिये भी फर्म 'ए' को अनुमति दी गयी। समझौते में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि देय विद्युत् शुल्क का निर्धारण उसकी वसूली तथा उसे सरकारी खाते में जमा करवाने के लिये कौन जिम्मेदार होगा। फर्म 'सी' के मामले में विक्रय आदेश 27 फरवरी, 1974 तथा 28 मई 1974 को इस शर्त के साथ दिये गये कि सेटों को खोलकर हटा लिया जायेगा। किन्तु संबंधित क्रेता ने 29 मई 1974 से बिना किसी लिखित प्राधिकार के उत्पादन प्रारम्भ कर दिया तथा इस प्रकार की उत्पादित ऊर्जा को बिना किसी इस आशय के विस्तृत समझौते के, परिषद् के ग्रिड को दे दिया। करारनामा अभी भी (जून 1975) पक्का होना है।

फर्म 'बी' के मामले में 19 जुलाई 1974 को पारित विक्रय आदेश में ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान स्थान पर करना अनुबन्धित था। नियम और शर्तों के विस्तृत विवरण के बारे में अभी तक (जून 1975) बातचीत चल रही है। सेट पर कब्जा 19 जुलाई 1974 को क्रय-मूल्य का एक तिहाई भाग के भुगतान के बाद दे दिया गया, बाकी रकम 2 सितम्बर 1974 तक भुगतान करनी थी किन्तु परिषद् इस तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1974 करने पर सहमत हो गई। बाकी रकम का भुगतान बढ़ी हुई तिथि के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) सेटों की बिक्री के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि यह सेट प्रदेश के उद्योगपतियों को उनके निजी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिये उपलब्ध हो सकें। किन्तु कुल 6.25 मे0 वा0 क्षमता के पाँच उत्पादक सेटों की बिक्री प्रदेश के बाहर की एक संस्था महाराष्ट्र मशीनरी, बम्बई को की गई ।

(घ) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान राज्य में विद्युत का अत्यधिक संकट उपस्थित हुआ था जिसके कारण सभी वर्ग के विद्युत् उपभोक्ताओं पर 40 प्रतिशत की कटौती लागू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यद्यपि क्षमता में वृद्धि के लिये निर्धारित लक्ष्य का 35.5 प्रतिशत ही प्राप्त किया गया था पर जैसा कि ऊपर बताया गया है और अधिक उत्पादक सेटों की निवृत्ति कर दी गई।

(च) 26 अप्रैल 1974 से 3 मई 1974 तथा फिर 13 जुलाई 1974 से 28 जुलाई 1974 के दौरान परिषद् ने वस्ती शुगर मिल से 1,02,720 इकाई (यूनिट) विद्युत् क्रय की। ऊर्जा की सर्वत्र कमी की वजह से, राज्य सरकार जहाँ से भी मिले वहाँ से लेकर उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विद्युत् की पूर्ति करने को इच्छुक थी, बशर्ते कि लागत प्रति

इकाई 2 रुपये से अधिक न हो। चीनी मिल से खरीदी गयी विद्युत् का मूल्य 81 पैसे से 135 पैसे प्रति यूनिट था, जिसमें 28,300 यूनिट का काल्पनिक क्रय सम्मिलित था जिसे चीनी मिल द्वारा ही वस्तुतः इस्तेमाल किया गया था, परन्तु जिसे चीनी मिल द्वारा परिषद् को उपरोक्त दरों पर बेचा गया तथा उसे परिषद् द्वारा अपने सामान्य शुल्क दर पर चीनी मिल को पुनः बेचा गया मान लिया गया।

अपने सामान्य शुल्क दर पर चीनी मिल से प्राप्त धनराशि को घटा देने के बाद परिषद् द्वारा वस्तुतः प्राप्त 74,420 यूनिटों के लिये दी गई धनराशि (96,225 रुपये) के हिसाब से खरीदी बिजली की औसत लागत प्रति यूनिट 123 पैसे थी। इसके विपरीत, निवृत उत्पादक सेटों में प्रति यूनिट उत्पादन लागत 25 से 30 पैसे थी ।

एक अन्य मामले में, फैजाबाद की एक चीनी मिल से 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर 750–1,000 कि0 वा0 विद्युत् प्राप्त करने के लिये परिषद् ने अक्टूबर 1974 के अन्त तक लाईन के निर्माण पर 1.18 लाख रुपये (कुल अनुमानित लागत 1.71 लाख रुपये) खर्च किये । यद्यपि अभी तक (अप्रैल 1975) चीनी मिल से कोई आपूर्ति नहीं प्राप्त की गई है क्योंकि इस बारे में अभी भी बातचीत चल रही है।

11. पारेषण एवं वितरण

(1) परिषद् के सभी जल एवं ताप विद्युत् केन्द्र आपस में एक-दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की वोल्टेज की पारेषण लाइनों द्वारा अन्तर्सम्बद्ध हैं और यह व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से विलयित है।

220 के0 वी0 की अन्तर्सम्बद्ध मुख्य लाइनें निम्नलिखित हैं:—

(i)	220 के0वी0डी0सी0	साहूपुरी–ओबरा, इलाहाबाद, हरदुआगंज
(ii)	220 के0वी0एस0सी0	हरदुआगंज–मुरादाबाद लाइन
(iii)	220 के0वी0एस0सी0	सुल्तानपुर–गोरखपुर लाईन
(iv)	220 के0वी0एस0सी0 (डी0 सी0 खंभों पर)	लखनऊ–कानपुर लाईन
(v)	220 के0वी0एस0सी0	ओबरा–इलाहाबाद तीसरी सर्किट
(vi)	220 के0वी0 एस0 सी0	यमुना स्टेज II—मोदीनगर बाया शामली
(vii)	220 के0वी0एस0सी0	यमुनास्टेज II—ऋषिकेश
(viii)	220 के0वी0एस0सी0	ऋषिकेश–मेरठ

(2) **पारेषण व्यवस्था का विकास**—(क) योजना के अनुसार उत्पादन क्षमता की उपलब्धि, अधिकतम माँग और पारेषण की लम्बाई तथा वितरण लाइनें निम्न हैं:—

के अन्त तक	स्थापित क्षमता (एम0डब्लू0)	अधिकतम माँग (एम0डब्लू0)	सर्किट की लम्बाई कि0 मी0		
			66 के0 वी0 और उससे अधिक	37.5/33 के0वी0	11 के0 वी0 और उससे कम
मार्च 1951	125	130	473	1,426	7,040
पहली पंच–वर्षीय योजना (मार्च 1956)	222	200	1,196	2,254	12,470
दूसरी पंच वर्षीय योजना (मार्च 1961)	290	259	2,000	3,462	20,936

के अन्त तक	स्थापित क्षमता (एम0डब्ल्यू)	अधिकतम माँग (एम0डब्ल्यू)	सर्किट की लम्बाई कि0मी0		
			66के0वी0 और उससे अधिक	37.5/33 के0वी0	11 के0वी0 और उससे कम
तीसरी पंच-वर्षीय योजना (मार्च 1966)	861	558	4,267	6,736	44,771
वार्षिक योजना (मार्च 1969)	1,136	978	8,313	9,828	86,920
चौथी पंच-वर्षीय योजना (मार्च 1974)	1,529	1,735	9,910	14,880	1,50,105

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के अनुसार 66 के0वी0 और उससे अधिक की अति-तनाव वाली पारेषण लाइनों का निर्माण कार्यक्रम 4,500 सर्किट कि0मी0 था तथा मार्च 1974 के अन्त तक उपलब्धि 1,598 सर्किट कि0 मी0 थी।

(3) **निवेश**—ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में स्थायी परिसंपत्ति में निवेश के ब्यौरे प्रत्येक वर्ष 1969-70 से 1973-74 के अन्त तक, नीचे दिये गये हैं:—

वर्ष	स्थापित क्षमता (एम0 डब्ल्यू0)	संबंधित भार (एम0 डब्ल्यू0)	स्थायी परिसम्पत्तियां		
			उत्पादन	पारेषण	वितरण
			(लाख रुपयों में)		
1969-70	1,194	20,89,579	27,604	8,527	12,447
1970-71	1,260	24,55,594	31,370	9,926	14,315
1971-72	1,398	22,27,538	34,911	11,329	16,935
1972-73	1,406	30,05,910	40,145	12,973	20,127
1973-74	1,529	34,13,016	44,032	15,297	22,484

भारत की ऊर्जा सर्वेक्षण कमेटी (1965) ने यह इंगित किया कि पारेषण और वितरण में निवेशित राशि उत्पादन में निवेशित राशि के बराबर होनी चाहिये। सिंचाई एवं विद्युत् मंत्रालय द्वारा स्थापित विद्युत् मितव्ययिता कमेटी ने अपनी मार्च 1971 की रिपोर्ट में भी इस मुद्दे पर जोर दिया। परिषद् द्वारा पारेषण और वितरण पर निवेशित धनराशि उत्पादन पर निवेशित धनराशि की लगभग 86 प्रतिशत है। विद्युत् की प्राविधिक कमेटी ने अपनी दिसम्बर 1972 की रिपोर्ट में दिखाया कि एक ओर उत्पादन तथा दूसरी ओर पारेषण और वितरण पर अब तक किये गये निवेश के एक अध्ययन से पता चला, कि निवेश में असंतुलन है जिसके फलस्वरूप, पारेषण और वितरण व्यवस्था उपलब्ध उत्पादन के साथ साथ नहीं बढ़ सकी।

(4) **विकसित की गई सुविधाओं का विश्लेषण**—निम्नलिखित सारणी में मार्च 1973 के अन्त तक विकसित की गई पारेषण और वितरण सुविधाये दर्शाई गई हैं। मार्च 31, 1974 तक लाइन की लम्बाई तथा वितरण परिवर्त्तकों (ट्रांसफार्मर) की क्षमता परिषद् के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि कुछ इकाइयों से सूचनायें प्राप्त नहीं हुई थीं (अप्रैल 1975)।

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
(i) कुल स्थापित क्षमता (एम0 डब्ल्यू0)	1194	1260	1398	1406
(ii) लाइनों की कुल लम्बाई (सर्किट/कि0मी0)	1,08,770	1,23,172	1,41,928	1,57,969
(iii) वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता (एम0वी0ए0)	1,997	2,141	2,522	उपलब्ध नहीं
(iv) सेवाओं की संख्या—				
(क) कुल	7,50,189	8,49,535	9,68,363	11,22,307
(ख) लाइनों की प्रति सर्किट कि0मी0 औसत	7	7	7	7
(ग) वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता की प्रति एम0 वी0 ए0	376	397	384	उपलब्ध नहीं
(v) विक्रय की गई इकाइयां—				
(क) कुल	3699	4277	4475	4790
(ख) लाइन की प्रति सर्किट किलोमीटर का औसत (के0 डब्ल्यू0 एच0)	34,008	34,724	31,530	30,302
(ग) वितरण ट्रान्सफार्मर क्षमता का प्रति एम0 वी0ए0 औसत (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	1.85	2.00	1.77	उपलब्ध नहीं
(vi) उपार्जित कुल राजस्व—				
(क) लाइन का प्रति सर्किट किलोमीटर का औसत (रुपए)	4,675	4,646	4,275	4,841
(ख) वितरण ट्रान्सफार्मर क्षमता का प्रति एम0 वी0 ए0 का औसत (लाख रुपयों में)	2.74	2.89	2.67	उपलब्ध नहीं
(ग) विक्रय की गई प्रति के0 डब्ल्यू0 एच0 का औसत (पैसे)	14.8	14.5	15.1	16.0

जबकि पारेषण तथा वितरण लाइनों की लम्बाई बढ़ती रही है, लाइनों के प्रति सर्किट किलोमीटर पर उपभोक्ताओं की संख्या स्थिर थी।

(5) **सामानों का आवश्कता से अधिक निर्गमन**—कुछ सम्पन्न किए जा चुके निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राक्कलन अथवा लाइन चार्टों (कार्य सम्पन्न करने के बाद तैयार किए गए) के संदर्भ में, निर्माण सामग्रियों की खपत का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि सामग्रियां आवश्यकता से अधिक निर्गमित की गई थीं।

इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:—

खण्ड का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	अधिक निर्गमित सामग्रियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, गोरखपुर	दिसम्बर 1971 से सितम्बर 1972	2	0.19
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, आजमगढ़	जनवरी 1972 से जुलाई 1972	4	0.38
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, इलाहाबाद	मार्च 1972 से अगस्त 1972	8	0.29
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, सुल्तानपुर	मई 1972 से अक्तूबर 1972	8	0.70
विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, सुल्तानपुर	मई 1972 से सितम्बर 1972	19	0.49
	अक्तूबर 1972 से मार्च 1973	29	0.74
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, मैनपुरी	जून 1972 से नवम्बर 1972	1	0.16
विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, लखीमपुर	जून 1972 से नवम्बर 1972	6	0.67
	जोड़	..	3.62

(6) **प्राक्कलनों की स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन**—परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों में अपेक्षित है कि मरम्मत तथा अनुरक्षण के छोटे-मोटे कार्यों को छोड़कर, सभी निर्माण कार्यों का निष्पादन नियत प्राधिकारी से प्राक्कलनों की संस्वीकृति मिलने के बाद ही होना चाहिए। किन्तु स्थानीय लेखा परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन, बिना प्राक्कलन की स्वीकृति के किया गया—

खण्ड का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय किया गया	
		अवधि तक	धनराशि
			(लाख रुपयों में)
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	35	सितम्बर 1974	23.94
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, सुल्तानपुर	78	अगस्त 1974	1,73.60
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, लखनऊ	32	अक्तूबर 1973	2,17.95
विद्युत् पारेषण निर्माण खण्ड, आजमगढ़	28	जुलाई 1974	49.85*

*14 सम्पन्न कार्य सम्मिलित हैं जिनमें 29.69 लाख रुपए खर्च हुए।

पारेषण और वितरण की लागत

निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1969–70 से 1972–73 तक पारेषण और वितरण की लागत दर्शायी गई है:—

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
(i) लाइनों की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर)	108770	123172	141928	157969
(ii) क्रियान्वयन और अनुरक्षण मूल्य—				
(क) पारेषण (लाख रुपयों में)	84.81*	3,05.52	3,28.33	3,38.37
(ख) वितरण (लाख रुपयों में)	4,04.78*	7,88.59	9,32.53	12,93.15
(iii) स्थायी मूल्य—				
(क) पारेषण (लाख रुपयों में)	1,43.95	5,15.94	5,31.66	5,69.22
(ख) वितरण (लाख रुपयों में)	6,88.79	7,53.34	7,30.94	10,19.37
(iv) उपार्जित राजस्व (लाख रुपयों म)	50,85	57,22	60,67	76,48
लाइन की प्रति सर्किट किलोमीटर पर उपार्जित राजस्व (रुपए)	4,675	4,646	4,275	4,841
(v) लाइन की प्रति सर्किट किलोमीटर पर व्यय—				
(क) अनुरक्षण और क्रियान्वयन (रुपए)	450	888	888	1,033
(ख) स्थायी प्रभार (रुपए)	766	1,030	889	1,006
(ग) जोड़ (रुपए)	1,216	1,918	1,777	2,039
(vi) बेची गई यूनिटें (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	36.99	4277	4475	4790
(vii) प्रति के0 डब्ल्यू0 एच0 का विक्रय मूल्य—				
(क) क्रिया वन और अनुरक्षण प्रभार (पैसे)	1.32	2.55	2.81	3.40
(ख) स्थायी प्रभार (पैसे)	2.24	2.96	2.81	3.31
(ग) जोड़ (पैसे)	3.36	5.51	5.62	6.71

*आंकड़ों में मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं क्योंकि परिषद् द्वारा उसका विनिधान (एलोकेशन) नहीं किया गया था।

नोट—परिषद् के पास 31 मार्च 1974 तक लाइनों की लम्बाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे क्योंकि कुछ इकाइयों से सूचनायें प्राप्त नहीं हुई थीं (दिसम्बर 1974)।

पारेषण तथा वितरण पर परिचालन और अनुरक्षण तथा निश्चित प्रभार प्रति वर्ष (1971-72 को छोड़ कर) बढ़ रहे हैं। 1971–72 में निश्चित प्रभार में कमी, चालू कामों में लगी पूंजी पर ब्याज का पूंजीकरण किये जाने के कारण हुई ।

निश्चित प्रभार में वृद्धि, पावर की बिक्री में बिना तदनुरूप वृद्धि हुये पूंजीगत परिव्यय के बढ़ जाने के कारण थी ।

12. पद्धति हानियां तथा चोरियां

(1) **पद्धति हानियां**—(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने सिफारिश किया था (अप्रैल 1967) कि इ0 एच0 टी0 की पारेषण हानियां (220, 132 तथा 66 के0 वी0) 4 प्रतिशत और उप पारेषण तथा वितरण हानियां 11 प्रतिशत के अन्दर रखी जानी चाहिये, इस प्रकार पद्धति के अन्दर पारेषण हानियों की कुल सीमा 15 प्रतिशत होनी चाहिये ।

(ख) परिषद् को विद्युत् उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के कार्यों में कार्य दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा की चोरी और हानियों को कम करने के उपाय आदि पर सुझाव देने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित (मार्च 1972) शक्ति की प्राविधिक समिति ने अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर 1972) में बताया कि परिषद् की वास्तविक प्रविधिक हानियां 16.3 प्रतिशत के लगभग होनी चाहिये। समिति ने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों के लिये भी, जो हिसाब में लिये जाने से बच गये हों, छूट देने के बाद हानियों का कुल प्रतिशत 17.5 से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ग) वर्ष 1969–70 से 1973–74 तक कुल उत्पादित तथा खरीदी गई ऊर्जा एवं विक्रय की गई ऊर्जा और पद्धति हानियों की सीमा नीचे दर्शायी गई हैं—

(एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0 में)

वर्ष	विक्रय के लिये प्राप्त इकाइयां	विक्रय की गई इकाइयां	कर्मचारियों को निःशुल्क संभरित इकाइयां	हानि हुई इकाइयां	हानि की प्रतिशतता
1969–70	4737.81	3699.25	12.52	1026.04	21.7
1970–71	5613.76	4277.37	13.37	1323.02	23.6
1971–72	5968.25	4475.32	10.64	1482.29	24.8
1972–73	6623.89	4790.23	13.86	1819.80	27.5
1973–74	6015.69	4309.68	12.56	1693.45	28.1

उपरोक्त सारणी से यह प्रकट होता है कि राज्य में पद्धति हानियां वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं और वर्ष 1969–70 से 1973–74 के दौरान शक्ति की प्राविधिक समिति द्वारा निर्धारित 17.5 प्रतिशत की सीमा से काफी मात्रा में अधिक थीं ।

पद्धति हानियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के मुख्य कारण जो परिषद् द्वारा बताये गये (अप्रैल 1972) वे यह हैं—(i) कम तनाव वाली लाइनों में अधिक भार देना, (ii) अधिकतम भार की

पूर्ति के लिये पूरब से पश्चिम की ओर विद्युत् का वापस लौटाना (iii) ग्रामीण आपूर्ति का निम्न भार तत्व तथा (iv) विद्युत् की चोरी और छीजन ।

(घ) इस बात का ध्यान करते हुये कि वर्ष 1969–70 से 1972–73 के दौरान पद्धति हानियों का सर्व भारतीय औसत 16.8 से 19.9 प्रतिशत के अन्दर था तथा राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उस अवधि में पद्धति हानियां 10 प्रतिशत से कम थीं, उत्तर प्रदेश की पद्धति हानियां अधिक थीं ।

पद्धति हानियों को 1 से 2 प्रतिशत तक कम करने के लिये परिषद् द्वारा ऊंचे वोल्ट की लाइनों/उप केन्द्रों के निर्माण तथा धारित्रों (केपेसिटेंटर) की स्थापना करने के लिये वर्ष 1972–73 में 2 करोड़ रुपये तथा 1973–74 में 4 करोड़ रुपये (वर्ष 1973–74 के लिये संशोधित अनुमान में कम करके 1.32 करोड़ रुपये) का प्राविधान किया गया । परिषद् ने, मंडल अनुसार, क्षेत्रानुसार या यहां तक कि उच्च तनाव/निम्न तनाव पर होने वाली पद्धति हानियों का विश्लेषण नहीं किया । इसलिये पद्धति हानियों को कम करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी । इस संबंध में शक्ति की प्राविधिक समिति ने दिसम्बर 1972 में यह टिप्पणी की कि "इस समय उत्तर प्रदेश विद्युत् पद्धति में अलग-अलग संभरकों, फीडरों, या क्षेत्रों में हुई लाइन हानियों को ज्ञात करने के लिये पर्याप्त मापक (मीटर) सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । परिक्षेत्र अनुसार या खंड अनुसार हानियों का किसी प्रकार का विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है । यहां तक कि परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन संभरकों के साथ इस प्रकार के मीटर उपलब्ध थे उनकी परिशुद्धि तथा क्रिया प्रणाली की विशुद्धता संदिग्ध है । परिणामतः यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि कहां पर लाइन हानियां बहुत अधिक हैं और इसलिये इन उच्च हानि वाले खंडों में लाइन हानियों का निराकरण करने के उपाय करना या इस प्रकार की हानियों के लिये दायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।"

(2) **हानियों के कारण**—फरवरी 1972 में परिषद् के कुछ चुने हुये वरिष्ठ अधिकारियों की एक उप–समिति लाइन हानियों की जांच तथा हानियों को कम करने एवं उपाय बतलाने के लिये परिषद् द्वारा गठित की गई। उप–समित ने मई 1972 में रिपोर्ट दी कि लाइन हानियों में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से थी—

(i) अधिकांश छोटे तथा मझोले ऊर्जा उपभोक्ता संस्थानों में संस्थापित छोटी मोटरों के अधिक प्रेरक भार की वजह से उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता सिरा तक अधिक अभिक्रियाशील धारा का बहाव जिसके परिणामस्वरूप समग्र पद्धति शक्ति तत्व (ओवर आल सिस्टम पावर फैक्टर) के सामान्य स्तर 0.8 के विरुद्ध व्यस्ततम काल के दौरान यह तत्व लगभग 0.07 ही था ।

(ii) वोल्टेज की अत्यधिक गिरावट, जो काफी मामलों में 12 से 30 प्रतिशत के अन्दर थी, ग्रामीण लाइनों की लम्बाई तथा भार उनकी अभिकल्प क्षमता से 1.5 से लेकर 5 गुणा तक अधिक होने के कारण हुई । वोल्टेज का घट–बढ़ उपभोक्ता की छोर पर 5 प्रतिशत तथा पद्धति की छोर पर 12½ प्रतिशत (उत्तर प्रदेश पद्धति में 14 प्रतिशत) अनुमेय है । निम्न वोल्टेज की हालत में मोटर भार अधिक करेन्ट खींचता है जिसके कारण विक्रय की गई ऊर्जा की तुलना में हानियां असंगत रूप से अधिक हुई ।

(iii) कृषि के लिये प्रयुक्त बिजली का भार केवल मौसमी होने के कारण तथा वह भी दिन में केवल कुछ घंटे चलने के कारण वितरण व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान होने वाली अधिक लौह–हानि (1.35 प्रतिशत) ।

(iv) ऊर्जा की छीजन तथा चोरियां,

(v) उपभोक्ताओं के धीमे चलने वाले मीटर, तथा

(vi) अपर्याप्त बिल बनाना, खातों में अधूरी प्रविष्टियां तथा खराब या रुके हुये मीटरों वा या ताला बन्द भवनों के उपभोक्ताओं का शुल्क निर्धारण न करना ।

(3) **वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान हानियों में वृद्धि**—प्रबंधकों ने पद्धति हानियों में तीव्र वृद्धि के निम्नलिखित कारण बताये (सितम्बर 1974) :—

(i) पहली जनवरी 1972 से संबंधित भार पर स्थायी प्रभार के रूप में समान दर पर शुल्क–दर लागू करने की वजह से राज्य नलकूपों के दोषपूर्ण मीटरों को नहीं बदला गया तथा अधिकांश खंडों में राज्य नलकूपों के द्वारा किये गये उपभोग का लेखा नहीं रखा गया ।

(ii) पहली जनवरी 1972 से न्यूनतम गारंटी समाप्त कर देने के कारण निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं द्वारा व्यापक स्तर पर ऊर्जा की चोरी ।

(iii) ऊर्जा की कमी जिसके कारण पारी लगाना (रोस्टर करना) आवश्यक हो गया, परिणामतः वितरण लाइनें (11 के0 वी0 और 66 के0 वी0) या तो कई घंटों तक बिना किसी भार के या कुछ निश्चित घंटों के लिये जब बिजली दी जाती थी पूर्ण भारयुक्त रहती थीं फलस्वरूप हानि में वृद्धि 11 के0 वी0 लाइन में लगभग 100 प्रतिशत तथा 33 और 66 के0 वी0 लाइनों में करीब–करीब 43 प्रतिशत थी ।

(4) **हानियों को कम करने के उपाय**—परिषद् द्वारा नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिकारियों की उपसमिति तथा शक्ति की तकनीकी समिति द्वारा पद्धति–हानियों को कम करने के जो उपाय तथा उन उपायों को वस्तुतः कार्यान्वित करने के ढंग सुझाये हैं उनका विश्लेषण नीचे दिया गया है—

(क) ऊर्जा तत्व (पावर फैक्टर) में सुधार के लिये सभी मोटर–भार उपभोक्ताओं के छोर पर धारित्र (कैपेसिटेटर) उपलब्ध कराना—परिषद् ने 15 अगस्त 1974 से यह अनिवार्य कर दिया कि सभी नये प्रेरक मोटर (इन्डक्शन मोटर,) उपभोक्ताओं को उपयुक्त योग्यता वाले धारित्रों की स्थापना उनके छोरों पर करनी पड़ेगी । प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1974) कि यह प्राविधान वर्तमान उपभोक्ताओं (लगभग 5 लाख) के बारे में लागू नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक संख्या में सही कोटि के धारित्र उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) लाइनों की बढ़ोतरी तथा वर्तमान लाइनों तथा फीडरों के पुनर्वर्गीकरण के लिये सिद्धांत निश्चित करना–उप–समिति ने सुझाव दिया कि (i) सामान्य योजनागत आवंटन में नियत 125 उपकेन्द्रों के अतिरिक्त 33/11 के0 वी0 की 42 और उप केन्द्रों का निर्माण तथा (ii) फीडरों को विभाजित तथा पुनर्वर्गीकरण के लिये 1170 किलो मीटर 11 के0 वी0 लाइनों का निर्माण कराया जाय ।

सितम्बर 1974 में यह बताया गया कि उपरोक्त कार्य 35 प्रतिशत सम्पूर्ण हो गया है तथा बाकी कार्य 1974–75 में पूरा किया जायेगा बशर्ते आर्थिक सुविधायें उपलब्ध हों । किन्तु साधारण योजनागत आवंटनों के अधीन 33/11 के0 वी0 के लगभग 170 उप–केन्द्रों का निर्माण बाकी था ।

(ग) उचित क्षमता के वितरण ट्रान्सफारमरों का उपयोग—परिषद् द्वारा निम्न–भारित ट्रान्सफारमरों को कैपेसिटी ट्रान्सफारमरों में बदलने के लिये कार्यवाही नहीं की गई (अप्रैल 1975) ।

(घ) चोरियों को रोकने के लिये उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करना—परिषद् द्वारा चारों परिक्षेत्रों में चोरी से संबंधित मामलों को कारगर रूप से निपटाने के लिये प्रत्येक में विशेष मजिस्ट्रेट के एक सचल न्यायालय की स्थापना की गई (सितम्बर 1974) ।

(ङ) उपभोक्ताओं के ऊर्जा मीटरों की बराबर जांच करने के लिये मीटरी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।

(च) उन उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराना, जिन्हें मीटर के बिना आपूर्ति की गई थी ।

(छ) उपभोक्ताओं के स्थानों पर मीटर तथा उसके ढक्कन पर ताला सील (लाक सील) से युक्त ऐसे मीटर के ढक्कन की व्यवस्था करना जिसमें कोई गड़बड़ी न की जा सके ।

परिषद् ने (सितम्बर 1974) कहा कि उपरोक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिये प्रति वर्ष 1.20 लाख रुपये की आवर्ती निधि तथा 4 लाख रुपये अनावर्ती निधि की आवश्यकता होगी और निधि उपलब्ध होने पर इन सुझावों का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

(ज) पद्धति के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त तथा उपभुक्त उर्जा का लेखा—प्रबन्धकों ने कहा (सितम्बर 1974) कि 11 के0 वी0 फीडरों की कुल संख्या (3,000) का 50 प्रतिशत मीटर विहीन था । काफी संख्यक 11 के0 वी0 फीडरों में लगे मीटर भी निष्क्रिय थे । इसलिये सुझावों के कार्यान्वयन के लिये 2,000 तीन फेज तीन तार के0 डब्ल्यू0 एच0 मीटर, 100 पोटेनशीयल ट्रान्सफारमर, 1,000 धारा ट्रान्सफारमर, 2.5 लाख एक फेज मीटर तथा 70,000 तीन फेज मीटरों की आवश्यकता थी । यह कहा गया कि सुझावों का कार्यान्वयन उपयुक्त सामग्रियों तथा निधियों के प्राप्त होने पर किया जायगा ।

(5) **ऊर्जा की चोरी**—तांबे के कन्डक्टरों, ट्रान्सफारमरों और उर्जा की चोरी को रोकने और पकड़ने के लिये परिषद् ने 1970–71 में राज्य के चार पश्चिमी जिलों के लिये एक इन्फोर्समेन्ट दल (मुख्यालय अलीगढ़ में) गठित किया । दल के मुखिया पुलिस अधीक्षक हैं जिनकी सहायता के लिये प्रत्येक जिले में दो चलित दल, जिसके कार्यभारी एक सर्किल पुलिस इन्सपेक्टर तथा साथ में एक लाइन इन्सपेक्टर, एक लाइन–मैन और दो–सिपाही हैं । 1973–74 के दौरान तीन अन्य जिले इस योजना के अन्तर्गत लाये गये ।

पहली अप्रैल 1974 से 15 अक्टूबर 1974 की अवधि में 345 मामले पकड़े गये । गत दो वर्षों (1972–73 और 1973–74) को तदनुरूपी अवधि में दल द्वारा ऊर्जा की चोरी पकड़ने के मामलों की संख्या क्रमशः 65 और 136 थी ।

इस सम्बन्ध में ऊर्जा–चोरी विषयक निम्नलिखित सूचनायें, जो परिषद् से मांगी गई थीं (दिसम्बर 1974), अभी भी (अप्रैल 1975) प्रतीक्षित हैं ।

(i) मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा शुरू हो गया था,

(ii) दोष सिद्ध हुए मामलों की संख्या,

(iii) सफल दोष–सिद्धि पर वसूल किया गया राजस्व ।

लाइन से ऊर्जा की हानि के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिये परिषद् द्वारा फरवरी 1972 में नियुक्त उप–समिति ने बताया था कि चोरी और ऊर्जा के क्षरण, उपभोक्ताओं के सुस्त मीटरों, अपूर्ण बिल बनाने और दोषपूर्ण अथवा बन्द मीटरों से उपभोक्ताओं का मूल्यांकन न होने के कारण 1971–72 में ऊर्जा की हानि लगभग 50 करोड़ यूनिटें थीं (अर्थात् बिक्री के लिये सुलभ कुल ऊर्जा का 8.3 प्रतिशत) ।

13. **ग्रामीण विद्युतीकरण**

(1) विद्युत् विकास के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि ग्रामों में प्रधान रूप से निजी नल-कूपों और पम्प सेटों को चलाने के लिये बिजली दी जाय जिससे अच्छी सिंचाई सुविधायें उत्पन्न हों और ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास हो ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण पर 51.10 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । विद्युतीकरण हुए ग्रामों की संख्या 12,926 और राजकीय तथा निजी नल-कूपों/पम्पसेटों की संख्या जिनको बिजली दी गई, क्रमशः 8,780 और 65,513 थी। चौथी योजना की अवधि में विद्युतीकरण हुए ग्रामों और नल-कूपों/पम्प सेटों, जिनको ऊर्जीकृत किया गया, पर हुआ व्यय नीचे इंगित है :—

वर्ष	व्यय हुआ	विद्युतीकरण किये गये ग्राम	नल-कूप/पम्प सेट जिनको बिजली दी गई	
			सरकारी	प्राइवेट
	(करोड़ रुपयों में)			
1969–70	18.52	4,410	389	26,464
1970–71	16.28	3,383	475	24,644
1971–72	26.13	3,036	794	30,665
1972–73	30.80	3,166	865	36,001
1973–74	29.44	2,844	912	33,159
चौथी पंच वर्षीय योजना में	1,21.17	16,839	3,435	1,50,933
31 मार्च 1974 के अन्त तक	1,72.27	29,765	12,215	2,16,446

(2) **ग्रामों का विद्युतीकरण**—(क) **योजनाओं का निरूपण**—ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये ग्रामों का चयन किया गया था जो निम्नवत् निर्धारित किया गया था :—

(i) योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामों के लिये निवेशित पूंजी का 10 प्रतिशत, और

(ii) ग्रामों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों पर निवेशित पूंजी का 15 प्रतिशत, यथा समय ।

निम्नांकित के लिये निवेशित पूंजी के प्रतिशत प्रतिलाभ की निम्न दर निर्धारित की गई :—

(अ) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और देहरादून जिलों के पर्वतीय क्षेत्र,

(ब) झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों वाला बुन्देलखण्ड क्षेत्र, और

(स) भीषण सूखे से प्रभावित मिर्जापुर जिला, वाराणसी जिले की चकिया तहसील और इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें ।

(ख) **विद्युतीकरण**—(i) विभिन्न योजना अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति नीचे सारणी में दर्शाई गई है :—

अवधि	विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की संख्या
द्वितीय योजना के अन्त तक	1,082
तृतीय योजना के अन्त तक	5,855
तीन तदर्थ योजना वर्षों (1968–69) के अन्त तक	12,926
चतुर्थ योजना की अवधि में	16,839
चतुर्थ योजना के अन्त तक	29,765

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मूलतः 2,100 ग्रामों में बिजली लगाने का विचार था । किन्तु 1969–70 में लक्ष्य को बढ़ाकर 15,000 ग्राम कर दिया गया जिसके विरुद्ध वास्तव में 16,839 ग्रामों में बिजली लगाई गई । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त (31 मार्च 1974) तक विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की संख्या (29,765), 1961 की जनगणना के अनुसार 1,12,624 कुल ग्रामों का 26.4 प्रतिशत थी ।

(ii) राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र वाले जिलों और अन्य शेष जिलों में 31 मार्च 1974 को विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की संख्या नीचे दी गई तालिका में इंगित है :—

	विद्युतकृत ग्रामों की संख्या		
	पिछड़े जिलों में	अन्य शेष जिलों में	समस्त प्रदेश में
ग्रामों की कुल संख्या (1961 की जनगणना के आधार पर)	65,398	47,163	1.12,561
मार्च 1974 के अन्त तक विद्युतकृत ग्राम	15,118	14,647	29,765
कुल ग्रामों के अनुपात में विद्युतकृत ग्रामों की प्रतिशतता	23.1	31.0	26.4

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिये परिषद् को कम ब्याज की दर पर निधियां उधार देता है, वापस अदायगी की अवधि भी लम्बी (25 वर्ष) है ।

(3) **हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण**—1971–72 के दौरान परिषद् ने हरिजन बस्तियों एवं समाज के कमजोर वर्ग वाले लोगों के आवास-क्षेत्रों में बिजली के प्रसार के बारे में एक नीति विषयक निर्णय लिया । प्रथम चरण में उन क्षेत्रों के निकटस्थ भागों में, जो पहले ही से विद्युतकृत थे, स्थित हरिजन बस्तियों में परिषद् की लागत पर विद्युत् प्रसार होना था । 1971–72 से लेकर 1973–74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने भी राज्य के सत्रह जिलों की 544

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये परिषद् को 27.83 लाख रुपये स्वीकृत किये । मार्च 1974 के अन्त तक विद्युतकृत हरिजन बस्तियों की संख्या निम्नवत् थी :—

वर्ष	विद्युतकृत हरिजन बस्तियां			
	आयोजित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	न्यूनता	आरोही योग
31 मार्च 1972 की स्थिति	..	..	..	216
1972–73	3,700	4,121	..	4,337
1973–74	3,700	1,623	2,077	5,960

परिषद् ने 1973–74 के दौरान हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण में न्यूनता के कारण (i) बिना विद्युतीकरण वाली हरिजन बस्तियों का उन क्षेत्रों के पास या उनका भाग न होना जहां पहले से ही विद्युतीकरण किया जा चुका है, और (ii) ऐसी बस्तियों के विद्युतीकरण का अनुमानित व्यय परिषद् द्वारा निर्धारित 1,500 रुपये प्रति बस्ती से ज्यादा होना बताया (अप्रैल 1975) ।

लेखा-परीक्षा के दौरान देखा गया कि अभिलेखानुसार यद्यपि 1972–73 में मुल्तानपुर जिले में 1.19 लाख रुपये के अनुमानित व्यय से 79 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया किन्तु मीटर रीडरों ने इन बस्तियों में बिजली उपभोग की कोई सूचना नहीं दी क्योंकि उन बस्तियों में बिजली का कोई उपभोक्ता नहीं था ।

(4) ग्राम विद्युतीकरण की अर्थ-व्यवस्था—बिजली की तकनीकी समिति ने दिसम्बर 1972 के अपने प्रतिवेदन में कहा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण को आर्थिक दृष्टि से जीवन क्षम बनाने के लिए सकल प्रतिलाभ 22 प्रतिशत से कम न हो । आशा के अनुसार प्रतिलाभ की निम्न दर की वास्तविक प्राप्ति होने पर भी परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिलाभ की निम्न दरों (8 से 15 प्रतिशत) के कारण लगाई गई पूंजी पर 7 से 14 प्रतिशत तक घाटा होगा । विद्युतकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों से प्रतिलाभ की वास्तविक दर परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं हुई है (मार्च 1975) और मार्च 1974 के अन्त तक घाटे को पूरा करने के लिए कोई आर्थिक सहायता परिषद् को नहीं प्राप्त हुई थी ।

(5) ग्रामीण बिजली सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ—ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को त्वरित बनाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति की स्थापना के लिए लखनऊ जिले के पांच सामुदायिक विकास खण्डों का चयन किया । यह देश की पांच मार्गदर्शी सहकारी समितियों में से एक थी । ग्रामीण बिजली सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ, 1970–71 के दौरान पंजीकृत हुई । समिति के क्षेत्र में परिषद् की परिसम्पत्तियां समिति को इसके निर्माण के समय 78.75 लाख रुपए के ह्रसित खाता मूल्य पर स्थानान्तरित कर दी गई । समिति को स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों के मूल्य के विरुद्ध 56 लाख रुपए का अन्तरिम भुगतान 1970–71 में प्राप्त हुआ, 22.75 लाख रुपए की शेष धनराशि का भुगतान प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1974) । प्रादेशिक सरकार के निर्देशानुसार समिति को बिजली की आपूर्ति 13 पैसे प्रति इकाई की दर से की जा रही थी जिसके फलस्वरूप परिषद् को प्रतिवर्ष 6.52 लाख रुपए का घाटा था । परिषद् द्वारा 1 जनवरी 1975 से लाइसेन्सधारियों के लिए शुल्क-दर (टेरिफ) बढ़ाकर संशोधित कर दी गई है, फिर भी, समिति को बिजली की आपूर्ति 13 पैसे प्रति इकाई की दर से जारी रहेगी ।

(6) निजी नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन—(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रदेश में 65,513 निजी नलकूपों/पम्प सेटों को बिजली प्रदान की गई । योजना में मूलतः 1,43,000 निजी नलकूपों/पम्प सेटों को बिजली प्रदान करने का विचार था । योजना का लक्ष्य 1969–70 में दो लाख तक बढ़ा दिया गया । वार्षिक कार्यक्रमों को निर्धारण करते समय इसे फिर संशोधित करके 2.03 लाख कर दिया गया ।

निजी नलकूपों और पम्पसेटों को बिजली प्रदान करने का कार्य परिषद् विभिन्न वित्तीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जैसे योजना के सामान्य कार्य के अन्तर्गत, वाणिज्यिक और जमा योजनाओं

के अन्तर्गत पूरा करता है । चौथी योजना की अवधि में कार्यक्रम और वास्तविक बिजली प्रदान करने का वर्ष-वार विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	सामान्य योजना		जमा और वाणिज्यिक योजनाएं		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1969–70	16,000	21,172	7,000	5,292	23,000	26,464
1970–71	18,000	15,234	12,000	9,410	30,000	24,644
1971–72	20,000	19,996	30,000	10,669	50,000	30,665
1972–73	10,000	10,931	40,000	17,310	50,000	28,241
1973–74	17,000	11,183	33,000	19,168	50,000	30,351
जोड़	81,000	78,516	1,22,000	61,849	2,03,000	1,40,365

जमा और वाणिज्यिक योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति में कमी का कारण परिषद् ने उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया में कमी होना बताया है (नवम्बर 1974) । बिजली की तकनीकी समिति ने अपनी दिसम्बर, 1972 की रिपोर्ट में कहा था कि विभिन्न वित्तीय व्यवस्थाओं से न केवल भावी उपभोक्ताओं में संभ्रान्ति उत्पन्न करने की सम्भावना है वरन् प्रगति को मन्द भी करती है, क्योंकि, स्पष्ट कारणों से, उपभोक्ता यह देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि किस व्यवस्था में उनका दायित्व न्यूनतम होगा । यह भी एक विवादास्पद विषय है कि क्या ऐसी व्यवस्था जो विभिन्न उपभोक्ताओं में भेद पैदा करे, उचित थी ।

(ख) जमा और वाणिज्यिक योजनायें—(i) **जमा योजना**—योजना के अन्तर्गत नलकूपों/पम्पिग सेटों के ऊर्जन में परिषद् के हिस्से के खर्चे को पूरा करने के लिए भावी उपभोक्ताओं से जमा राशियां स्वीकार की जाती हैं । ऊर्जन के अनुमानित व्यय के आधार पर राशियां जमा करनी होती हैं और जो 6 प्रतिशत ब्याज की दर से 7½ प्रतिशत जनवरी 1972 से दस अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में जमा कर्त्ता की वापिसी योग्य पहली किस्त जमा की तारीख के छः माह बाद से देय है, योजना के अधीन प्राथियों को, नलकूपों/पम्पिग सेटों के अन्य भावी बिजली उपभोक्ताओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

(ii) **वाणिज्यिक योजना**—इस योजना के अन्तर्गत, नलकूपों/पम्पिग सेटों के ऊर्जन के लिए वांछित निधियां, परिषद् द्वारा वित्तीय संस्थाओं से, जिसमें बैंक भी शामिल है, उधार ली जाती हैं । ऐसे ऋणों पर ऊंची दर पर ब्याज दिए जाने से परिषद् को हुई क्षति को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन प्रत्येक उपभोक्ता को निम्नांकित धनराशि अदा करना होता है जो फिर वापस नहीं की जाती :—

नौ पश्चिमी जिलों में अनुमानित व्यय के लिए	शेष जिलों में अनुमानित व्यय के लिए	वापस न होने वाली वह राशि जो जमा की जानी है	
		जुलाई 1972 से पहले एकमुश्त में	जुलाई 1972 से दस किस्तों में
रु0	रु0	रु0	रु0
4,000 तक	6,000 तक	500	700
4,000 से ऊपर और 6,000 तक	6,000 से ऊपर और 8,000 तक	750	1,000

इस योजना में आने वाले उपभोक्ताओं को, सामान्य योजना के अन्तर्गत योजनागत (प्लान) धनराशि का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई थी।

1972–73 से उपभोक्ताओं को अप्रत्यावर्तनीय धनराशि को दस बराबर वार्षिक किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई। फलतः साधन में होने वाली कमी को राज्य सरकार ने 1972–73 में 2 करोड़ रुपए का ऋण देकर पूरा किया और 1973–74 के लिए 2 करोड़ रुपए और प्राप्त होने की आशा है।

(7) **राजकीय नलकूप**—विभिन्न योजना-अवधियों के अन्त तक ऊर्जीकृत राजकीय नल-कूपों की संख्या निम्नवत् थी :—

योजना अवधि	अवधि के अन्त में ऊर्जीकृत राजकीय नलकूपों की संख्या
दूसरी पंचवर्षीय योजना	6,060
तीसरी पंचवर्षीय योजना	7,675
वार्षिक योजनायें	8,780
चौथी पंचवर्षीय योजना	12,215

अक्तूबर 1974 के अन्त तक 12,687 राजकीय नलकूपों और 2,26,370 निजी नलकूपों/पम्पिग सेटों का ऊर्जीकरण किया जा चुका था जिनमें से 31 अक्तूबर 1974 की स्थिति के अनुसार 816 राजकीय नलकूप और 1,523 निजी नल-कूप/पम्पिग सेट ट्रांसफार्मरों आदि के चोरी चले जाने/क्षतिग्रस्त होने के कारण निष्क्रिय पड़े थे, जैसा नीचे दिखाया गया है :—

दोष का स्वरूप	निष्क्रिय नल-कूपों की संख्या		जोड़
	निजी	सरकारी	
(1) ट्रांसफार्मरों की चोरी	829	548	1,377
(2) ट्रांसफार्मरों की क्षति	590	221	811
(3) अन्य दोष	104	47	151
जोड़	1,523	816	2,339

(8) **कृषि सेवाओं का बंटन**—निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषि-सेवाओं (राजकीय/निजी नलकूप/पंपिग सेटों) को बंटन के लिये निर्धारित लक्ष्य की संख्या और वास्तविक बंटन की संख्या मार्च 1974 के अन्त में निम्न विवरणानुसार थी:—

	मार्च 1969 के अन्त में सेवाओं का बंटन	चौथी योजना के दौरान सेवाओं का बंटन		मार्च 1974 के अन्त में सेवाओं का जोड़
		लक्ष्य	वास्तविक	
निजी नलकूप/पंप सेट	65,513	2,19,200	1,50,933	2,16,446
राजकीय नलकूप	8,780	2,000	3,435	12,215
जोड़	74,293	2,21,200	1,54,368	2,28,661

31 मार्च 1974 को सरकारी औसत 7 के मुकाबिले प्रति विद्युतकृत ग्राम में निजी नल-कूपों/पंपिग सेटों का औसत 5 पिछड़े जिलों में और अन्य जिलों में 10 था। प्रति विद्युतकृत ग्राम में ऊर्जीकृत निजी नल-कूपों/पंपिग सेटों की औसत संख्या देहरादून जिले में, और हमीरपुर जिले में 2 से लेकर सहारनपुर जिले में 23 के बीच रही।

(9) **सेवाओं की अल्प सघनता**—1971–72 से 1973–74 के दौरान सम्बद्ध भार और राजकीय/निजी नलकूपों/पंपिग सेटों को दी गयी ऊर्जा का भार तथा उसके विक्रय का विवरण निम्नवत् था:—

विवरण	1971–72	1972–73	1973–74
(i) कनेक्शन का कुल भार (किलोवाट)	9,26,341	10,91,305	12,94,769
(क) निजी नलकूप/पंपिग सेट	7,79,168	9,30,750	11,26,764
(ख) राजकीय नल-कूप	1,47,173	1,60,555	1,68,005
(ii) प्रदेश में कनेक्शन किया हुआ कुल भार (किलोवाट)	27,27,538	30,05,910	34,13,016
(iii) (क)—(i) (क) से (ii) का प्रतिशत	28.6	31.0	33.0
(ख)—(i) (ख) से (ii) का प्रतिशत	5.4	5.3	4.9
(ग)—(i) से (ii) का प्रतिशत	34.0	36.3	37.9
(iv) प्रदेश में कुल ऊर्जा का उपभोग (मेगा किलोवाट)	4,485.96	4,804.00	4,322.24
(v) ऊर्जा का उपभोग (मेगा किलोवाट में)—			
(क) निजी नल-कूप/पंपिग सेट	484.526	515.575	407.702
(ख) राजकीय नल-कूप	209.048	278.907	419.722
(ग) जोड़ (v) का	693.574	794.482	827.424
(vi) (क)—(v) (क) का प्रतिशत (iv) की तुलना में	10.8	10.7	9.4
(ख)—(v) (ख) का प्रतिशत (iv) की तुलना में	4.7	5.8	9.7
(ग)—(v) (ग) का प्रतिशत (iv) की तुलना में	15.5	16.5	19.1
(vii) कनेक्शन किये गये भार की ऊर्जा के उपभोग का औसत प्रति किलोवाट—			
(i) निजी नल-कूप/पम्पसेट	622	544	362
(ii) राजकीय नल-कूप	1,422	1,732	2,500

यद्यपि निजी नल-कूपों/पंपिंग सेटों के कनेक्शन किये गये भार का प्रतिशत 22.6 से 33 प्रतिशत के बीच रहा, ऊर्जा का विक्रय 9.4 प्रतिशत से 10.8 प्रतिशत रहा, जिससे प्रगट होता है कि निजी नल-कूपों और पंपिंग सेटों का उपभोग पक्ष अन्य कोटि के उपभोक्ताओं की अपेक्षा अत्यन्त कम था।

नए नए निजी नल-कूपों/पंपिंग सेटों के ऊर्जीकरण से कनेक्शन दिये गये भार में बढ़ोतरी थी किन्तु प्रति किलोवाट ऊर्जा उपभोग में कमी हो रही थी जिससे निवेश से होने वाले लाभ में क्रमिक कमी होती जा रही थी। वर्ष 1973–74 के दौरान निजी नल-कूपों/पम्प सेटों में ऊर्जा की खपत में ह्रास अत्यन्त तीव्र था। प्रबन्धक ने बताया कि ह्रास का कारण (i) 40 प्रतिशत ऊर्जा की कटौती, और (ii) चालू घंटों में पाबन्दी लगाना था।

(10) **घाटे**––परिषद् के आकलनानुसार 1969–70 से 1972–73 तक ग्राम-विद्युतीकरण में परिषद् को 9.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:––

(लाख रुपयों में)

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री (एम0 के0 डब्यू0 एच0)	643	742	842	951
ऊर्जा की बिक्री से राजस्व	1,180	1,390	1,680	2,410
मूल्य ह्रास को मिला कर कार्य चालन व्यय	1,160	1,310	1,520	2,150
सकल आयाधिक्य	20	80	160	260
विनियोजन––				
ऋण पर ब्याज	220	350	310	570
निबल हानि	200	270	150	310

(11) **ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्त-पोषित योजना**––1969 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की, राज्य विद्युत् परिषद और चुनी हुई सहकारी समितियों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, स्थापना की थी। निगम द्वारा ऋण तीन किस्तों में दिये जाते हैं––प्रथम किश्त इकरार नामा, इत्यादि के हस्ताक्षर होने पर तथा बाद की किश्तों की योजना में वर्णित वर्षानुसार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होने पर। ब्याज की दरें 6½ प्रतिशत से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और ऋण योजना के चालू होने के 20 से 25 वर्षों में वापस किया जाना है। मूलधन की वापसी में पांच वर्ष का अधिस्थगन अनुमत है।

निगम द्वारा अर्थक्षमता के आधार पर योजनायें स्वीकृत की जाती हैं। 1970–71 से 1973–74 वर्षों के दौरान देहरादून, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों को छोड़ कर राज्य के विभिन्न जिलों के लिये 37.13 लाख रुपये की (अनुमानित लागत) 72 योजनायें निगम ने स्वीकृत कीं।

वर्ष के अनुसार स्वीकृत योजना नीचे की तालिका में दी गई है:––

वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत योजनाओं का अनुमानित खर्च (लाख रुपयों में)
1970––71	13	699
1971––72	14	1,019
1972––73	23	1,071
1973––74	22	924
जोड़	72	3,713

72 स्वीकृत योजनाओं के भौतिक लक्ष्य और सितम्बर 1974 के अन्त तक परिषद् की उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई है:––

	लक्ष्य	उपलब्धि	स्तम्भ (3) का (2) से प्रतिशत
11 के0 वी0 लाइनें (किलोमीटर)	15,604	6,426	41
ग्रामों का विद्युतीकरण	8,347	1,544	18
निजी नल-कूप/पम्पसेटों का ऊर्जीकरण	47,098	5,966	13
औद्योगिक कनेक्शन	16,011	199	1.2
आवासीय कनेक्शन	1,94,896	5,588	3

यद्यपि 11 के0 वी0 की लाइनें खींची जा चुकी थीं फिर भी ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं की संख्या नगण्य है। फलस्वरूप परिषद् को इन लाइनों पर किये गये निवेश का वस्तुतः कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।

संस्वीकृत योजनाओं को मन्दगति से क्रियान्वित किये जाने के कारण 11 योजनाओं के लिये ऋण की दूसरी किस्त (159 लाख रुपये) और 6 योजनाओं के लिये तीसरी किस्त (105 लाख रुपये) का जून 1975 के अन्त तक निगम द्वारा वंटन नहीं किया गया।

(12) **विभागीय स्तर पर खम्भों का निर्माण**––ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को त्वरित करने की दृष्टि से प्रति इकाई द्वारा प्रति वर्ष 40,000 खम्भों का निर्माण करने की क्षमता वाली 5 इकाइयों की स्थापना 1971 में की गई। ये पांच केन्द्र आगरा, इलाहाबाद, रुड़की, लखनऊ और वाराणसी में स्थापित किए गए। उच्च तनाव के स्टील तार सुलभ न होने के कारण यह निर्णय किया गया (1971) कि प्रारम्भ में इन केन्द्रों पर प्रवलित सीमेन्ट कान्क्रीट (R. C. C.) के खम्भे तैयार किये जायं और उच्च तनाव के स्टील तार सुलभ होने पर पूर्व प्रतिबलित (प्रीस्ट्रेस्ड) सीमेन्ट कांक्रीट के खम्भों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाय।

(13) **इस केन्द्रों के अभिलेखों की नमूने की जांच से निम्नलिखित बातें प्रकाश में आई**––(1) विभागीय स्तर पर खम्भों के निर्माण की परियोजना परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी और इन केन्द्रों ने परिषद् का अनुमोदन प्राप्त होने की अपेक्षा पर ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

(2) सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बिना ही मण्डलों और उपमण्डलों के लि नियमित कर्मचारियों को यथोचित पद दे दिये गए। उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा क के लिये वांछित निर्माण प्रभारित सिब्बंदी न तो संस्वीकृत की गई और न नियुक्त की गई परिणाम-स्वरूप उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ।

(3) प्रति खम्भे के निर्माण की लागत 1971 की संशोधित परियोजना रिपोर्ट (परि द्वारा अनुमोदित) 125 रुपये प्रति खम्भा सोची गई थी।

मण्डल अधिकारियों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रों का प्रशासन रहा, के आकलनानुसार (अ 1972) उसकी लागत 157 रुपये प्रति खम्भा थी किन्तु परिषद् के लागत-निर्धारण क इसकी कुल लागत 183 रुपये प्रति खम्भा आंकी।

(4) जनवरी और फरवरी 1974 के दौरान किसी भी केन्द्र में एक भी खम्भे का निर्म नहीं हुआ यद्यपि वेतन, मजूरी और अन्य प्रासंगिक व्यय के रूप में 1.06 लाख रुपये की धनरा व्यय हुई।

नैनी (इलाहाबाद) केन्द्र का उत्पादन दिसम्बर 1974 में तथा अन्य केन्द्रों में जन 1975 से बन्द कर दिया गया परन्तु निर्माण मद की सिब्बंदी सहित सभी कर्मचारी अपने पदों बने रहे जिसके फलस्वरूप एक लाख रुपये प्रतिमाह का 30 अप्रैल 1975 तक निरर्थक व्यय हुआ

(5) प्रत्येक केन्द्र में निर्माण कार्य 40,000 खम्भे प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र के लक्ष्य से कम था जिसके कारण अवक्षयण तथा ऊपरी खर्च का भार बढ़ गया।

(6) परिषद् द्वारा, समस्त केन्द्रों पर खम्भों के निर्माण को बन्द करने के आदेश अग 1974 में दिये गये और उत्पादन दिसम्बर 1974 और जनवरी 1975 में रुक गया। उत्पा की वास्तविक लागत को निकाले बिना अथवा केन्द्रों पर उत्पादन की अनुकूलतम संभाव्य ला को खुले बाजार में क्रय की कीमत से बिना मिलान किये केन्द्रों के बन्द करने का निर्णय लिया गया इस निर्णय के फलस्वरूप 43.48 लाख रुपये की पूंजी का निवेश अनुत्पादक हो गया।

14. मांग का प्रक्षेपण, विकसित की गई क्षमता का उत्पादन और उपयोग

(1) **मांग का प्रक्षेपण**—1971-72 से 1973-74 वर्षों के लिये वार्षिक विद्युत् सर्वेक्ष में बिजली की अनुमानित तथा वास्तविक शीर्ष मांग, शीर्ष मांग की आपूर्ति के लिए वां अधिष्ठापित क्षमता, उपलब्ध अधिष्ठापित क्षमता और कमी का विवरण निम्नवत् था:—

(मेगावाट में)

विभिन्न वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण में अनुमानित शीर्ष मांग			की गई वास्तविक अधिकतम मांग	अधिकतम मांग की पूर्ति के लिये अधिष्ठापित क्षमता*	उपलब्ध अधिष्ठापित क्षमता	
पांचवीं	सातवीं	आठवीं				
(1970)	(1972)	(1973)				
1971-72 1670	..	..	1397.1	1956	1397.760	5
1972-73 1860	1605	..	1587.56	2232	1405.965	8
1973-74 2050	1814	1870	1735.00	2429	1529.240	9
1974-75 ..	2061	2151	..	..	..	

*शीर्ष मांग की वास्तविक पहुंच के 1.4 गुने पर निर्धारित।

अधिकतम मांग का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर किया गया और 1971-72 से 1973- तक किसी भी वर्ष में सही नहीं उतरा। उपलब्ध क्षमता और वास्तविक मांग का अ वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता रहा। कमी को पूरा करने के लिये, परिषद् दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीद तथा फेर-बदल के उपाय का अवलम्बन करती रही है।

(2) **उत्पाद**—निम्नलिखित सारिणी में यह दर्शाया गया है कि उत्पादन क्षमता और विक्रय के लिये उपलब्ध शक्ति का किस हद तक उपयोग हुआ :—

	1971-72	1972-73	1973-74
(i) अधिष्ठापित क्षमता (एम0 डब्ल्यू0)			
(क) हाइड्रो	600.37	600.35	600.35
(ख) थर्मल और अन्य	797.40	805.61	928.89
(ii) जनित शक्ति (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)			
(क) हाइड्रो	2277.72	2708.69	1976.03
(ख) थर्मल और अन्य	3708.67	3852.01	3758.63
(iii) स्टेशन सहाय के जनन के लिये ऊर्जा का उपभोग (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	354.14	362.48	361.71
(iv) क्रय की गई ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	336.01	425.68	642.75
(v) विक्रय के लिये सुलभ ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	5968.25	6623.90	6015.69
(vi) प्रसारण और वितरण में लुप्त ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	1482.29	1819.80	1693.46
(vii) विक्रीत ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	4475.32	4790.23	4309.68
(viii) अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्मूल्य दी गई ऊर्जा (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	10.64	13.86	12.56

अधिष्ठापित क्षमता में 123.275 एम0 डब्ल्यू0 की वृद्धि होने पर भी, 1972-73 के मुकाबिले 1973-74 में थर्मल और अन्य स्टेशनों का उत्पादन 93.38 एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0 कम रहा।

(3) **अन्य प्रदेशों से बिजली का क्रय**—अन्य प्रदेशों से 1969-70 से 1973-74 वर्षों के दौरान कितनी बिजली का क्रय किया गया यह नीचे दिखाया गया है:—

वर्ष	बिजली का क्रय (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	क्रय की गई बिजली का मूल्य	
		कुल (लाख रुपयों में)	प्रति किलोवाट घंटे (पैसों में)
1969-70	336.780	272.46	8.09
1970-71	413.830	326.08	7.88
1971-72	336.010	277.38	8.26
1972-73	425.678	536.67	12.61
1973-74	642.751	505.85	7.87

लेखा को नमूने की जाँच के दौरान देखा गया कि बिजली क्रय की दर अन्तिम रूप से तय न होने के कारण बिजली खरीद का भुगतान 'हिसाब खाते' अथवा 'तदर्थ' रूप में परिषद् द्वारा किया गया। 'तदर्थ' रूप में किये गये भुगतान की दर आपूर्ति करने वाली संस्थाओं द्वारा माँगी गई दर से कम थी। बिजली आपूर्ति की दर के विषय में अन्तिम रूप से कोई समझौता न होने से, यथार्थ देय राशि अभी भी नहीं निकाली जा सकी।

दिल्ली विद्युत् आपूर्ति उपक्रम, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन और भाखरा प्रबन्ध परिषद् से बिजली का क्रय होता था और मुरादनगर में एक मीटर केन्द्र पर अंकित होता था। मापने की अलग व्यवस्था के अभाव के कारण प्रत्येक संस्था से खरीदी गई बिजली का विवरण निकाला नहीं जा सका। मापने की कोई अलग व्यवस्था अस्तित्व में न होने के कारण अक्तूबर 1974 तक बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के दावे और परिषद् द्वारा स्वीकृत आपूर्ति की मात्रा में 2.96 (मेगा के0 डब्ल्यू0 एच0) का अन्तर रहा। अन्तर का समाधान होना अभी (जून 1975) बाकी है।

1973–74 के दौरान 5.6 एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0 ऊर्जा 11.85 पैसे प्रति यूनिट की दर से दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग से खरीदी गई। क्रीत ऊर्जा का कुल मूल्य 6.64 लाख रुपये था। किन्तु दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग को 1973–74 के दौरान 65.81 लाख रुपये का भुगतान किया गया जिससे 59.17 लाख रुपये की अधिक अदायगी हो गई। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के पिछले बकाया दावे के 23.04 लाख रुपये के समायोजन के बाद 36.13 लाख रुपये की वापसी की प्रतीक्षा है (जून 1975)।

(4) **अन्तर प्रादेशिक योजना**—रिहन्द में जनित शक्ति 300 मेगावाट का 15 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश माँगता रहा है क्योंकि बाँध का अपवाह क्षेत्र उस प्रदेश में स्थित है। चूंकि रिहन्द में जनित शक्ति का कोई भी अंश मध्य प्रदेश को नहीं दिया गया था उसने मार्च 1974 अवधि तक के 15.16 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है इस विषय पर वार्ता चल रही है (मार्च 1975)।

(5) **उपक्रमों का क्रय**—मार्च 1974 के अन्त तक परिषद् ने 18 निजी लाइसेन्सदार उपक्रमों का अधिग्रहण कर लिया। इनमें से 16 उपक्रमों के क्रय मूल्य का निर्धारण अन्तिम रूप से नहीं हुआ है (अप्रैल 1975)। लाइसेन्सधारकों को 3,32 लाख रुपये का तदर्थ भुगतान कर दिया गया है। ऐसा उपक्रम जिसका क्रय-मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, सर्वप्रथम 1 मई 1959 को अधिगृहीत किया गया था।

(6) **विकसित क्षमता का उपयोग**—1971–72 से 1973–74 के दौरान अधिष्ठापित क्षमता के समग्र उपयोग और जल-विद्युत्, ताप-विद्युत् एवं अन्य स्टेशनों की अधिकतम प्रभावकारी क्षमता का विवरण नीचे दर्शाया गया है :—

	1971–72	1972–73	1973–74
(i) अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)			
(क) जल-विद्युत्	600.370	600.350	600.350
(ख) ताप विद्युत्	766.020	790.125	913.400
(ग) आन्तरिक दहन	31.370	15.490	15.490
जोड़	1397.760	1405.965	1529.240

	1971–72	1972–73	1973–74
(ii) वर्ष के अन्त तक अधिष्ठापित क्षमता (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)			
(क) जल-विद्युत्	5259.24	5259.07	5259.07
(ख) ताप-विद्युत्	6710.38	6921.49	8001.38
(ग) आन्तरिक दहन	274.78	135.69	135.69
जोड़	12244.40	12316.25	13396.14
(iii) वर्ष के अन्त में कुल अधिकतम प्रभावकारी क्षमता (मेगावाट)			
(क) जल-विद्युत्	600	600	600
(ख) ताप-विद्युत् आन्तरिक दहन के साथ	600	600	500
जोड़	1200	1200	1100
(iv) वर्ष के अन्त में कुल अधिकतम प्रभावकारी क्षमता (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)			
(क) जल-विद्युत्	5256	5256	5256
(ख) ताप विद्युत् आन्तरिक दहन के साथ	5256	5256	4380
जोड़	10512	10512	9636
(v) वर्ष के दौरान कुल जनित यूनिटें (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)			
(क) हाइडल	2277.72	2708.69	1976.04
(ख) थर्मल आन्तरिक दहन के साथ	3708.67	3852.01	3758.62
जोड़	5986.39	6560.70	5734.66
(vi) वास्तविक जनन का प्रतिशत			
(क) अधिष्ठापित क्षमता	48.89	53.27	42.81
(ख) अधिकतम प्रभावकारी क्षमता	56.95	62.41	59.51

	1971–72	1972–73	1973–74
(vii) वर्ष के दौरान बेची गई युनिटें (एम0 के0 डब्ल्यू0 एच0)	4485.96	4804.09	4322.24
(viii) बिक्रय की गई शक्ति की प्रतिशतता			
(क) अधिष्ठापित क्षमता से	36.34	39.01	32.26
(ख) अधिकतम प्रभावकारी क्षमता से	42.67	45.70	44.86

कुल मिलकार अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न्यून था । 1971–72 और 1972–73 के मुकाबिले 1973–74 में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कहीं अधिक कम था । इन तीन वर्षों के दौरान अधिष्ठापित क्षमता का केवल 32 से 39 प्रतिशत अन्ततः उपभोक्ताओं के पास पहुंच सका।

15. ऊर्जा की आपूर्ति का शुल्क दर

(1) **शुल्क दर की नीति**—अधिनियम की धारा 59 में निर्दिष्ट है कि परिषद् सरकारी सहायता जमा कर लेने के बाद जहा तक व्यवहार्य हो अपना व्यापार घाटे पर नहीं चलायेगी और तद्नुरूप समय-समय पर अपने दर में परिवर्तन करेगी ।

(2) **शुल्क दर का परिशोधन**—परिषद् के गठन के बाद से नवम्बर 1974 तक प्रधान रूप से पांच बार शुल्क-दर में परिशोधन हुये। अपने गठन के समय अप्रैल 1959 से सरकार द्वारा परिषद् को स्थानान्तरित उपक्रमों द्वारा हुए घाटे को पूरा करने के लिये अधिनियम की धारा 63 के प्राविधानों के अन्तर्गत, सरकार ने 1959–60 से 1961–62 वर्षों के दौरान 3.30 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की । शुल्क दर में मई 1961 में प्रधान रूप से संशोधन किये जाने के परिणाम स्वरूप यह आर्थिक सहायता बन्द कर दी गई । बाद में, शुल्क-दर में चार महत् परिशोधन क्रमशः सितम्बर 1967, जुलाई 1968, जनवरी 1972 और अक्टूबर 1974 में हुये ।

जुलाई 1968 से पूर्व परिषद् की गंगा–सारदा ग्रिड, रिहन्द ग्रिड, माताटीला ग्रिड और पूर्वी क्षेत्र परियोजनाओं के लिये अलग अलग शुल्क दर थी । पहली अप्रैल 1965 से रिहन्द के परिषद् को अन्तरण के बाद विभिन्न ग्रिडों की प्रेषण लाइनों को अन्तरसम्बन्ध कर दिया गया और प्रदेश में एक समान शुल्क-दर जुलाई 1968 से लागू की गई ।

यह बात देखी गई कि शुल्क दर में संशोधन, न तो किसी मूल्य–निर्धारण सिद्धांत पर था और न ही किसी लागत पर मूल्य के सही परिकलन पर आधारित था । परिषद् ने आपूर्ति के विभिन्न केन्द्रों पर लागत मूल्य के तथ्यों का संकलन नहीं किया और नहीं सिवा कुछ स्थूल आकलन के विभिन्न केन्द्रों पर उत्पादन की लागत का अलग हिसाब ही रखा । परिषद् ने अपनी शुल्क-दर नीति के सही मार्गदर्शन के लिये प्रत्येक कोटि के उपभोक्ताओं के आपूर्ति की लागत का विस्तृत ब्यौरा नहीं बनाया था । संशोधन के प्रस्ताव अधिकांशतः अतिरिक्त आय प्राप्त की दृष्टि से तैयार किये गये थे ।

(3) **अतिरिक्त आय**—(क) शुल्क दर में संशोधन के परिणामस्वरूप विभिन्न योजना अवधियों में प्राप्त अतिरिक्त आय का वितरण परिषद् ने नहीं तैयार कराया था (दिसम्बर 1974)।

(ख) शुल्क दर में समय-समय पर वृद्धि के बावजूद निवल आय में कोई वृद्धि नहीं हुई क्योंकि आय में हुई सारी वृद्धि व्यय में वृद्धि के कारण घुल गई जैसा कि 1973–74 तक के नीचे दिये गये कई वर्षों के आंकड़ों से प्रकट होता है ।

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आय (विविध आय सहित)	1966–67 की तुलना में आय में वृद्धि	मूल्य ह्रास और ब्याज सहित कुल व्यय	1966–67 वर्ष के आधार पर व्यय में वृद्धि
1966–67	29,63	आधार वर्ष	34,14	आधार वर्ष
1967–68	34,39	4,76	43,31	9,17
1968–69	46,67	17,04	53,01	18,87
1969–70	54,70	25,07	61,56	27,42
1970–71	61,86	32,23	77,38	43,24
1971–72	67,44	37,81	75,99	41,85
1972–73	83,98	54,35	95,83	61,69
1973–74	79,98	50,35	113,05	78,91

शुल्क-दर के निर्धारण के बारे में पावर टैरिफ पालिसी (वैंकटरमन) कमेटी (1964) ने यह मत व्यक्त किया था "समिति के विचार में सामान्यतः विद्युत् परिषद् को केवल उन दरों पर शक्ति पूर्ति करना चाहिये जिससे कम से कम परिचालन और अनुरक्षण का व्यय (मूल्य ह्रास के साथ) और ब्याज निकल आए" ।

(4) **कतिपय उपभोक्ताओं को न्यून दर पर आपूर्ति**—राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर 1959 को मिर्जापुर जिले में अल्युमिनियम की सिल बनाने वाली एक कम्पनी से 25 वर्षों तक 55 मेगावाट ऊर्जा 175 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिवर्ष की दर पर (या लगभग 1.997717 पैसे प्रति यूनिट) आपूर्ति करने का समझौता किया था । 3 अप्रैल 1962 को आपूर्ति चालू की गई । समझौते के अनुसार, आपूर्ति की उपरोक्त दर कम्पनी के मुख्य मीटर से सम्बद्ध किये जाने की तिथि से (3 अप्रैल 1962) 16 वर्षों तक लागू रहनी थी और उसके बाद इसे आपसी समझौते से बढ़ाया जा सकता है जो 10 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

सितम्बर 1963 में राज्य सरकार ने 25 वर्षों के लिये एक दूसरा समझौता मिर्जापुर को कास्टिक सोडा बनाने वाली एक फैक्ट्री से 6.5 मैगावाट शक्ति रिहन्द से तथा 1.5 मेगावाट इन्टर कनेक्शन से आपूर्ति करने के लिये किया । फैक्ट्री की आपूर्ति जून 1964 में चालू की गई । रिहन्द से आपूर्ति की जाने वाली शक्ति की दर 2.5 पैसे प्रति यूनिट और दूसरे प्रकार की आपूर्ति की दर 5 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई। समझौते के अनुसार ये दरें आपूर्ति से सम्बद्ध किये जाने की तिथि से (जून 1964) 16 वर्षों तक लागू रहेंगी । बाद में इन्हें बढ़ाया जा सकता है जो 10 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

पहली अप्रैल 1965 को रिहन्द परियोजना की परिसम्पत्ति को परिषद् को अन्तरित करने से ये दायित्व भी परिषद् को अन्तरित कर दिये गये । उपरोक्त कम्पनियों को 1973–74 में समाप्ति होने वाली 5 वर्षों की अवधि में शक्ति आपूर्ति की स्थिति नीचे दिखाई गई है :—

वर्ष	शक्ति आपूर्ति (एम0 के0 डब्ल्यू0, एच0)	
	अलमुनियम कम्पनी	कास्टिक सोडा फैक्ट्री
1969–70	434.227	71.739
1970–71	610.702	74.487
1971–72	542.570	75.450

शक्ति आपूर्ति (एम० के० डब्ल्यू०, एच०)

	अलमुनियम कम्पनी	कास्टिक सोडा फैक्ट्री
1972–73	510.409	91.878
1973–74	279.456	72.884

1969–70 से 1973–74 तक के वर्षों के दौरान उत्पादन की संयुक्त लागत, और परिषद् को हुए घाटे को नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष	जनन की संयुक्त लागत (पैसे में)	उत्पादन की संयुक्त लागत के आधार पर आपूर्ति में छूट दिये जाने से घाटा (लाख रुपयों में)
1969–70	8.99	346
1970–71	8.56	356
1971–72	8.20	335
1972–73	8.94	376
1973–74	12.23	351

लागत मूल्य से काफी कम मूल्य पर शक्ति की आपूर्ति करने के राज्य सरकार के दायित्व को परिषद् पर निरूपित करने से जो घाटा परिषद् को उठाना पड़ रहा है, उसे पूरा करने के लिये राज्य सरकार परिषद् को कोई उपदान नहीं दे रही है।

(5) **सम्बद्ध भार का प्रति किलोवाट उपभोग**—1973–74 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के औसत, सम्बद्ध भार और सम्बद्ध भार की प्रति किलोवाट ऊर्जा उपभोग को नीचे दिखाया गया है:—

वर्ष	सम्बद्ध भार का औसत (के० डब्ल्यू०)	बेची गई ऊर्जा (एम० के० डब्ल्यू० एच०)	सम्बद्ध भार के प्रति किलोवाट ऊर्जा विक्रय का औसत
1969–70	18,99,952	3,711.77	1,954
1970–71	22,72,586	4,290.74	1,888
1971–72	25,91,566	4,485.96	1,731

वर्ष	सम्बद्ध भार का औसत (के०डब्ल्यू०)	बेची गई ऊर्जा (एम० के० डब्ल्यू० एच०)	सम्बद्ध भार के प्रति किलोवाट ऊर्जा विक्रय का औसत
1972–73	28,66,769	4,804.10	1,675
1973–74	32,09,508	4,322.24	1,347

सम्बद्ध भार जहां एक ओर निरन्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सम्बद्ध भार के प्रति किलोवाट के विक्रय में निरन्तर कमी हो रही है। 1973–74 में यह कमी बहुत अधिक रही। रिहन्द प्रस्रवण क्षेत्र में अल्प वर्षा और प्रेषण एवं वितरण हानि में वृद्धि के कारण कम उत्पादन को परिषद् ने (अप्रैल 1975) बिक्री की कमी का कारण बताया।

(6) **आय का निर्धारण और संग्रहण**—(क) 1973–74 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में आय के निर्धारण और संग्रहण के विवरण नीचे दिये हुए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वर्ष के आदि में बकाया अधिशेष	वर्ष के दौरान आय का निर्धारण	निर्धारित आय में प्रतिशतता वृद्धि (+) ह्रास (–)	संग्रहण के लिये प्राप्य कुल राशि	वर्ष के दौरान संग्रह की गई राशि	कुल प्राप्य राशि के मुकाबिले संग्रहण की प्रतिशतता	वर्ष के अन्त में बकाया अधिशेष
1969–70	5.76	52.14	..	57.90	47.02	81.2	10.88
1970–71	10.88	59.21	(+)13.6	70.09	55.38	79.0	14.71
1971–72	14.71	63.32	(+)5.3	78.03	59.26	75.9	18.77
1972–73	18.77	79.67	(+)25.8	98.44	74.27	75.4	24.17
1973–74	24.17	76.39	(–)4.1	100.56	68.5	68.2	32.01

कुल प्राप्य राशि के संग्रहण की प्रतिशतता घटती जा रही है और तदनुसार बकाया अधिशेष बढ़ता जा रहा है।

(ख) **बकाया राशि का विश्लेषण**—(i) कालक्रमानुसार—प्राप्य राशियों के बकायों का कालक्रमानुसार विवरण परिषद् के पास उपलब्ध नहीं था। मार्च 1974 के अन्त में 66.88 लाख रुपये की बट्टे खाते की धनराशि का प्राविधान परिषद् ने किया था जिसमें काल-अवधि एवं बकाया प्राप्तियों की वसूली की संभावनाओं का उल्लेख नहीं था। देनदारों से बकाया राशियों की स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गई।

(ii) श्रेणी के अनुसार—बकाया धनराशि का श्रेणी के अनुसार विवरण इस प्रकार था :—

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	31 मार्च 1974 को बकाया धनराशि	31 मार्च 1974 को तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
घरेलू और वाणिज्यिक प्रकाश एवं पंखे	4.50	..
छोटे और मध्यम कोटि के शक्ति उपभोक्ता	3.50	..
बड़े और भारी उद्योग	6.50	5.60
जन प्रकाश और गन्दे नाले की पंपिंग	0.70	..
राज्य नल-कूप	1.25	..
निजी नल-कूप एवं अन्य कृषि उपभोक्ता	12.00	2.60
निजी लाइसेंस धारक	1.40	..
नगरपालिकायें	1.70	..
अन्य	1.45	1.28
जोड़	33.00	9.38

उपरोक्त बकायों में से न्यायालयों में अनिर्णीत एवं मध्यस्थता में पड़े मामले 4.72 करोड़ रुपये के हैं जिसमें मिर्जापुर जिले की अल्मुनियम फैक्ट्री के 1966 से 1971 अवधि का 3.99 करोड़ रुपये भी सम्मिलित है।

1971—72 के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्ट्री द्वारा दाखिल की गई एक समादेश याचिका, जिसमें बकायों का भुगतान न करने के कारण परिषद् द्वारा बिजली-आपूर्ति को असम्बद्ध करने की वैधता को चुनौती दी गई थी, खारिज कर दिया। उपभोक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की (मई 1973) जिसने आदेश दिया (मई 1973) कि 2.60 करोड़ रुपये के बकाये में से 36.89 लाख रुपए नगद भुगतान कर दिये जायं और 2.12 करोड़ रुपये न्यायालय में जमा किया जाय। फिर भी उपभोक्ता द्वारा 60 लाख रुपये मात्र का भुगतान किये जाने पर परिषद् ने समझौता कर लिया।

बकायों के बढ़ते जाने के विषय में शक्ति की तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन में (दिसम्बर 1972) कहा कि "1971—72 के अन्त तक 19.04 करोड़ रुपये की बकाया भयावह धनराशि के बढ़ने पर चिन्ता व्यक्त की..... इतनी बड़ी बकाया धनराशि किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के लिये गहरी चिन्ता का विषय होना चाहिये"।

नई दिल्ली में दिसम्बर 1973 में राज्य सरकार एवं परिषद् के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान योजना आयोग ने कहा था कि परिषद् को अपने संग्रहण तन्त्र में सुधार करना चाहिये और यह कि बकाया राशि सामान्यतः कुल निर्धारण का 6 प्रतिशत तक होना चाहिये।

(ग) बकाया अधिशेषों में असंगतियां—परिषद् के लेखानुसार बकाया अधिशेष एवं विभिन्न इकाइयों से प्राप्त अनुसूचियों में असंगतियां थीं। 31 मार्च 1974 को परिषद् के लेखानुसार बकाया अधिशेष 32.01 करोड़ रुपये निकलता है जबकि परिषद् की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त अनुसूचियों के अनुसार यह राशि 33.11 करोड़ रुपये निकलती है। सितम्बर 1974 में परिषद् ने कहा कि असंगतियों का समाधान कराने का काम किया जा रहा है।

परिषद् की तीन इकाइयों में कानपुर इलक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (के0ई0यस0ए0) लखनऊ एलक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग (एल0ई0एस0यू0) और इलाहाबाद एलक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग (ए0ई0एस0यू0) जहां बिल बनाने का काम मशीन से होता है परिषद् द्वारा इन्हें अपने अधिकार में लिये जाने के बाद से (1959 में कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य दो सितम्बर 1974 में) न तो उपभोक्ताओं के खाते ही तैयार किये गये हैं और न ही बकायों का अदत्त पत्रकों से मिलान कर के समाधान किया गया है।

(घ) बिल बनाने में विलम्ब—नमूने की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ मामलों में ऊर्जा आपूर्ति के बिल मीटर वाचन के दो से तीन माह के बाद निर्गत किये गये। विलम्ब से बिल बनाने के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

मंडल का नाम	प्रकाश और पंखा		
	मीटर वाचन का माह	बिल निर्गमन की नियत तिथि	बिल निर्गमन की वास्तविक तिथि
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, हरदोई	अप्रैल 1973	क्रमशः मई, जून, जुलाई 1973 के प्रथम सप्ताह	31 जुलाई 1973
	मई 1973		
	जून 1973		
	नवम्बर 1973	दिसम्बर 1973 का प्रथम सप्ताह,	18 फरवरी 1974
	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 का प्रथम सप्ताह	18 फरवरी 1974
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, कानपुर	जुलाई 1973	अगस्त 1973 का प्रथम सप्ताह	15 अक्टूबर 1973
	अगस्त 1973	सितम्बर 1973 का प्रथम सप्ताह	15 अक्टूबर 1973
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, फर्रुखाबाद	जुलाई 1973	अगस्त 1973 का प्रथम सप्ताह	23 अक्टूबर 1973
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, हरदोई	मई 1973 से सितम्बर 1973	जून 1973 से अक्टूबर 1973 के प्रथम सप्ताह	31 जुलाई (मई और जून) 23 अक्टूबर 1973 (जुलाई 1973 से सितम्बर 1973)
	नवम्बर 1973	दिसम्बर 1973 का प्रथम सप्ताह	19 फरवरी 1974
	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 का प्रथम सप्ताह	19 फरवरी 1974

मंडल का नाम	प्रकाश और पंखा		
	मीटर वाचन का माह	बिल निर्गमन की नियत तिथि	बिल निर्गमन की वास्तविक तिथि
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, झांसी	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 का प्रथम सप्ताह	13 फरवरी 1974
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, कानपुर	सितम्बर 1973	अक्टूबर 1973 का प्रथम सप्ताह	17 नवम्बर 1973
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, फर्रुखाबाद	अगस्त 1973	सितम्बर 1973 का प्रथम सप्ताह	22 अक्टूबर 1973
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, वाराणसी	सितम्बर 1973	अक्टूबर 1973 का प्रथम सप्ताह	12 दिसम्बर 1972
	अक्टूबर 1973	नवम्बर 1973	10 दिसम्बर 1973
	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 और	11 फरवरी 1974
	फरवरी 1974	मार्च 1974 का प्रथम सप्ताह	16 अप्रैल 1974

(7) **विद्युत् आय के निर्धारण में अनियमिततायें**---स्थानीय लेखापरीक्षा में नमूने जाँच के दौरान कुल 48.25 लाख रुपये का कम शुल्क निर्धारण प्रकाश में आया जिसकी आलोचना लेखापरीक्षा रिपोर्ट (1970-71 से 1972-73) में की गई थी । इसका विवरण नीचे दिया गया है :---

लेखापरीक्षा का वर्ष	मामलों की संख्या	कम निर्धारित शुल्क की रकम (लाख रुपयों में)
1970-71	99	9.79
1971-72	17	27.05
1972-73	11	11.41
योग ..	127	48.25

कम शुल्क निर्धारण तथा कुछ अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :---

(क) बलिया के एक उपभोक्ता को विद्युत् शक्ति (100 बी० एच० पी०) की पूर्ति के लिये दिसम्बर 1969 में एक करारनामा किया गया, जिसमें यह शर्त थी कि पूर्ति प्रारंभ की तारीख के बाद की पहली अप्रैल से पाँच वर्ष की समाप्ति होने के बाद ही करारनामा समाप्त किया जा सकता था । उपभोक्ता द्वारा समय से पूर्व करारनामे की समाप्ति की दशा में उसे असमाप्त अवधि के लिये उक्त भार के कनेक्शन (कनेक्टेड लोड) पर 120 रुपये प्रति बी० यच० पी० प्रति वर्ष के हिसाब से न्यूनतम प्रत्याभूति भुगतान करना पड़ेगा। जुलाई 1971 में उपभोक्ता की प्रार्थना पर करारनामा समाप्त कर दिया गया और शेष अवधि

(सितम्बर 1971 से मार्च 1973 तक) के लिये 0.43 लाख रुपये की न्यूनतम प्रत्याभूति (सितम्बर 1971 से मार्च 1975) बिना वसूल किये अगस्त 1971 में विद्युत् भार काट दिया गया ।

परिषद् को मामले की सूचना अप्रैल 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(ख) औद्योगिक विद्युत् शक्ति उपभोक्ताओं जिनका कनेक्शन 100 के० वी० ए० के ऊपर है और जो 11 के० वी० और उससे कम की पूर्ति प्राप्त कर रहे हों, उनको परिषद् द्वारा जून 1968 में दिये गये आदेश के अनुसार जोड़े गये विद्युत् भार पर 50 रुपये प्रति के० वी० ए० या लाइन की लम्बाई पर 150 रुपये प्रति फर्लांग की दर से, जो भी ज्यादा हो जमानत की रकम जमा करनी होगी । तदनुसार अगस्त 1968 और नवम्बर 1972 की अवधि में कनेक्शन प्राप्त केवल मुजफ्फरनगर मंडल के 18 बड़े विद्युत् शक्ति उपभोक्ताओं से जमानत की कुल रकम 6.55 लाख रुपये वसूल किया जाना था । इसके बजाय केवल 3.87 लाख रुपये वास्तव में वसूल किये गये । जमानत के शेष 2.68 लाख रुपयों को कम वसूली के लिए कारण सूचित नहीं किये गये ।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(ग) अप्रैल 1961 के करारनामे के अनुसार गोरखपुर की गणेश चीनी मिल, आनन्द-नगर जिसको वायु संपीडक, कार्यशाला, नल कूप, बस्ती के प्रकाश इत्यादि के लिये 75 के० वी० ए० का विद्युत् भार संबद्ध था, उसे 306 के० वी० ए० का विद्युत् भार और स्वीकृत हुआ तथा कुल 381 के० वी० ए० विद्युत् भार को एक ही अकेले बिन्दु से 20 फरवरी 1970 को संबद्ध किया गया (पुनरीक्षित करारनामा 9 फरवरी 1970 को हुआ) । इस प्रकार मिल एक बड़ी और भारी विद्युत् भार उपभोक्ता हो गई और पहली जुलाई 1968 से लागू समान दर सूची 'एच० वी०-2' के अन्तर्गत प्रभारी हुई । सूची में वर्णित शर्त के अनुसार आवासीय लाइन में विद्युत् खपत को अंकित करने के लिये एक अलग मीटर लगाना और सम्बद्ध दर सूची के अनुसार भुगतान बिल देना था। फिर भी बस्ती के सर्किट को विद्युत् भार सर्किट से अलग नहीं किया गया । ऊर्जा के एक भाग को आवासीय उद्देश्यों के लिये उपभोग में लाने के कारण, जिसके लिये ऊंची दरें लागू होती थीं, करारनामा के अनुसार मिल अपनी कुल विद्युत् खपत का भुगतान प्रकाश व पंखे के लिये लागू दर से करने की जिम्मेदार थी । फिर भी उपभोक्ता से 'एच० वी०-2' दर सूची के अनुसार ही वसूली की गई। इसके फलस्वरूप फरवरी 1970 से अक्तूबर 1972 की अवधि में की गई विद्युत् पूर्ति के लिये 3.59 लाख रुपये का कम राजस्व वसूल किया गया । नवम्बर 1972 से सही ढंग से बिल तैयार किये जाने लगे ।

परिषद् को मामले की सूचना फरवरी 1972 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(घ) जनवरी 1968 में कायमगंज (फर्रुखाबाद) के एक कोल्ड स्टोरेज को 112.5 के० वी० ए० का विद्युत् भार संबद्ध हुआ था। मार्च-अगस्त 1973 में किये गये तीन निरीक्षण से, उपभोक्ता के यहां लगे ट्राईवेक्टोमीटर और अधिकतम मांग निर्देशक (मैक्जिमम डिमांड इन्डिकेटर) में त्रुटियां और गड़बड़ी पाई गयीं। उपभोक्ता के यहां अप्रैल 1974 (अक्तूबर से दिसम्बर 1973 तक उस स्थान की बिजली कटी रही) में एक चेक मीटर लगाने से मालूम हुआ कि ट्राइवेक्टोमीटर और अधिकतम मांग निर्देशक (मैक्जिमम डिमान्ड इन्डिकेटर) 66.5 प्रतिशत धीमे चल रहे थे फिर भी चेक मीटर द्वारा अंकित परिणामों की अवहेलना करते हुए उपभोक्ता को भुगतान का बिल प्रत्येक बार त्रुटि युक्त मीटर में अंकित खपत के अनुसार भेजे गये। गलत ढंग से भुगतान बिल देने के फलस्वरूप

मंडल का नाम	मीटर वाचन का माह	बिल निर्गमन की नियत तिथि	बिल निर्गमन की वास्तविक तिथि
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, झांसी	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 का प्रथम सप्ताह	13 फरवरी 197
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, कानपुर	सितम्बर 1973	अक्टूबर 1973 का प्रथम सप्ताह	17 नवम्बर 197
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, फर्रुखाबाद	अगस्त 1973	सितम्बर 1973 का प्रथम सप्ताह	22 अक्टूबर 197
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, वाराणसी	सितम्बर 1973	अक्टूबर 1973 का प्रथम सप्ताह	12 दिसम्बर 197
	अक्टूबर 1973	नवम्बर 1973	10 दिसम्बर 197
	दिसम्बर 1973	जनवरी 1974 और	11 फरवरी 197
	फरवरी 1974	मार्च 1974 का प्रथम सप्ताह	16 अप्रैल 197

(7) विद्युत् आय के निर्धारण में अनियमितताएं—स्थानीय लेखापरीक्षा में नमूने जांच के दौरान कुल 48.25 लाख रुपये का कम शुल्क निर्धारण प्रकाश में आया जिसकी आलोचना लेखापरीक्षा रिपोर्ट (1970–71 से 1972–73) में की गई थी । इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

लेखापरीक्षा का वर्ष	मामलों की संख्या	कम निर्धारित शुल्क की रकम (लाख रुपयों में)
1970–71	99	9.79
1971–72	17	27.05
1972–73	11	11.41
योग ..	127	48.25

कम शुल्क निर्धारण तथा कुछ अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

(क) बलिया के एक उपभोक्ता को विद्युत् शक्ति (100 बी० एच० पी०) की पूर्ति के लिये दिसम्बर 1969 में एक करारनामा किया गया, जिसमें यह शर्त थी कि पूर्ति प्रारम्भ की तारीख के बाद की पहली अप्रैल से पांच वर्ष की समाप्ति होने के बाद ही करारनामा समाप्त किया जा सकता था । उपभोक्ता द्वारा समय से पूर्व करारनामे की समाप्ति की दशा में उसे असमाप्त अवधि के लिये उक्त भार के कनेक्शन (कनेक्टेड लोड) पर 120 रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष के हिसाब से न्यूनतम प्रत्यामूति भुगतान करना पड़ेगा। जुलाई 1971 में उपभोक्ता की प्रार्थना पर करारनामा समाप्त कर दिया गया और शेष अवधि

(सितम्बर 1971 से मार्च 1973 तक) के लिये 0.43 लाख रुपये की न्यूनतम प्रत्यामूति (सितम्बर 1971 से मार्च 1975) बिना वसूल किये अगस्त 1971 में विद्युत् भार काट दिया गया ।

परिषद् को मामले की सूचना अप्रैल 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(ख) औद्योगिक विद्युत् शक्ति उपभोक्ताओं जिनका कनेक्शन 100 के० वी० ए० के ऊपर है और जो 11 के० वी० और उससे कम की पूर्ति प्राप्त कर रहे हों, उनको परिषद् द्वारा जून 1968 में दिये गये आदेश के अनुसार जोड़े गये विद्युत् भार पर 50 रुपये प्रति के० वी० ए० या लाइन की लम्बाई पर 150 रुपये प्रति फर्लांग की दर से, जो भी ज्यादा हो जमानत की रकम जमा करनी होगी । तदनुसार अगस्त 1968 और नवम्बर 1972 की अवधि में कनेक्शन प्राप्त केवल मुजफ्फरनगर मंडल के 18 बड़े विद्युत् शक्ति उपभोक्ताओं से जमानत की कुल रकम 6.55 लाख रुपये वसूल किया जाना था । इसके बजाय केवल 3.87 लाख रुपये वास्तव में वसूल किये गये । जमानत के शेष 2.68 लाख रुपयों को कम वसूली के लिए कारण सूचित नहीं किये गये ।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(ग) अप्रैल 1961 के करारनामे के अनुसार गोरखपुर की गणेश चीनी मिल, आनन्दनगर जिसको वायु संपीडक, कार्यशाला, नल कूप, बस्ती के प्रकाश इत्यादि के लिये 75 के० वी० ए० का विद्युत् भार संबद्ध था, उसे 306 के० वी० ए० का विद्युत् भार और स्वीकृत हुआ तथा कुल 381 के० वी० ए० विद्युत् भार को एक ही अकेले बिन्दु से 20 फरवरी 1970 को संबद्ध किया गया (पुनरीक्षित करारनामा 9 फरवरी 1970 को हुआ) । इस प्रकार मिल एक बड़ी और भारी विद्युत् भार उपभोक्ता हो गई और पहली जुलाई 1968 से लागू समान दर सूची 'एच० वी०–2' के अन्तर्गत प्रभारी हुई । सूची में वर्णित शर्त के अनुसार आवासीय लाइन में विद्युत् खपत को अंकित करने के लिये एक अलग मीटर लगाना और सम्बद्ध दर सूची के अनुसार भुगतान बिल देना था । फिर भी बस्ती के सर्किट को विद्युत् भार सर्किट से अलग नहीं किया गया । ऊर्जा के एक भाग को आवासीय उद्देश्यों के लिये उपभोग में लाने के कारण, जिसके लिये ऊंची दरें लागू होती थीं, करारनामा के अनुसार मिल अपनी कुल विद्युत् खपत का भुगतान प्रकाश व पंखे के लिये लागू दर से करने की जिम्मेदार थी । फिर भी उपभोक्ता से 'एच० वी०–2' दर सूची के अनुसार ही वसूली की गई । इसके फलस्वरूप फरवरी 1970 से अक्टूबर 1972 की अवधि में की गई विद्युत् पूर्ति के लिये 3.59 लाख रुपये का कम राजस्व वसूल किया गया । नवम्बर 1972 से सही ढंग से बिल तैयार किये जाने लगे ।

परिषद् को मामले की सूचना फरवरी 1972 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975) ।

(घ) जनवरी 1968 में कायमगंज (फर्रुखाबाद) के एक कोल्ड स्टोरेज को 112.5 के० वी० ए० का विद्युत् भार संबद्ध हुआ था । मार्च-अगस्त 1973 में किये गये तीन निरीक्षण से, उपभोक्ता के यहां लगे ट्राईवेक्टोमीटर और अधिकतम मांग निर्देशक (मैक्जिमम डिमांड इन्डिकेटर) में त्रुटियां और गड़बड़ी पाई गयीं । उपभोक्ता के यहां अप्रैल 1974 (अक्तूबर से दिसम्बर 1973 तक उस स्थान की बिजली कटी रही) में एक चेक मीटर लगाने से मालूम हुआ कि ट्राइवेक्टोमीटर और अधिकतम मांग निर्देशक (मैक्जिमम डिमान्ड इन्डिकेटर) 66.5 प्रतिशत धीमे चल रहे थे फिर भी चेक मीटर द्वारा अंकित परिणामों की अवहेलना करते हुए उपभोक्ता को भुगतान का बिल प्रत्येक बार त्रुटि युक्त मीटर में अंकित खपत के अनुसार भेजे गये । गलत ढंग से भुगतान बिल देने के फलस्वरूप

मार्च 1973 से सितम्बर 1973 की अवधि में 0.34 लाख रुपये (विद्युत शुल्क सहित) का शुल्क कम लगाया गया।

परिषद् को मामले की सूचना अगस्त 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(च) चन्दानी (नैनीताल) के एक प्रतिरक्षा विभाग संस्थापन को 12 मई 1970 में 15 के० वी० ए० का विद्युत् भार संबद्ध किया गया। लगाये गये ऊर्जा मीटर ने 14 नवम्बर 197 में विद्युत् की खपत अंकित करना शुरू किया। ट्राइवेक्टोमीटर द्वारा 12 मई 1970 से जुलाई 1970 की अवधि में अंकित विद्युत् खपत के औसत (813 यूनिट प्रतिदिन) के आधार 18 मई 1970 से ऊर्जा की खपत निर्धारित की गई। 14 नवम्बर 1971 से मीटर को चालू कर पर (उपभोक्ता के भवन में उसी दिन एक चेक मीटर भी लगाया गया) मालूम हुआ कि 1 नवम्बर 1971 से 31 अगस्त 1974 की अवधि में 16.03 लाख यूनिटों की खपत हुई (यानि औसतन 1,549 यूनिट प्रति दिन)। मीटर द्वारा (चेक मीटर पर भी) अंकित वास्तविक खपत आधार पर बिल न देकर 813 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से ही इस अवधि के लिये उपभोक्ता को बि दिया गया। इसके फलस्वरूप 7.51 लाख कम यूनिटों का बिल दिया गया। 14 नवम्बर 197 से 31 अगस्त 1974 की अवधि में विद्युत की खपत का गलत बिल बनाने के कारण 1.20 ला रुपये के राजस्व का कम निर्धारण हुआ (सही बिलों का भेजना इसके बाद चालू हो गया है)।

परिषद् को मामले की सूचना जुलाई 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा (अप्रैल 1975)।

(छ) इलाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा 1971 में इलाहाबाद में यूनिवर्स टायर लिमिटेड को 500 के० वी० ए० का विद्युत् भार औद्योगिक कार्य के लिये स्वीकृत हुआ जून 1972 में उपभोक्ता के परिसर की जांच से ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता प्रकाश और पं के लिये पावर ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। तदनुसार प्रकाश और पंखे के लिये विद्यु खपत को आंकने के लिये 6 अक्तूबर 1972 को एक अलग मीटर लगाया गया। जून और जुला 1972 के महीनों में प्रकाश और पंखे के लिये पावर विद्युत् की खपत जनवरी 197 से लागू सही ऊंची शुल्क दर (एच० वी० 1) के हिसाब से मांग पत्र दिया गया। उपभोक्ता द्वा जनवरी 1973 में प्रतिवेदन करने पर कि कैन्टीन, विश्राम कमरे, इत्यादि के लिये प्रकाश और पं में ऊर्जा की खपत की गई थी, अतः जून 1972 से सितम्बर 1972 की अवधि के चार्जों दोहराया (अक्तूबर 1973) गया और इस अवधि की कुल खपत के लिये औद्योगिक टैरि (एच० वी० 2बी) की दर पर भुगतान बिल दिया गया, सही शुल्क दर अक्तूबर 1972 से ला किया गया। उपभोक्ता के लिये औद्योगिक टैरिफ के गलत प्रयोग के फलस्वरूप जून 1972 सितम्बर 1972 की अवधि में 0.40 लाख रुपये का राजस्व कम वसूल किया गया।

परिषद् को मामले की सूचना अगस्त 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रै 1975)।

(ज) राजस्व का न्यून-प्रभार—17 जुलाई 1971 से संशोधित शुल्क दर अनुसार जिस पावर विद्युत् उपभोक्ता की आवासीय लाइन फैक्ट्री विद्युत् भार से अ नहीं की गई हो तो विद्युत् की कुल खपत का शुल्क ऊंचे शुल्क दर (एच०वी०-1) उस समय तक वसूल किया जाना था जब तक दोनों सरकिटों को अलग मीटर द्व अंकित न किया जाय। हालांकि, 13 उपभोक्ताओं (चार इलाहाबाद के, फतेहगढ़, झां और बिजनौर प्रत्येक के दो-दो, हाथरस, बरेली और देवरिया प्रत्येक के एक-एक की आवासीय लाइनें अलग करके अलग मीटरों द्वारा अंकित नहीं की गई थीं, फिर उन पर 5 माह से 24 माह की अवधि तक ऊंची शुल्क दर लागू नहीं की गई, और पूरी

खपत पर बड़े उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली नीची दर से प्रभार वसूल किया गया जिसके फलस्वरूप 6.10 लाख रुपये राजस्व की कम वसूली हुई, जैसा नीचे दर्शाया गया है:—

मण्डल का नाम	अवधि जिसमें कम वसूली की गई	कम वसूली की रकम (लाख रुपयों में)
इलाहाबाद विद्युत् सप्लाई अन्डरटेकिंग	जुलाई 1971 से नवम्बर 1971	0.72
विद्युत् आरक्षण मंडल, फतेहगढ़	जुलाई 1971 से जून 1973	1.20
विद्युत् आरक्षण मंडल, झांसी	जुलाई 1973 से दिसम्बर 1973	0.33
विद्युत् आरक्षण मंडल हाथरस	अक्तूबर 1973 से अप्रैल 1974	0.28
विद्युत् आरक्षण मंडल, बरेली	जुलाई 1971 से जुलाई 1972	2.38
विद्युत् आरक्षण मंडल, बिजनौर	जुलाई 1971 से जून 1972	0.69
विद्युत् आरक्षण मंडल, देवरिया	जुलाई 1971 से मार्च 1972	0.50
	जोड़	6.10

परिषद् को मामले की सूचना जुलाई 1972 और दिसम्बर 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(झ) करारनामें के अनुसार एक लाइसेन्सदार को अलग-अलग मीटरों से युक्त दस उप-स्टेशनों पर, प्रत्येक उप-स्टेशनों को एक अलग आपूर्ति बिन्दु मान कर ऊर्जा की आपूर्ति की गई। एक नवीन करारनामा होने तक (अक्तूबर 1974 तक नहीं हुआ) परिषद् ने उस लाइसेन्सधारी को ऊर्जा की आपूर्ति करना जारी रखा और पहले की ही तरह लाइसेन्सधारी को भुगतान का बिल प्रत्येक आपूर्ति बिन्दु के लिए पृथक पृथक दिया जाता रहा। यह अक्तूबर 1968 से लागू परिषद् के समान शुल्क दर के अनुसार भी था। लाइसेन्सधारी ने इस पद्धति पर इस आधार पर अक्तूबर 1968 में आपत्ति की कि सारी आपूर्ति एक ही केन्द्र पर की गई मानी जानी चाहिए और तदनुसार उसने अपने विभिन्न उप-स्टेशनों से की गई विद्युत् पूर्ति को एक मुश्त करके सारी आपूर्ति एक बिन्दु पर की गई है ऐसा मानकर बिलों का भुगतान किया। परिषद् द्वारा मार्च 1972 में लाइसेन्सधारी को वियोजन सूचना पत्र (कनेक्शन काटने की नोटिस) दिया गया। किन्तु ऊर्जा की पूर्ति का वियोजन नहीं किया जा सका क्योंकि लाइसेन्सधारी ने दीवानी न्यायालय से अन्तरिम व्यादेश प्राप्त (मार्च 1972) कर लिया था। फरवरी 1974 में लाइसेन्सधारी और परिषद् के बीच मामला (बात चीत के आधार पर) तय हुआ और परिषद् द्वारा अक्तूबर 1968 से दिसम्बर 1973 में की गई विद्युत् आपूर्ति के लिए किए गए न्यून भुगतान की 8.94 लाख रुपए की राशि को छोड़ दिया गया। समान शुल्क दर सूची के अनुसार सही भुगतान बिलों का तैयार करना अभी तक (मार्च 1975) चालू नहीं किया गया है।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1972 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(8) प्राप्तियां/निधियां जिन्हें लेखे में नहीं लिया गया—निधियों को लेखे में न लेने के 9.63 लाख रुपए के सत्ताईस मामले मण्डल अधिकारियों द्वारा 1965-66 से 1973-74 के वर्षों के दौरान पकड़े गए और उनकी रिपोर्ट उच्चतर अधि-कारियों को भेज दी गई। उन रिपोर्टों में दर्शाई गई घपले की कार्य विधियां नीचे दी गई हैं :—

(क) नगदी अथवा धनादेश द्वारा प्राप्त राशियों का लेखे में दर्ज न किया जाना।

(ख) राजकोष की प्राप्तियों की तालिका के अंकों में परिवर्तन।

(ग) खो गई, चोरी गई और हिसाब से न ली गई रसीद की किताबों पर उपभोक्ताओं से वसूली और इस प्रकार वसूल की गई रकमों का न तो लेखे में दर्ज किया जाना और न हिसाब में जमा किया जाना ।

(घ) उपभोक्ताओं को सही रकम की रसीद देकर कार्यालयीय प्रतियों में रकम घटा कर दिखाना ।

(च) वसूली की रकम को जोड़ में कम दिखाना और इस प्रकार कम रकम को हिसाब में जमा करना ।

(छ) ऐसी रसीद की किताबों को, जिनके द्वारा वसूली की गई हो, वापस जमा न करना ।

इस प्रकार के मामलों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

मामलों की संख्या	निहित धन-राशि (लाख रुपयों में)	अभ्युक्ति
2	0.08	अपराधी अधिकारी से 5,094 रुपयों की वसूली की गई उसे सजा हो गई । दूसरे मामले में 2,445 रुपए में से 2,051 रुपए की वसूली हुई, शेष रकम की वसूली की प्रतीक्षा है । उत्तरदायी अधिकारियों को दंड दिया गया, जिसमें उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई ।
4	2.27	ये मामले न्यायिक निर्णयाधीन हैं । 1,71,139 रुपयों के एक मामले में विभागीय पंछ-ताछ के दौरान यह पता लगा कि यह गबन अधीक्षण अधिकारियों की चूक के कारण सम्भव हुआ ।
7	4.34	सभी मामलों की जांच राज्य पुलिस अपराध जांच विभाग द्वारा की जा रही है ।
14	2.95	सभी मामलों की विभागीय जांच हो रही है ।

(9) **विद्युत-कर**—प्रत्येक माह में निर्धारित विद्युत् कर जिस माह में मीटर पढ़ा गया हो उसकी समाप्ति के बाद के दो कैलेण्डर महीनों के अन्दर ही सरकार के पास जमा कर दिया जाना चाहिए । नियमों में, यह भी प्राविधान है कि विहित अवधि के अन्दर राज्य सरकार को अप्रदत्त कर की राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज का प्रभार लगेगा ।

विभिन्न प्रखण्डों के नमूना लेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आईं:—

(i) सांविधिक प्राविधान के विपरीत जहां विद्युत् कर का भुगतान, निर्धारण के आधार पर किया जाता है, परिषद् ने (23 मार्च 1973) को अपनी समस्त इकाइयों को अनुदेश जारी किए कि वे राज्य सरकार को विद्युत् कर का भुगतान वसूली के आधार पर कर दें, और यदि कोई अधिक भुगतान जो करनिर्धारण के आधार पर विद्युत्-कर के लेखा देन में संशोधित कानून और नियम के आधार पर हुआ तो उन सब का समायोजन कर दें ।

(ii) उपभोक्ताओं से वसूला हुआ कर भी राज्य सरकार को पूर्णरूप से भुगतान नहीं किया गया । विद्युत् अनुरक्षण प्रखण्ड, गाजियाबाद में 2.32 लाख रुपए का विद्युत्-कर (30 उपभोक्ताओं से संबंधित जिनकी आडिट द्वारा समीक्षा की गई) जिसकी वसूली अप्रैल 1973 से जुलाई 1974 के दौरान की अवधि में की गई उनका गलत वर्गीकरण विद्युत् प्रभार के तौर पर किया गया और परिषद् के लेखे में जमा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान न हो पाया । एक अन्य प्रखण्ड में (वितरण प्रखण्ड, मुरादाबाद) 3.62 लाख रुपए का विद्युत कर जिसकी वसूली

1972–73 में (0.69 लाख रुपए), और 1973–74 में (2.92 लाख रुपए) की गई थी राज्य सरकार को उसका 1974 तक भुगतान नहीं हुआ ।

16. **सामग्री व्यवस्था तथा उसके लेखे का रख-रखाव**

(1) **क्रय संगठन**—प्रत्येक निर्माण परियोजना में पृथक् क्रय संगठन है । शेष व्यवस्था के लिए भंडार के सामान की खरीद परिषद् के केन्द्रीय भंडार अधिप्राप्ति मंडल एवं सब स्टेशन डिजाइन सर्किल तथा पारेषण डिजाइन सर्किल द्वारा की जाती है । परिषद् के क्षेत्रीय अधिकारियों को कुछ सीमा तक खरीद करने के लिए अधिकार सौंप दिया गया है ।

पचास लाख रुपए से अधिक की खरीद का अनुमोदन परिषद् द्वारा किया जाता है और 50 लाख रुपए से कम और 20 लाख रुपए से अधिक की खरीद का अनुमोदन परिषद् की एक समिति द्वारा किया जाता है । अन्य क्रय का अनुमोदन परिषद् द्वारा गठित उचित क्रय समिति करती है । 5,000 रुपए से ऊपर की खरीद के लिए खुले टेन्डर मंगाने की आवश्यकता होती है और 5,000 रुपए से कम का क्रय कुछ चुनी हुई फर्मों से सामान की दर मंगा कर किया जाता है । महानिदेशक, पूर्ति और निपटान एवं उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश के दर ठेकों पर भी सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश देने के लिए भी परिषद् को अधिकार है ।

(2) **क्रियाविधि**—निर्माण-कार्य एवं परिचालन भंडार की खरीदारी, निर्माण-कार्य के कार्यक्रम और अपेक्षित परिचालन और अनुरक्षण कार्य के आधार पर, की जाती है ।

दिसम्बर 1972 में प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद से परिषद् ने अपने व्यय लेखा पद्धति के व्यापक नैदानिक सर्वेक्षण और उसकी क्षमता की उन्नति हेतु उपाय सुझाने के लिए निवेदन किया । विद्यालय के परामर्श एवं प्रयुक्त शोध मण्डल ने फरवरी 1973 में 0.40 लाख रुपये की अदायगी पर कार्य किया तथा अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट अप्रैल 1973 में और अंतिम रिपोर्ट जुलाई 1974 में दिया था ।

परिषद् ने इस रिपोर्ट तथा महाराष्ट्र विद्युत् परिषद् में प्रचालित सामग्री व्यवस्था और वस्तु-सूची नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन करके भंडार व्यवस्था को पुनः संगठित करने के आदेश (जनवरी 1975) दिए । प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद ने अपनी 1973–74 की प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह कहा था कि "प्रखण्डों में न तो सामग्री की प्राप्ति अथवा उपभोग हेतु कोई रूप रेखा ही है और न ही कोई बजट है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में एक केन्द्रीय भंडार और अधिप्राप्ति मण्डल है जो इस समय परिषद् की लगभग 120 करोड़ रुपये की वार्षिक अपेक्षित सामग्री में से लगभग 50 करोड़ रुपये का सामान क्रय करता है परन्तु इन मण्डलों के पास माल जमा करने की न तो अपनी कोई सुविधायें थीं और न ही वे आवश्यकता के अनुरूप खरीद करने का कोई कार्यक्रम बनाते प्रतीत होते हैं । विभिन्न प्रखण्डों को क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इन मण्डलों द्वारा सामग्री का बंटन करते समय बंटन का आधार प्रखण्डों की सामग्रियों की आवश्यकता के बजाय उनके पास उपलब्ध धन होता है । अतः सामग्री महीनों तक भंडार में अप्रयुक्त पड़ी रहती है ।"

उच्चतर दरों पर की गई खरीद और तत्काल उपयोग के लिये अनावश्यक सामग्रियों की खरीद के मामलों पर, जिनके कारण अतिरिक्त एवं परिहार्य खर्च हुआ, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 1970–71 और 1971–72 की रिपोर्टों में टिप्पणी की गई थी ।

कुछ और मामले नीचे दर्शाये जा रहे हैं :—

(क) भंडार प्राप्ति मण्डल ने मद्रास की एक फर्म पर 3,230 रुपये प्रति कि० मी० की दर से 400 कि० मी० 'डाग' कन्डक्टर की पूर्ति के लिये जुलाई 1971 में आदेश (निविदायें प्राप्त करने के

पश्चात्) दिये गये । मार्च 1972 तक पूर्तियां पूर्ण हो जानी थीं । फिर भी फर्म ने अप्रैल 197
तक आपूर्ति शुरू की और सितम्बर 1972 तक 408 कि0 मी0 प्रदान किया । फर्म द्वारा विलम्ब
से पूर्ति किये जाने का कारण परिषद् द्वारा विलम्ब से करारनामे का अन्तिम रूप देना और उसके उत्पादन
में कमी होना इत्यादि था । इसी बीच 'डाग' कन्डक्टर की आपूर्ति के लिये दिसम्बर 1971 में की गई
मांग के उत्तर में कम दरों के प्रस्ताव (न्यूनतम दर 2961.50 रुपये प्रति कि0 मी0) प्राप्त हुये थे और
मार्च 1972 में न्यूनतम दर पर आदेश भी दिये गये थे ।

पूर्ति नियमों की साधारण शर्तों (करारनामें का एक अंश) के अन्तर्गत परिषद् को यह अधिकार
था कि आपूर्ति के आदेश को रद्द कर दे या दण्ड लगा दे क्योंकि अनुबद्ध समय के अन्दर पूर्तियां नहीं
की गई थीं । परन्तु न तो आदेश ही रद्द किये गये और न ही मद्रास फर्म द्वारा विलम्ब से पूर्ति के लिये
कोई दण्ड लगाया गया । जो पूर्तियां अप्रैल 1972 से हुई थी वे ऊंची दर यानी 3,230 रुपये प्रति
कि0 मी0 की दर से स्वीकृत हुई । इसके फलस्वरूप 1.14 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुये ।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल
1975) ।

(ख) भंडार प्राप्ति मण्डल ने 24,580 कि0 मी0 वीजेल कण्डक्टर की पूर्ति के लिये तीन
ठेके, 8 फरवरी 1971 को एक उड़ीसा की, एक कलकत्ता की (10 अगस्त 1971 को) और एक
फरीदाबाद की (10 अगस्त 1971 को) फर्मों से क्रमशः 950 रुपये, 975 रुपये और 952.38
रुपये प्रति कि0मी0 की दर से इस अनुबन्ध के साथ किये कि मार्च 1971 तक (पहले वाले के निस्बत)
और मार्च 1972 (अन्य दो के निस्बत) तक आपूर्तियां कर दी जायेंगी; कलकत्ता की फर्म द्वारा माह
की सुपुर्दगी का समय बाद में (अगस्त 1971) जून 1972 तक बढ़ा दिया गया । पूर्तिकर्ता सुपुर्दगी
की अनुसूची के अनुसार पूर्तियां पूर्ण नहीं कर सके (3917, 4161 और 406 कि0 मी0 कण्डक्टर
क्रमशः तीनों फर्मों द्वारा पूर्ति किया जाना बाकी था) । परन्तु समय बढ़ाने की स्वीकृति बिना दिये या
विलम्ब से पूर्ति करने पर कोई दण्ड बिना लगाये, उड़ीसा की फर्म को छोड़ कर जिस पर 7.41 लाख
रुपये के दण्ड अप्रैल 1973 में लगाये गये थे लेकिन अभी तक (अगस्त 1973) वसूल नहीं किये
गये, ये आपूर्तियां स्वीकार की जाती रहीं । इसी बीच भंडार प्राप्ति मण्डल द्वारा वीजेल तार
की पूर्ति के लिये निविदायें (जनवरी 1972 में खुली) फिर मांगी गई थी । जिसके आधार पर
पूर्ति आदेश (मार्च 1972) अट्ठारह फर्मों पर 892 रुपये प्रति कि0 मी0 की दर से पूर्ति के लिये
दिये गये। उपरोक्त वर्णित तीन पूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा पूर्ति नहीं किये भाग को रद्द न करने से अप्रैल 197
में अंतिम रूप दिये गये निविदा के नीची दर के मुकाबिले ऊंची दर से 3,918 कि0 मी0 क्रय करने के
कारण 2.27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है
(अप्रैल 1975) ।

(ग) भंडार प्राप्ति मण्डल, लखनऊ ने भू-योजन तार (7/16 एस0 डब्ल्यू0 जी0) और
स्थाप तार (7/10 एस0 डब्ल्यू0 जी0) के लिये निविदायें मांगी थी उसे 29 सितम्बर 1969 को
खोला जाना नियत था परन्तु वास्तव में 3 नवम्बर 1969 को खोली गई । 17 निवेदों में से स्वीकृत
होने योग्य निम्नतम दरें 2,478 रुपये प्रति टन 7/16 एस0 डब्ल्यू0 जी0 के और 1,938 रुपये प्रति
टन 7/10 एस0 डब्ल्यू0 जी0 के कलकत्ता की एक फर्म की (नवम्बर 1969 तक वैध) थी, जो तारों
की छड़ों के भाव बढ़ने पर बढ़ाई जा सकती थी । निविदाओं का खोला जाना मुल्तवी होने के साथ
ही निविदा दाता ने अपनी मूल दरों का संशोधन कर के 2,552 रुपये और 2,062 रुपये प्रति टन क्रमशः
7/16 और 7/10 एस0 डब्ल्यू0जी0 तारों के कर दिये और अपने प्रस्ताव को, मूल निविदा में वर्णित
मूल्य वृद्धि की शर्तों को फिर रखते हुए दिसम्बर 1969 तक वैध रक्खा । चूंकि इस बढ़ाई गई
अवधि (दिसम्बर 1969) में कोई निर्णय नहीं किया जा सका, अतः पूर्तिकर्ता से (10 नवम्बर 1969)
अपनी वैधता अवधि जनवरी 1970 तक बढ़ाने और निश्चित दरें सूचित करने को कहा गया । वैधता
अवधि को जनवरी 1970 तक बढ़ाने की अनुमति देते हुये फर्म ने 2,865 रुपये प्रति टन 7/16 एस0
डब्ल्यू0 जी0 के और 2,250 प्रति टन 7/10 एस0 डब्ल्यू0 जी0 के कण्डक्टरों की निश्चित दरें

उद्धृत की । 13 फरवरी 1970 को परिवर्तित दरों पर 600 टन (7/10 एस0 डब्ल्यू0 जी0)
और 300 टन (7/10 एस0 डब्ल्यू0 जी0) कन्डक्टरों के लिये इस फर्म को पूर्ति आदेश दिये
गये । मूल वैधता अवधि (नवम्बर 1969) के अन्दर निविदाओं का अन्तिम रूप न दिये जाने
के फलस्वरूप परिषद् के 2.43 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुये, यह अतिरिक्त व्यय 1.59 लाख
रुपये तक घटाया जा सकता था यदि बढ़ाई हुई वैधता अवधि (दिसम्बर 1969) के अन्दर ही
निविदाओं पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाता ।

कलकत्ता की एक दूसरी फर्म का तकनीकी रूप से स्वीकृत होने योग्य भू प्रयोजन तार (7/16
एस0 डब्ल्यू0 जी0) की पूर्ति के लिये निम्नतम प्रस्ताव 2,285 रुपये प्रति टन का जिसमें 500 टन
अधिक का आदेश देने पर 100 रुपये प्रति टन की दर से छूट मिलती, पर प्रारम्भ में इस आधार पर
विचार नहीं किया गया कि पिछला निष्पादन असंतोषजनक था। फिर भी 650 टन के दो पूर्ति आदेश
फरवरी-जुलाई 1970 में (300 टन फरवरी 1970 में और 350 टन जुलाई 1970 में) इसी पूर्ति कर्ता
को दिये गये । यदि यह निविदा प्रारम्भ में स्वीकार की गई होती और अन्य फर्मों को दिये गये मात्रा
के आदेश भी इसे ही दिये गये होते, तो 4.08 लाख रुपये की बचत हुई होती । जितनी मात्रा के
आदेश इस फर्म को दिये गये थे उन पर 100 रुपये प्रति टन की छूट प्राप्त नहीं की जा सकी
यदि दोनों आदेशों को एक साथ मिला दिया जाता तो 0.65 लाख रुपये की बचत हुई होती ।

परिषद् को मामले की सूचना अप्रैल 1970 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल
1975) ।

(घ) भण्डार प्राप्ति मण्डल ने जुलाई 1973 में ट्रांसफारमर तेल (1000 कि0
ली0) की पूर्ति के लिये निविदाएं मांगी जो 2 अगस्त 1973 को खोली गईं । बड़ौदा की एक
फर्म (क) का न्यूनतम दर 2,270.50 रुपये प्रति कि0 लि0 का प्रस्ताव आवश्यक जमानत
की रकम न दिये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया । बम्बई की एक फर्म (ख)
का तकनीकी तौर पर स्वीकार्य द्वितीय निम्नतम प्रस्ताव 3,342.39 रुपये प्रति कि0 लि0 का
भी अस्वीकार किया गया, क्योंकि परिषद् को उसके सामान की कोटि का पता नहीं था (फर्म से
नमूना नहीं मांगा गया) । बम्बई की एक दूसरी फर्म (ग) का उच्चतम प्रस्ताव 3,369.80 रुपये
प्रति कि0 लि0 का स्वीकृत हुआ और पूर्ति आदेश 3 दिसम्बर 1973 को इस फर्म
(ग) को दिये गये । बम्बई की फर्म (ख) महानिदेशक, आपूर्ति और निवर्तन, नई दिल्ली से
संविदा दर पर अनुबद्ध होने के अलावा ट्रांसफारमर तेल की गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की
विद्युत् परिषदों को पूर्ति करती थी । तकनीकी तौर पर स्वीकृत होने योग्य निम्न प्रस्ताव को
अस्वीकार करने के फलस्वरूप 0.28 लाख रुपये (1000 कि0 लि0 पर 28 रुपये प्रति कि0
लि0 की दर से) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना अगस्त 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है
(अप्रैल 1975) ।

(ङ) मार्च 1972 में 25 के0 वी0 ए0 के 5,180 ट्रांसफारमरों और 63 के0 वी0
ए0 के 4,050 ट्रांसफारमरों के लिये विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं (13) को 3,420 रुपये
और 5,850 रुपये प्रत्येक की दर से क्रमशः 25 के0 वी0 ए0 और 63 के0 वी0 ए0 के लिये
पूर्ति आदेश (निविदाओं के आधार पर) दिये गये । पूर्ति आदेश की तारीख से तीन/चार
माह पश्चात् आदेश मात्रा के 15 से 20 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से मार्च 1973
तक आपूर्ति पूरी कर दी जानी थी । फिर भी, अनुसूची के अनुसार आपूर्तियां सम्पन्न नहीं
हुईं और 31 मार्च 1973 को 25 के0 वी0 ए0 के 62 ट्रांसफारमरों और 63 के0 वी0 ए0
के 410 ट्रांसफारमरों की आपूर्ति होनी बाकी थी । इसी बीच, दूसरी निविदायें मांगी गई और
19 सितम्बर 1972 को निविदायें खोली गईं जिसमें निम्नतम दर (25 के0 वी0 ए0 के

3,200 रुपये प्रति ट्रांसफारमर और 63 के0 वी0 ए0 के 5,400 रुपये प्रति ट्रांसफारमर के गन्तव्य स्थान तक निःशुल्क) प्राप्त हुए थे। इस निविदा के आधार पर अक्तूबर 1972 में 25 के0 वी0 ए0 के 2,550 ट्रांसफारमरों और 63 के0 वी0 ए0 के 500 ट्रांसफारमरों के लिये विभिन्न पूर्तिकर्त्ताओं (पूर्व ठेके की आपूर्ति में चूके हुए पूर्तिकर्त्ताओं सहित) को आपूर्ति के आदेश दिये गये। पूर्ति नियमों की साधारण शर्तों (करारनामे का एक अंश) के अन्तर्गत परिषद् को अधिकार था कि आपूर्ति किये गये पूर्व आदेश के अनिष्पादित भाग की आपूर्ति को उन पूर्तिकर्त्ताओं से निम्नतम दर (अक्तूबर 1972 में स्वीकृत हुई) पर ले लेवें। परन्तु न तो अधिकार का ही प्रयोग किया गया और न विलम्ब से की गई पूर्ति के लिये दोषी पूर्ति कर्त्ताओं पर कोई दंड ही लगाया गया। यदि ऐसा किया जाता तो विलम्ब से की गई पूर्ति को स्वीकार कर लिये जाने पर 1.98 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय न हुआ होता।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(3) **भण्डार की अधिप्राप्ति में सामान्य त्रुटियां**—खरीद की कार्यविधियों में निम्नलिखित दोष पाये गये :—

(i) खरीदारी में वित्तीय अधिकारों का सीमा से बढ़ जाना। उदाहरणार्थ, मंडल अभियंता, विद्युत् पारेषण और निर्माण मंडल, कानपुर ने नवम्बर 1973 से जून 1974 की अवधि में 0.14 लाख रुपये के औजार और मशीनें अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति से खरीदी हालांकि ये खरीदें मंडल अभियन्ता (500 रुपये प्रति वर्ष) और अधीक्षण अभियन्ता (2500 रुपये प्रति वर्ष) की अधिकार सीमा के बाहर थीं।

(ii) परिषद् की इकाइयों द्वारा पूर्ति संविदा/दर-ठेकों में निर्धारित दरों की अपेक्षा, जिनका निर्धारण क्रय संगठन द्वारा अथवा उद्योग निदेशक द्वारा अथवा लोहा एवं इस्पात की मदों के लिये संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा हुआ, ऊंची दरों पर खरीदारी का किया जाना। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा मंडल, ओबरा को हाइड्रोजन गैस (एच-2) की नियमित रूप से आपूर्ति इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता से 3.50 रुपये प्रति घनमीटर की दर पर प्राप्त की जाती है। विलम्ब से पूर्ति होने तथा शीघ्र आवश्यकता के कारण 156 घन मीटर गैस जनवरी 1972 से जुलाई 1973 की अवधि में रेनूसागर की एक फर्म से उधार ली। उधार पर ली गई आपूर्ति वापस नहीं की गई और 1973 में फर्म को 48 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 7,488 रुपये का भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप 6,942 रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। वर्ष 1973 में 48 घन मीटर हाइड्रोजन गैस मंडल ने फर्म को 4 रुपये प्रति घन मीटर की दर से दिया था। एक अन्य मामले में भंडार अधि-प्राप्ति सर्किल, लखनऊ ने 14.29 रु0 प्रति सेट, गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा सहित, की दर से स्वाप सेटों के लिये 3 जुलाई 1973 में कलकत्ता की एक फर्म को आपूर्ति के लिये आदेश दिये। इस आदेश के अन्तर्गत 4,000 स्वाप सेट ग्रामीण विद्युतीकरण मन्डल, आजमगढ़ के लिये आवंटित किए गये तथा फर्म द्वारा पूर्ति आदेश की प्राप्ति से चार से छह हफ्ते के अन्दर आपूर्ति प्रारम्भ की जानी थी। विलम्ब से आपूर्ति होने के कारण मंडलीय क्रय समिति ने 24 और 27 अप्रैल 1974 को स्थानीय दो फर्मों को क्रमशः 23.0[illegible] और 24.12 रुपये प्रति की दर से 2,000 सेटों के लिये आदेश दिये। कलकत्ता की फर्म ने किसी प्रकार मार्च 1974 में 2,000 सेटों की आपूर्ति की। ऊंची दर से क्रय किये जाने के कारण 0.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(iii) वैधता अवधि के अन्दर ही निविदाओं को अन्तिम रूप न दिये जाने के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय होना। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(क) सिंगिल (1,20,000) और पाली फेस (63,500) ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के लिये निविदायें 30 अक्तूबर 1972 को खोली गईं। पंद्रह प्रस्ताव (28 फरवरी 1973 तक वैध) प्राप्त हुए। भंडार अवाप्ति मंडल (8 मार्च 1973) ने कलकत्ता की एक फर्म का पाली फेस (10, 25 और 50 एम्पीयर्स) और जयपुर की एक फर्म का सिंगिल फेस (5,10 और 20 एम्पीयर्स) मीटरों के लिये सबसे नीची दर का प्रस्ताव स्वीकृत करने की भंडार क्रय समिति से सिफारिश की। साथ ही फर्मों से अपनी निविदाओं की वैधता अवधि को 31 मार्च 1973 तक बढ़ाने को कहा गया जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। परन्तु भंडार क्रय-समिति 31 मार्च 1973 तक निविदाओं को अन्तिम रूप न दे सकी। अतः फर्मों से (23 मार्च 1973) फिर 30 अप्रैल 1973 तक वैधता अवधि बढ़ाने को कहा गया। इसको बढ़ाते समय फर्मों ने अपने भाव 50 एम्पीयर मीटर के लिये 27 रुपये प्रति मीटर और 10 और 25 एम्पीयर पाली फेस के 3 रुपये से 9 रुपये और सिंगिल फेस मीटर के 1.50 रुपये प्रति मीटर, सामग्री की कीमतों में बढ़ोत्तरी के आधार पर, बढ़ा दिये। बहरहाल, भंडार क्रय समिति द्वारा निविदाओं पर विचार 24 से 27 अप्रैल 1973 के बीच में सम्पन्न किया गया। पाली फेस मीटरों के लिये आदेश (50 एम्पीयर के 2,500, 25 एम्पीयर के 36,000 और 10 एम्पीयर के 15,000) दूसरे और चौथे न्यूनतम निविदाकर्त्ता को दिये गये। जयपुर की फर्म को उसके बढ़ाये हुए भाव पर 60,000 सिंगिल फेस मीटरों के लिये आदेश दिये गये। इस प्रकार, निविदाओं को विलम्ब से अन्तिम रूप दिये जाने के फलस्वरूप 5.19 लाख रुपयों का (0.15 लाख रुपये केन्द्रीय बिक्री कर सहित) अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1973 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ख) भन्डार अधिप्राप्ति मन्डल, लखनऊ ने दिसम्बर 1969 में परिषद् से गोफर वीजेल और फीरेट कन्डक्टरों की पूर्ति के लिये तकनीकी तौर से उपयुक्त कलकत्ता की एक फर्म के (5 नवम्बर 1969 को खोले गये दर जो 663 रुपये से 1,069 रुपये प्रति कि0मी0 के बीच थी); जुलाई 1969 में मांगी गई निविदाओं से प्राप्त, निम्नतम प्रस्ताव की (31 दिसम्बर 1969 तक वैध) सिफारिश की। परिषद् की केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक वैधता अवधि समाप्त होने के पहले नहीं हुई क्योंकि भन्डार अधि-प्राप्ति मन्डल की सिफारिशें अन्तिम तारीख को भेजी गई थी। जिनके प्रस्ताव की वैधता अवधि 15 जनवरी 1970 थी और तकनीकी तौर से उपयुक्त थे, उन आठ फर्मों को परिषद् ने 32,900 कि0 मी0 गोफर, वीजेल और फीरेट कन्डक्टरों की पूर्ति आदेश फरवरी 1970 में 674 रुपये से 1,090 रुपये प्रति कि0मी0 के बीच की ऊंची दरों पर दिये। निम्नतम प्रस्ताव वैधता अवधि के अन्दर स्वीकार न करने के फलस्वरूप 9.82 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना अप्रैल 1972 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ग) कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन ने एल0 टी0पी0 वी0 सी0 तारों (विभिन्न प्रकार के) की पूर्ति के लिये निविदायें मांगी जो 28 जून 1973 को खोली गईं। दरें 16,750 रुपये से 34,920 रुपये प्रति किलो मीटर के बीच की थी। निविदायें चार माह यानी 28 अक्तूबर 1973 तक की अवधि के लिये वैध थीं, परन्तु इस अवधि के अन्दर क्रय को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। वैधता की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही 8 अक्तूबर 1973 को निविदा दाताओं से वैधता अवधि 30 नवम्बर 1973 तक बढ़ाने को कहा गया। इसके लिये सहमत होते हुए निम्नतम (सतना के) निविदादाता ने भी अपने भाव, तारों के विभिन्न कोटियों के अनुसार, 1,150 रुपये से 5,860 रुपये प्रति कि0 मी0 बढ़ा दिये। 30 नवम्बर 1973 को तार द्वारा पूर्ति

आदेश (20 कि0 मी0) बढ़ी हुई दर पर दिये गये। निविदाओं को वैधता अवधि के अन्दर अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण 0.41 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(घ) उप-केन्द्र आलेख मन्डल, लखनऊ ने करेन्ट ट्रान्सफारमर (ए–1 और ए–2 प्रकार के) की खरीद के लिये 21 जनवरी 1970 को निविदायें खोलीं, जो तीन माह, यानी 21 अप्रैल 1970 तक वैध थीं। 18 मार्च 1970 को निविदा दाताओं से एक माह के लिये वैधता अवधि बढ़ाने के लिये कहा और ए–2 प्रकार के विभिन्न एम्पीयर वाले करेन्ट ट्रान्सफारमर के भाव भी बताने को कहा गया। बम्बई की एक फर्म के 17,770.50 रुपये प्रति ए–1 प्रकार और 19,057.50 रुपये प्रति ए–2 प्रकार (6 अप्रैल 1970 को निवेदित किये गये संशोधित दर) के भाव तकनीकी तौर पर उपयुक्त पाये गये, और 24 अप्रैल 1970 को केन्द्रीय भन्डार क्रय समिति ने परिषद् से 180 ए–1 और 75 ए–2 ट्रान्सफारमर की आपूर्ति के लिये आदेश देने के लिये सिफारिश की। फिर भी, 20 अप्रैल 1970 को फर्म से एक माह के लिये वैधता अवधि फिर बढ़ाने को कहा, इस वैधता अवधि को बढ़ाने की स्वीकृत देते हुए 15 मई 1970 को पूर्ति कर्त्ता ने अपनी कीमत पर 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सूचित किया। उसके बाद वाले ऊंचे दर के निविदा दाता (एक केरल की फर्म) को 130 ए–1 और 70 ए–2 ट्रान्सफारमर के लिये क्रमशः 20,300 रुपये और 20,800 रुपये प्रत्येक की दर से परिषद् ने 22 मई 1970 को पूर्ति आदेश देने का निर्णय लिया। वैधता अवधि के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप न देने के फलस्वरूप 4.51 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय हुए।

परिषद् को मामले की सूचना जुलाई 1971 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ङ) भन्डार प्राप्ति मन्डल ने ऊर्जा के मीटरों की आपूर्ति (62,500 पाली फेस मीटर 100,50,25 तथा 10 एम्पीयर के और 1.20 लाख सिंगिल फेस मीटर 25,10 और 5 एम्पीयर) के लिये निविदायें मांगी जो 30 अक्तूबर 1972 को खोली गईं। चूंकि मन्डल अधिकारी वैधता अवधि, यानी 28 फरवरी 1973 तक, अपनी सिफारिशों को केन्द्रीय क्रय समिति के विचार के लिये अन्तिम रूप दे नहीं सके, अतः पूर्तिकर्त्ताओं से वैधता अवधि मार्च 1973 तक बढ़ाने को कहा गया (24 फरवरी 1973)। केन्द्रीय क्रय समिति इस बढ़ी हुई वधता अवधि में निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सकी और पूर्ति कर्त्ताओं से अपनी वैधता अवधि अप्रैल 1973 तक और बढ़ाने के लिये कहा गया। इसके लिये सहमत होने के साथ ही सब से नीची दर वाली निविदा दाता फर्म ने भाव बढ़ा दिये। 2.25 रुपये से 3.75 रुपये प्रति सिंगिल फेस मीटर और 7 रुपये से 31 रुपये प्रति पाली फेस मीटर की ऊंची दर से 30 अप्रैल 1973 को विभिन्न पूर्तिकर्त्ताओं (दो सब से नीची दर के निविदा दाताओं सहित) को पूर्ति आदेश (62,500 पाली फेस और 75,000 सिंगिल फेस) दिये। बढ़ी हुई वैधता अवधि के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप न देने के फलस्वरूप 8.90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना अगस्त 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(iv) आवश्यकताओं का विभाजन करना और इस प्रकार खुले तौर पर निविदायें मंगाये जाने एवं उच्च अधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्ति की आवश्यकता का निवारण करना। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रखन्ड बदायूं के प्रखन्ड अधिकारी ने कुल 0.35 लाख रुपये मूल्य के आठ अलग-अलग आदेश, अप्रैल 1973 से जुलाई 1973 की अवधि में 1500 जी0 आई0 पाइप स्थाप खड़े के लिये सीमित रूप से मंगाई गई निविदाओं के आधार पर दिये। जनवरी 1973 से जनवरी 1974 की अवधि में 0.52 लाख रुपये मूल्य के 15.75 मीट्रिक टन बोल्ट और नटों के लिय भी अलग-अलग सत्रह आदेश दिये।

(v) आवश्यकताओं की दोषपूर्ण योजना के कारण आवश्यकता से अधिक क्रय किया जाना। उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(क) 10 जनवरी 1974 को भन्डार अधिप्राप्ति मन्डल, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेश के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण प्रखन्ड, बस्ती ने 10,000 पिन इन्सुलेटर (11 के0 वी0) मार्च 1974 में प्राप्त किये। मन्डल ने इस सामान के लिये कोई किसी प्रकार की मांग नहीं की थी और भन्डार में 7,000 पिन इन्सुलेटर पहले से ही थे। मन्डल ने केवल 2,540 पिन इन्सुलेटर का उपयोग किया, 4,820 को अन्य मन्डलों में स्थानान्तरित किया और 5,877 (मूल्य 0.44 लाख रुपये) को नवम्बर 1974 में आवश्यकता से फालतू घोषित किया। अधीक्षक अभियन्ता, गोरखपुर सर्किल द्वारा दिसम्बर 1973 में दिये गये आदेश के आधार पर उसी मन्डल में 8,800 मीटर पी0 वी0 सी0 केबिल की पूर्ति जून और जुलाई 1974 में प्राप्त हुई थी। पूर्ति से प्राप्त और मौजूदा स्टाक से 9,000 मीटर मार्च से नवम्बर 1974 की अवधि में स्थानान्तरित किया गया और नवम्बर 1974 में 6,500 मीटर मन्डल की आवश्यकता से फालतू घोषित किया गया।

(ख) विद्युत पारेषण निर्माण प्रखन्ड, सीतापुर में केन्द्रीय भन्डार प्राप्ति मन्डल द्वारा प्रखन्ड को आवंटित किया गया 17.17 लाख रुपये का सामान (केवल 13 मद) (1970–71 में 8.15 लाख रुपये के, 1971–72 में 2.83 लाख रुपये के और 1972–73 में 6.19 लाख रुपये) बिना इस्तेमाल हुआ पड़ा था। मन्डल ने इसको अपनी आवश्यकता से फालतू घोषित कर दिया (अप्रैल 1975)। यह सामान केन्द्रीय भन्डार प्राप्ति मन्डल ने आबंटित किया था हालांकि जिस कार्य के लिये यह सामान प्राप्त किया गया था वह परिषद् द्वारा तत्संबंधी अन्य सामान और निधि के उपलब्ध न होने के कारण, स्थगित कर दिया था।

(vi) पूर्ति आदेश के बजाय कार्य आदेश (वर्क आर्डर) के आधार पर क्रय किया जाना जिससे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न लेना पड़े।

सामग्री को क्रय आदेश द्वारा प्राप्त करने के लिये प्रखण्ड अधिकारी का अधिकार 10,000 रुपये प्रति माह (अधीक्षक अभियन्ता की स्वीकृति से 50,000 रुपये) तक सीमित है; परन्तु वर्क आर्डर के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ प्रखण्ड अधिकारियों ने अपने यहां से रद्दी सामग्री दे कर मदों के कथित निर्माण के लिये वर्क–आर्डर देकर उसके द्वारा भण्डार उपलब्ध किया। उदाहरणार्थ, वर्ष 1972 और 1973 के दौरान विद्युत् अनुरक्षण मण्डल, बाराबंकी ने 31.38 लाख रुपये की भण्डार सामग्री खरीदी।

(vii) जिन इकाइयों को माल मिलना था उन्हें नमूने/विस्तृत विवरण दिये बिना केन्द्रीय रूप से खरीद करना, जिसके कारण माल प्राप्त होने पर यह सत्यापित करना व्यावहारिक नहीं था कि आपूर्तियां अनुमोदित किस्म/बनावट/विशिष्ट विवरण के अनुकूल थीं।

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(क) मार्च, 1972 में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुरक्षण मंडल, वाराणसी ने लेग–क्वायल की पूर्ति के लिये निविदायें मांगी। 22 मार्च 1972 को निविदायें खोली गईं और 26 अक्टूबर 1972 को भंडार क्रय समिति ने उनको अंतिम रूप दिया। दिसम्बर 1972 में 1,543 विभिन्न क्षमता के क्वायलों की पूर्ति के लिये चार पूर्तिकर्त्ताओं को आदेश दिये गये। पूर्ति कर्त्ताओं को विभिन्न प्रखण्डों द्वारा नमूना देने की तारीख से 30 दिन के अन्दर पूर्ति कार्य शुरू करना था जो प्रखण्डों द्वारा मार्च 1973 तक ही दिये जा सके। जून 1973 और अगस्त 1973 के बीच तीन पूर्ति कर्त्ताओं ने, विलंब से नमूने दिये जाने के कारण और उस समय तक तांबे के तारों के मूल्य बढ़ गये थे, पूर्तिकार्य शुरू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, दूसरे पूर्तिकर्त्ता ने अगस्त 1973 में पूर्ति-कार्य पूरा किया। बाद में, 415 लेग क्वायल ऊंची दर से अक्टूबर 1973 में खरीदे गये, जिसके फलस्वरूप 0.44 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना मार्च 1974 में दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ख) आजमगढ़ की एक फर्म द्वारा विभिन्न मंडलों को 1760 कि0 मी0 ए0 सी0 एस0 आर0 (राकून) तार की 2,250 रुपये प्रति कि0 मी0 गन्तव्य रेल स्थान तक निःशुल्क (बीमा को शामिल करके तथा उत्पाद शुल्क और बिक्री कर को छोड़कर) की दर से पूर्ति के लिये अप्रैल, 1972 में ठेका हुआ। ठेके की शर्त यह थी कि तारों का प्रेषण करने के पूर्व ही पूर्तिकर्ता के निर्माण स्थान पर तारों की जांच तथा परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा जांच रिपोर्ट की पुष्टि की जानी थी। फिर भी, फर्म ने प्रेषण से पूर्व तारों को जांच के लिये प्रस्तुत नहीं किया और जांच रिपोर्ट की पुष्टि हुये बिना ही उसकी पूर्ति मई 1972 से नवम्बर 1972 के बीच कर दी गई।

पूर्ति किये गये तारों (176 कि0 मी0) को उप-मानक कोटि के होने की शिकायत तीन मंडलों (यानी विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मैनपुरी, विद्युत् पारेषण और निर्माण मंडल, मुरादाबाद और फैजाबाद) द्वारा किये जाने पर भंडार निरीक्षण मंडल ने पूर्ति किये गये तारों के कुछ नमूने एकत्र किये (जून 1973) और ज्ञात किया कि अन्य दोषों के अलावा तार "ले रेशियो" जांच और "ब्रेकिंग लोड" परीक्षण में विफल थे।

तदनुसार, उन तीन मंडलों में प्राप्त 610 कि0 मी0 अस्वीकृत कर दिये गये और अन्य मंडलों को आदेश दिये गये (जुलाई 1973) कि पारेषण लाइनों में उनका उपयोग उस समय तक न किया जाये जब तक शेष आपूर्तियों के नमूनों की जांच न हो जाये (नमूने की जांच मार्च 1975 में पूर्ण हुई)। इस बीच 38.81 लाख रुपये का पूरा भुगतान 1974-75 के दौरान कर दिया गया। पूर्तिकर्ता द्वारा जमानत के एवज में दी गई बैंक गारन्टी (0.39 लाख रुपये) की अवधि भी बीत गई।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1973 से फरवरी 1974 के बीच दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ग) जुलाई 1970 में कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये 57 रुपये प्रति मीटर की दर से 9000 मीटरों के पूर्ति आदेश चण्डीगढ़ की एक फर्म को दिये गये। पूर्ति विलम्ब से होने के साथ साथ मार्च 1971 में फर्म द्वारा पूर्ति किये गये मीटर अप्रैल 1971 में परीक्षण द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं संस्थापन के लिये अनुपयुक्त पाये गये। केसा द्वारा 10,000 ए0 सी0 मीटरों की पूर्ति के लिये अल्पावधि निविदायें मांगी गई, जो 25 जुलाई 1972 को खोली गई। प्राप्त हुये नौ प्रस्ताव (चण्डीगढ़ पूर्तिकर्ता की 51 रुपये प्रतिमीटर की दर को मिला कर) में से कलकत्ता की एक फर्म का सबसे नीची दर का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 29.50 रुपये प्रति मीटर की दर से कलकत्ता की फर्म को नवम्बर, 1972 में पूर्ति आदेश दिये गये। इसी बीच, चण्डीगढ़ की फर्म से आगे पूर्तियां (6,001 मीटर जून 1971 तक, 2,000 मीटर अगस्त 1972 में और 500 मीटर अप्रैल 1973 में) स्वीकार की गईं। परीक्षण पर वे मीटर भी त्रुटिपूर्ण एवं उपभोक्ता के परिसर में संस्थापन के लिये अनुपयुक्त पाये गये और संपूर्ण 3,100 मीटर भंडार में पड़े थे (मई 1974)।

जब कि नई नीची दरों के आदेशों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, ऊंची दर पर चण्डीगढ़ की फर्म से आगे पूर्तियां (जो त्रुटिपूर्ण थीं और प्रयोग में न लाई जा सकती थीं) स्वीकार करने के फलस्वरूप 0.69 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(घ) भंडार प्राप्ति सर्किल, लखनऊ ने जयपुर की एक फर्म को 150 रुपये प्रति खंबे की दर से रेल भाड़ा, बीमा, माल चढ़ाने और उतारने के खर्च के अलावा, 40,000 पूर्व प्रति बलित सीमेंट कंक्रीट खंबों की पूर्ति के लिये आदेश दिये। प्रेषण से पूर्व खंबों का निरीक्षण नहीं किया गया था और निम्न कोटि की आपूर्ति किये जाने के कारण तीन प्रखण्डों में हुई हानि नीचे दर्शाई गई है:—

मंडल का नाम	आवंटित खम्भों की संख्या	प्राप्त खम्भों की संख्या	क्षति ग्रस्त खम्भों की संख्या	150 रुपये प्रति खम्भे की दर से हानि (लाख रुपयों में)
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गाजीपुर	2,000	1,936	653	0.98
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, आजमगढ़	उपलब्ध नहीं	3,981	248	0.37
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, बलिया	5,000	1,994	296	0.44
			जोड़	1.79

खंबों के खड़ा करने से पूर्व और बाद में कितने और टूट-फूट गये इसका ब्योरा न तो निश्चित हुआ और न इससे हुई हानि का हिसाब लगाया गया, हालांकि केवल एक प्रखण्ड (ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, आजमगढ़) के अवर अभियन्ताओं ने ही 302 टूटे हुये खंबों की सूचना दी थी।

विद्युत् अनुरक्षण प्रखण्ड, गाजीपुर को दो प्रेषण फरवरी 1974 और मार्च 1974 में भेजे गये और माल क्रमशः मई और अक्टूबर 1974 में छुड़ाया गया और मंडल को 0.61 लाख रुपये विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क देने पड़े। पूर्तिकर्ता फर्म ने टूटे खंबों को बदलने के लिये इस आधार पर इन्कार कर दिया कि रेलवे से हानि का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था और लम्बे समय तक स्टेशन पर खम्बे पड़े रहने के कारण विलम्ब शुल्क लग गया।

(4) **ट्रान्सफार्मरों की चोरी**—जिन ट्रान्सफार्मरों द्वारा राजकीय/निजी नलकूपों को ऊर्जा की पूर्ति की जाती है उनकी चोरी से, 1973-74 के अन्त तक पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई हानि का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	संख्या ट्रांसफार्मरों की जिनकी चोरी हुई	चोरी हुए ट्रान्सफार्मरों का ह्रास मूल्य	चोरी के मामलों की संख्या जिनमें जांच पड़ताल पूरी की गई	हानि का परिमाण जो बट्टे खाते में डाला गया
1969-70	837	20.83	10	0.08
1970-71	638	18.58	3	0.06
1971-72	1,037	27.98	..	..
1972-73	747	24.21	..	..
1973-74	1,004	33.59	..	...
जोड़	4,263	125.19	13	0.14

(5) **कन्डक्टरों की चोरी**—पांच साल के दौरान 1973–74 के अन्त तक कन्डक्टरों (मुख्यत: तांबे के कन्डक्टर) के चोरी किए जाने के कारण हानि :—

वर्ष	चोरी के मामलों की संख्या	चोरी हुए कन्डक्टरों का ह्रास मूल्य	चोरी के मामलों की संख्या जिनमें जांच पड़ताल पूरी की गई	हानि का परिमाण जो बट्टे खाते में डाला गया (लाख रुपयों में)
		(लाख रुपयों में)		
1969–70	619	16.24	26	0.22
1970–71	504	11.26	5	0.08
1971–72	900	19.58	..	..
1972–73	263	6.55	..	..
1973–74	202	4.75	..	..
जोड़	2,488	58.38	31	0.30

(6) **भंडार संगठन**—भंडार संगठन में प्रखण्ड भंडार, उप–प्रखण्ड और अनुभागीय भंडार होते हैं जो क्रमश: प्रखण्ड और उप–प्रखण्ड अभियन्ताओं के नियन्त्रण में होते हैं। सामग्रियां जो केन्द्रीय भंडार अधिप्राप्ति संगठन के आदेश दिए जाने पर खरीदी जाती हैं, वे प्रखण्ड भंडार में सीधे प्राप्त की जाती हैं।

(7) **भंडार का मूल्य**—1973–74 में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में रक्खे हुए भंडार का मूल्य निम्न प्रकार था :—

	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
				(करोड़ रुपयों में)	
पूंजीगत भंडार (निर्दिष्ट परियोजनाओं हेतु)	..	10.77	13.71	20.86	24.85
अन्य भंडार (अनुरक्षण हेतु)	21.17	20.86	27.82	33.40	33.55
जोड़	21.17	31.63	41.53	54.26	58.40

अनुरक्षण मण्डलों के "अन्य भंडार" का राजस्व भंडार और पूंजीगत भंडार में किया गया विभाजन का ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

उपयुक्त आंकड़ों में सम्मिलित आयात किए गए भंडार का मूल्य प्रत्येक मद की अवधि और उसके मूल्य के आधार पर विभाजित विवरण, भंडार के अनुरक्षण का मूल्य जिसमें अधिष्ठापन व्यय भी सम्मिलित है, प्रत्यक्ष जांच करने की लागत इत्यादि, यह सब उपलब्ध नहीं थे।

परिषद् के नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रखण्ड में अधिकतम आरक्षित भंडार की सीमा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित की जाती है; वर्ष 1973–74 के लिए सीमा निर्धारित नहीं हुई। परिषद् ने बताया (अक्तूबर 1974) कि 1973–74 के लिए आरक्षित भंडार सीमा इस लिए निर्धारित नहीं हुई क्योंकि भंडार के 1973–74 के बजट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

अप्रैल 1974 में परिषद् की कर्मचारी समिति ने अपनी बैठक में कुछ श्रेणी के प्रखण्डों में भंडार की अधिकतम सीमा का निम्न प्रकार सुझाव दिया है :—

(i) विद्युत् अनुरक्षण मण्डल	15 लाख रुपए
(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण मण्डल,	30 लाख रुपए
(iii) विद्युत् टेस्ट मण्डल,	8 लाख रुपए

उपर्युक्त श्रेणियों के 61 प्रखण्डों में 31 अगस्त 1974 को वास्तविक भंडार की स्थिति परिशिष्ट—III में दी गई है। इससे यह ज्ञात होगा कि 10.96 करोड़ रुपयों की कुल सीमा के विपरीत इन भंडारों में स्थित कुल भंडार का मूल्य 28.21 करोड़ रुपए था।

दिसम्बर, 1972 में विद्युत् की तकनीकी समिति ने इस बात पर विचार किया कि माल की सूची जो परिषद् के पास थी वह बहुत बड़ी थी और जो भंडार स्थापित किया गया उसके विषय में सुझाव दिया कि उसका पुनर्गठन किया जाय।

योजना आयोग ने राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं परिषद् से विचार विमर्श के दौरान (दिसम्बर 1973) सुझाव दिया कि सामान की सूची घटाकर 10 करोड़ रुपए की कर दी जाय। भंडार संगठन के युक्तिकरण के प्रस्तावों पर परिषद् द्वारा 1963, 1968, 1969 और 1971 में विचार किया गया। इस ढांचे के पुनर्गठन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी बीच सामान सूची का अवशेष 31 मार्च 1970 में 21.70 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 1974 को 58.40 करोड़ रुपए हो गया।

(8) **लेखा पद्धति**—परिषद् ने जून 1966 में यह तय किया था कि भंडार के प्रारम्भिक लेखों को अधिक से अधिक 1971–72 के आरम्भ से वाणिज्यिक पद्धति पर रखें जायं किन्तु भंडार लेखे (स्टोर्स एकाउन्ट्स) पुरानी सार्वजनिक–निर्माण पद्धति पर ही चलाए जा रहे हैं। लेखे की वर्तमान व्यवस्था में निम्नलिखित बातों का अभाव है :—

(क) भंडारों का उचित वर्गीकरण,

(ख) प्रत्येक भंडार मद की न्यूनतम और अधिकतम सीमा और किस स्तर पर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए कार्यवाही की जाए इसकी व्यवस्था,

(ग) स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन,

(घ) प्रबन्धक की ऊंची कीमत वाले आवश्यक भंडार मदों की वर्णात्मक आधार से स्थिति सूचित करना और

(ङ) तेज संचलन और मंद संचलन वाले भंडार मदों का वर्गीकरण।

(9) **रजिस्टरों का बन्द किया जाना**—(क) **स्टाक रजिस्टर**—प्रत्येक वर्ष स्टाक रजिस्ट छ:-छ: महीने पर सितम्बर और मार्च में संतुलन करके बन्द कर देना चाहिए। परन्तु एक प्रखण्डर में दस वर्ष से अधिक समय तक ग्यारह प्रखण्डों में पांच वर्ष से अधिक समय तक और चौदह प्रखण्डों में तीन वर्ष से अधिक समय तक रजिस्टर बन्द नहीं किए गए। आठ प्रखण्डों से सम्बन्धित कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

स्टाक रजिस्टर के बन्द न किए जाने के कारण जहां प्रत्यक्ष भंडार का सत्यापन किया जा चुका था वहां भी सम्भावित हानियों/कमियों को मालूम न किया जा सका। परिषद् ने बताया (अक्तूबर, 1974) कि इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि छमाही स्टाक रजिस्टरों को पूरा करके बन्द कर दिया जाय।

(ख) **औजार और संयंत्र के रजिस्टर**--प्रत्येक वर्ष औजार और संयंत्र के रजिस्टर सितम्बर में बन्द कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित् हो जाय कि :—

(i) औजार और संयंत्र जो दिए गए और जिनका प्रभाग द्वारा प्रयोग होना था या जिन्हें ठेकेदारों को अस्थायी रूप से उधार दिया गया वे सब निश्चित् समय पर बिना देर किए अच्छी अवस्था में वापस कर दिए गए, और

(ii) हानियों/कमियों के समायोजन में, यदि ऐसा कोई है, कोई अनावश्यक देरी तो नहीं हुई।

1973–74 के स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान जो नमूना जांच की गई उससे यह व्यक्त हुआ कि 12 मंडलों में औजार और संयंत्र रजिस्टर पिछले कई वर्षों से बन्द नहीं किए गए।

(10) **भंडार का अन्तर प्रखंडीय स्थानान्तरण**—जब भंडार एक प्रखंड से दूसरे प्रखण्ड को स्थानान्तरित किया जाता है उस समय प्रेषक प्रखंड स्थानान्तरण नामें (ट्रान्सफर डेबिट) की सूचना निर्गमित करता है, इस पर प्राप्त कर्त्ता प्रखंड के लिए यह अपेक्षित हो जाता है कि वह उसे स्वीकार करे और यथाशीघ्र खाते में दर्ज करे। 24.18 करोड़ रुपयों के मूल्य (परिषद् के पास वर्ष वार विभाजन उपलब्ध नहीं है) की भंडार से संबंधित सूचनायें (एडवाइस) प्राप्त-कर्त्ता प्रभागों के पास अस्वीकृत पड़ी हुई थी (मार्च 1974)। स्वीकृतियों के अभाव में यदि कोई हानि माल के न देने / कम होने पर प्रतीत हो तो उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिषद् ने बताया (अक्तूबर 1974) कि अवशेष के विश्लेषण एवं समायोजन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु 31 जनवरी 1975 को बिना समायोजन हुए शेष की राशि बढ़ कर 34.22 करोड़ रुपए हो गई थी।

(11) **भंडार का माल जिनका लेखा-जोखा नहीं हुआ था जो कम पाया गया**—प्रभागों के भंडार अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा निम्न प्रकार के मामलों, जिसमें भंडार की वस्तुओं की कमी और जिनका लेखा-जोखा नहीं हुआ, का पता चला :—

प्रभाग का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)	असंगति की किस्म :
(i) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बरेली	अप्रैल 1968 से सितम्बर 1969	1.69	भंडार का लेखे में न लिया जाना जिसका पता जून, 1969 से अक्तूबर, 1969 में लगा।
(ii) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, इलाहाबाद	अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969	2.43	भंडार का लेखे में न लिया जाना जिसका पता अप्रैल 1969 में लगा।
(iii) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मिर्जापुर	नवम्बर, 1969	1.16	ए0 सी0 एस0 आर0 कन्डक्टर 32.341 किलो मीटर और 90 पौंड के 47 रेल जो विद्युत्अनुरक्षण मंडल, गाजीपुर को नवम्बर 1969 में स्थानान्तरित कर दिया गया और जिसकी पावती स्वीकार नहीं की गयी।

प्रभाग का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)	असंगति की किस्म
(iv) विद्युत् पारेषण और निर्माण मंडल, गोरखपुर	सितम्बर 1970 से मार्च 1971	0.62	प्रत्यक्ष सत्यापन के समय माल में कमी देखी गई
(v) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बलिया	जून 1970	0.26	माल में कमी जिसका जून 1970 में पता चला।
		6.05	भंडार धारक द्वारा प्राप्त भंडार को लेखे में न लिया जाना।
(vi) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, लखीमपुर-खीरी	मार्च 1971	0.68	अप्रैल से जून 1970 के दौरान लाईन इन्स्पेक्टर द्वारा दिए गए माल का लेखा-जोखा न किया जाना।
तदेव	जून 1972 से नवम्बर 1972	0.67	जनवरी 1973 में नमूना जाँच के दौरान माल के अधिक दिए गए का पता चला।
(vii) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, आजमगढ़	मई 1972	9.46	15762.511 मीट्रिक टन कोयले की कमी का पता अगस्त 1972 में चला।
(viii) लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डरटेकिंग	अगस्त 1973	49.76	प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान भंडार के सामान में कमी जिसका 1966, 1968, 1969, 1970 और 1972 में पता चला।
(x) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, आजमगढ़	मार्च 1973 से अगस्त 1973	1.80	12 पदाधिकारियों द्वारा धारित भंडार में कमी का पता स्टाक रजिस्टरों के बन्द करते समय दिसम्बर 1971 और अप्रैल 1972 में लगा।
(x) ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, मथुरा	जून 1973	2.36	जून 1973 में अन्य मंडलों से जो सामान प्राप्त किया उसे लेखे में नहीं दिखाया गया।
(xi) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, सुल्तानपुर	जून 1973	0.94	अप्रैल से जून 1973 की अवधि में प्रत्यक्ष सत्यापन किए जाने से पता चला।
तदेव	अक्तूबर 1972 से मार्च 1973	0.74	मई 1973 के नमूने लेखा जाँच के दौरान अधिक माल के दिए जाने का पता चला।

प्रभाग का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपयों में)	असंगति की किस्म
(xii) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बाराबंकी	अगस्त 1973 से जनवरी 1974	17.07	केन्द्रीय स्टोरकीपर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान माल में कमी का पता चला।
(xiii) विद्युत् वितरण मंडल, गोरखपुर	दिसम्बर 1969	0.64	परिषद् के पदाधिकारियों से सामान वापस लिया जाना था।
(xiv) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गाजीपुर	फरवरी 1968 से दिसम्बर 1973	2.38	दस पदाधिकारियों द्वारा धारण किए गए माल की कमी का अगस्त 1973 में पता चला।
(xv) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बहराइच	1972–73	1.44	जनवरी 1971 में लेखों का समाधान और प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान सामान में कमी का पता चला।
	योग	1,00.15	

(12) **भंडार लेखों में अन्य कमियां**—(i) तेज गति और धीमी गति वाले भंडारों का वर्गीकरण और संहिताकरण नहीं हुआ है।

(ii) छः मंडलों में भंडार के कुछ मदों का ऋण (माइनस) शेष था जो कुल 1.02 करोड़ रुपए का था, जैसा नीचे ब्योरा दर्शाया गया है :—

मण्डल का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
पारेषण सर्वेक्षण मंडल, मेरठ	0.03
ओबरा थर्मल पावर विद्युत् मंडल, ओबरा	14.29
ओबरा, थर्मल सिविल निर्माण मंडल II, ओबरा	2.59
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, अलीगढ़	38.94
विद्युत् उत्पादन मंडल, श्रीनगर	9.10
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर	37.26
जोड़	102.21

(iii) प्रभागीय अभिलेखों में दिखाया गया शेष और परिषद् के मुख्यालय के लेखों में दिखाए गए शेष के समाधान नहीं किए गए थे। 31 मार्च 1974 को प्रभागीय अभिलेखों में जो शेष दिखाया गया है वह 64.26 करोड़ रुपए था जब कि परिषद् के लेखों में इसके विपरीत 58.40 करोड़ दिखाया गया था।

(13) **प्रत्यक्ष सत्यापन**—भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन साल में एक बार किया जाना है। ऊर्जा की तकनीकी समिति ने दिसम्बर 1972 में यह विचार व्यक्त किया कि सत्यापन क्रिया विधि का केवल असावधानी रूप से पालन किया गया। प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, हैदराबाद ने अपनी 1973–74 की रिपोर्ट में यह भी कहा कि चूंकि सामान रखने के लिए बहुत से गोदाम थे, इसलिए मौजूदा ढांचे में भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना बिल्कुल असंभव था। 1970–71 की लेखा परीक्षा में यह बताया गया था कि 1970–71 के दौरान 113 मण्डलों में से केवल 48 मंडलों में ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। 1973–74 के दौरान 181 मंडलों में से केवल 135 मंडलों में ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया, और शेष 48 मंडलों में भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हुआ। 135 मंडलों में से जिनमें भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन हुआ, उनमें क्रमशः 1.62 लाख रुपये और 15.81 लाख रुपये की कमियां और आधिक्य पाया गया।

(14) **फालतू एवं अप्रचलित भंडार**—31 मार्च 1974 को 58.40 करोड़ रुपये की लागत के सामान में 7.22 करोड़ रूपये का अधिशेष परन्तु उपयोग हेतु माल, और 3.61 करोड़ रुपये का बेकार तथा अप्रचलित माल सम्मिलित था। वह तिथियां जब कि भंडार को अधिशेष बेकार और अप्रचलित करार दिया गया उपलब्ध नथी (अक्टूबर 1974)। फालतू तथा उपयोगी भंडार में से, 1.39 करोड़ रुपये की लागत की मदें अन्य प्रभागों को सितम्बर 1974 के अन्त तक जिन्हें सामान की आवश्यकता थी आवंटित की गई और शेष मदों के (5.69 करोड़ रुपये) निपटाये जाने की प्रतीक्षा है। बेकार और अप्रचलित सामान के निपटान किये जाने के संबंध में कार्यवाही परिषद् के विचाराधीन है (मार्च 1975)।

(15) **कमियों की जांच पड़ताल में विलम्ब**—यह देखा गया है कि जानकारी में आये हुए चोरी, कमी, और अनधिकृत रूप से दिये गये भंडार के मामले में विस्तृत रूपसे जांच या छानबीन की कार्यवाई शीघ्र नहीं की गई। बहुत से मामलों में कमियों के मूल्य की राशि को पदाधिकारियों से "वसूल किये जाने वाले अग्रिम धन" करके दिखाया गया था। इस प्रकार से अग्रिम धन को बिना समायोजन हुए लंबी अवधि तक पड़ा रहने दिया गया, कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गये हैं:—

क्रम-सं0	मंडल का नाम	सामान जो कम पाया गया उसकी लागत (रुपये)	अवधि जिसके दौरान वसूली योग्य अग्रिम के अंतर्गत कमियों का मूल्य वसूली की जाने वाले अग्रिमधन में लेखाबद्ध हुआ	अभ्युक्तियां
1	विद्युत अनुरक्षणमंडल, मिर्जापुर	20,585	दिसंबर 1957 से अक्टूबर 1967	धनराशि सात पदाधिकारियों से वसूली योग्य है। वसूलियां (मार्च 1975) अभी की जाने को हैं।
2	विद्युत् अनुरक्षण मंडल, अलीगढ़	1,05,584	जून 1966 से दिसंबर, 1973	धनराशि 13 पदाधिकारियों से वसूल करनी है। वसूलियां अभी (मार्च 1975) की जाने को हैं।

क्रम-सं०	मंडल का नाम	सामान जो कम पाया गया उसकी लागत (रुपये)	अवधि जिसके दौरान वसूली योग्य अग्रिम के अंतर्गत कमियों का मूल्य वसूली की जाने वाले अग्रिम धन में लेखाबद्ध हुआ	अभ्युक्तियां
3	विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गाजीपुर	2,37,763	फरवरी 1968 से दिसंबर 1973	धनराशि 10 पदाधिकारियों से वसूल की है। जिनमें दो निलंबित कर दिये गये वसूलियां अभी (मार्च 1975) की जाने को हैं।
4	विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर	84,223	दिसंबर 1969	20,659 रुपये मूल्य के सामान का लेखा-जोखा हो गया है। शेष कमियों के मूल्य (63,564 रुपये) अभी (मार्च 1975) एक पदाधिकारी से वसूली की जानी है।

(16) **विलंब शुल्क एवं स्थान शुल्क**—परिषद् में प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार प्रेषण दस्तावेजों को (बिल, रेलवे रसीद इत्यादि) आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा परिषद् की प्रेषिती इकाइयों को अपने बैंकर द्वारा भेजा जाना है। माल की सुपुर्दगी का प्रबन्ध परिषद् की विभिन्न इकाइयों द्वारा इन दसतवेजों के भेजने पर बैंकरों को पूर्ण भुगतान के पश्चात् किया जाता है। 1969–70 से 1973–74 के दौरान प्रेषण दस्तावेज बैंकरों द्वारा समय पर परिषद् की विभिन्न इकाइयों को धन की उपलब्धि न होने के कारण नहीं दिये गये, जिसके फलस्वरूप 60.49 लाख रुपये विलंब शुल्क तथा स्थान शुल्क का भुगतान करना पड़ा जो नीचे दिखाया गया है:—

वर्ष	विलंब शुल्क तथा स्थान शुल्क धनराशि (लाख रुपयों में)
1969–70	6.12
1970–71	7.98
1971–72	12.02
1972–73	8.62
1973–74	25.75
योग	60.49

1973–74 के दौरान जो वृद्धि हुई, उसको संबन्धित प्रभागीय अधिकारियों ने उसका कारण मुख्यत अपने बैंक के खातों में रकम की प्राप्ति में विलंब बताया।

कुछ अधिक महत्वपूर्ण मामले जो लेखा–परीक्षा के दौरान जानकारी में आये थे नीचे दिखाये गये हैं:—

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, वाराणसी द्वारा जनवरी 1973 से सितम्बर 1973 की अवधि में मंडल अधिकारी के पास निधि उपलब्ध न होने के कारण प्रेषण कागजात बैंक से यथासमय प्राप्त नहीं किये जा सके। परिणामस्वरूप 79 प्रेषित माल (मूल्य : 21.36 लाख रुपये) यथासमय छुड़ाया नहीं जा सका, जिसके फलस्वरुप 2.78 लाख रुपये उस अवधि के लिये विलंब और स्थान शुल्क रेलवे को भुगतान करना पड़ा।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1974 में दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ख) सोलह मंडलों में निधि उपलब्ध न होने के कारण जनवरी 1973 से जुलाई 1974 की अवधि में प्रेषण कागजात बैंकों से यथासमय प्राप्त नहीं किये जा सके। परिणामस्वरूप प्रेषित माल छुड़ाने में विलंब हुआ जिसके फलस्वरूप 12.88 लाख रुपये उस अवधि के लिये रेलवे को विलंब शुल्क और स्थान शुल्क भुगतान करना पड़ा।

परिषद् को मामलों की सूचना जुलाई 1973 से अगस्त 1974 की अवधि में दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ग) विद्युत् पारेषण और निर्माण मंडल, वाराणसी के पास निधि उपलब्ध न होने के कारण जनवरी 1973 से मई 1974 की अवधि में प्रेषण कागजात बैंक से यथासमय प्राप्त नहीं किये जा सके। प्रेषित माल को विलंब से छुड़ाई होने के फलस्वरूप 1.51 लाख रुपये उस समय के लिये विलंब और स्थान शुल्क (133 पारेषण मूल्य 13.32 लाख रुपये) भुगतान करना पड़ा।

परिषद् को मामले की सूचना सितम्बर 1974 में दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

17. आन्तरिक लेखा परीक्षा

परिषद् द्वारा एक लेखा परीक्षा विभाग अगस्त 1972 में गठित किया गया। लेखा-परीक्षा विभाग का कार्य निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा की अध्यक्षता में होता है और सदस्य (लेखा) के नियंत्रण में कार्य सम्पन्न होता है। निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा की तीन लेखा अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है, एक मुख्यालय पर और दो क्षेत्र में। परिषद् ने छः निरीक्षण दल बनाये जिनमें एक वरिष्ठ लेखाकार और दो सहायक लेखाकार थे। पाँच दल मुख्यालय के, मण्डल कार्यालयों और प्रभागीय कार्यालयों की राजस्व प्राप्तियों और खर्च के लेखे की जाँच करते हैं और एक दल ऐसी प्रभागीय इकाइयों की विशेष लेखा परीक्षा करता है जिसमें गम्भीर प्रकार की अनियमितताओं की रिपोर्ट शिकायत के रूप में की जाती है जो सार्वजनिक अथवा विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त होती है। उत्तर-लेखा परीक्षा प्रादेशिक लेखाधिकारियों एवं परियोजना लेखाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे देखने में आये :—

(i) परिषद् द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया (अप्रैल 1975)।

(ii) विभाग को प्रत्येक इकाई को दो वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा कराना आवश्यक था, 1972–73 और 1973–74 के और अप्रैल 1974 से नवम्बर 1974 के दौरान क्रमशः 181, 206 और 255 इकाइयों में से क्रमशः 12, 65 और 24 इकाइयों की लेखा

परीक्षा की गई । इकाइयों की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा की गई उनमें 11 इकाइयाँ सम्मिलित हैं, जिनकी अवधि 1972–73 से नवम्बर 1974 के बीच विशेष लेखा परीक्षा की गई थी ।

(iii) उत्तर लेखा-परीक्षा से संबंधित बकाया काम की सूचना परिषद् के मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं थी (दिसम्बर 1974)

18. उपभोक्ताओं का विश्लेषण

(1) **सम्बद्ध भार ऊर्जा की बिक्री और राजस्व की प्राप्ति :**—1971–72 से 1973–74 के दौरान सम्बद्ध भार ऊर्जा की बिक्री एवं राजस्व की उपज का ब्योरा उपभोक्ताओं के अनुसार परिशिष्ट .v में दिया गया है ।

इससे यह ज्ञात होगा कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं ने जिन्हें कुल सम्बद्ध भार (कनेक्टेड लोड) का 14 प्रतिशत मिला था, कुल बेची गई बिजली का 6 प्रतिशत खरीदा उनसे बिजली की बिक्री से होने वाली आय का 12 से 14 प्रतिशत प्राप्त हुआ । कुल सम्बद्ध भार का 38 से 40 प्रतिशत वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं ने कुल ऊर्जा का 53 से 60 प्रतिशत क्रय किया और इस प्रकार उनका ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का 42 से 45 प्रतिशत तक का योगदान रहा । कुल सम्बद्ध भार का लगभग 34 से 38 प्रतिशत वाले कृषि उपभोक्ताओं ने जिनका भार बहुधा ऋतु-कालिक था कुल बेची गई ऊर्जा का 15 से 19 प्रतिशत क्रय किया और इस प्रकार ऊर्जा के कुल राजस्व का 22 से 26 प्रतिशत का योगदान रहा ।

(2) **कुल राजस्व लागत की तुलना में**—वर्ष 1971–72 से 1973–74 के दौरान बेची गई ऊर्जा (निःशुल्क पूर्तियों को निकालते हुये), राजस्व व्यय ब्याज ह्रास सामान्य आरक्षित निधि को सम्मिलित करते हुये) एवं ऊर्जा की कुल हानि प्रति इकाई जो बेची गई वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	इकाइयाँ, जो बेची गई	कुल राजस्व	कुल खर्च	कुल राजस्व प्रति इकाई बेची गई (पैसे)	कुल लागत प्रति यूनिट जो बेची गई (पैसे)	कुल हानि प्रति यूनिट (पैसे)
		(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)			
1971–72	4475.32	6744.45	7599,92	15.07	16.98	1.91
1972–73	4790.23	8397.99	9583.29	17.53	20.00	2.47
1973–74	4309.68	7998.26	11305.76	18.56	26.23	7.66

बिक्री की गई ऊर्जा पर समस्त प्रति यूनिट हानि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ।

19. जन-शक्ति विश्लेषण

(1) 31 मार्च 1974 को अन्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति
1969–70	38,418
1970–71	46,281
1971–72	57,804
1972–73	68,469
1973–74	73,254

बिक्री मांग में जो तीव्र गिरावट 1972 में हुई थी। वह बनी हुई है और मई 1974 से कोई आर्डर नहीं है टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड ने अपनी स्वयं की खानें विकसित कर ली हैं और इसलिये कोई दीर्घकालीन आर्डर न देने का निश्चय कर लिया । दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने भी चोपन से दुर्गापुर तक के ऊंचे भाड़ा खर्च के कारण तथा इसलिये कि डोलोमाइट निर्धारित विनिदेश नहीं था आर्डर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । दूसरे इस्पात कारखाने भी इन्हीं कारणों से चोपन के डोलोमाइट की खरीद को अलामकर पाते हैं (सितम्बर 1974 में) प्रबन्धकों ने यह अनुमान लगाया कि आपात स्थिति को छोड़ कर जब कि वैकल्पिक खानों से आपूर्तियां रुकी रहती हैं इस्पात कारखानों को डोलोमाइट सप्लाई करने के आर्डर प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं थी । सितम्बर 1974 में प्रबन्धकों ने श्रमिक अशान्ति वैगनों के उपलब्ध न होने और विद्युत् में कटौतियों को कम उत्पादन और अनियमित आपूर्ति की स्थिति के कारण बताये ।

इन खानों में डोलोचिप्स के उत्पादन की वर्तमान लागत 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन है जिसके विरुद्ध बिक्री मूल्य 26.25 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । इस कार्य के कार्यकारी परिणाम दर्शाने के लिये कोई अलग लेखे नहीं रखे गये । सितम्बर 1974 में प्रबन्धकों ने निदेश मण्डल को हानियों के निम्नलिखित आंकड़े रिपोर्ट किये :—

वर्ष	हानि (लाख रुपयों में)
1970–71	1.51
1971–72	1.84
1972–73	2.32
1973–74	2.66

चोपन के तीन क्रशरों में से 5 मीट्रिक टन प्रति घन्टों की क्षमता का एक जो 1965 में लगाया गया था गिट्टी पीसने के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसका उपयोग अस्वीकृत मालों को, गिट्टी के रूप में सप्लाई करने योग्य बनाने के काम में लिया जा रहा है । 5 और मिट्रिक टन प्रति घंटे की क्षमता के शेष दो क्रशर जो 1966–67 में खरीदे गये थे प्रायः अपनी आधी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके ढांचे चिटक गये हैं । इन क्रशरों की उपयोगिता की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन खानों का उचित रूप से चालन और न ही आपूर्तियों के संबंध में कोई वायदे करना संभव है ।

(ग) **निष्क्रिय श्रम**—1970–71 से चूना पत्थर का कोई उत्पादन नहीं हुआ है और डोलोमाइट का उत्पादन भी कम कर दिया गया है। किन्तु श्रमिकों की संख्या में जो 1970–71 में 157, 1971–72 में 199 और 1972–73 में 125 थी कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई । श्रमिकों और दूसरे कर्मचारियों को दी गई मजदूरी की राशि में कोई भारी कमी नहीं हुई जैसा कि नीचे दिये गये विवरणों (निष्क्रिय श्रमिकों की स्थिति दर्शाने वाले लागत अभिलेख अलग नहीं रखे गये हैं) से प्रकट होता है :—

वर्ष	अदा की गई मजदूरी (लाख रुपयों में)
1968–69	0.69
1969–70	0.85
1970–71	1.22

	अदा की गई मजदूरी (लाख रुपयों में)
1971-72	2.04
1972-73	1.97
1973-74	1.63

वर्ष प्रति वर्ष घटती उत्पादकता तथा बढ़ती हानियों के कारण निदेशक मण्डल ने सितम्बर 1974 में निश्चय किया कि :—

(i) विभिन्न पक्षों से जो कम्पनी के साथ संयुक्त या स्वतंत्र रूप से खानों को चलाने के लिये राजी हों निवेद आमंत्रित करना, और

(ii) इन खानों को बन्द करने की सम्भावना के विषय में राज्य सरकार से बातचीत करना ।

इन खानों को बन्द करने या प्रभावशाली ढंग से चलाने के विषय में अन्तिम निर्णय (नवम्बर 1974) नहीं लिया गया है ।

30. अल्मोड़ा मैगनेसाइट प्रायोजना

कम्पनी ने जिला अल्मोड़ा में 36,000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता के एक डेड मैगनेसाइट कारखाना स्थापित करने के लिये दिसम्बर 1973 में लाइसेन्स प्राप्त किया । इस प्रायोजना के लिये नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से एक संभाव्यता रिपोर्ट मई 1965 में प्राप्त की गई। 1973-74 देश में डेड-बर्न्ट मैगनेसाइट जो कि मुख्यत: एक उष्मसह पदार्थ है जिसका इस्तेमाल मूल रैफरेक्टरीज के निर्माण में किया जाता है, की अनुमानित वार्षिक मांग 1.19 लाख मेट्रिक टन आंकी गई थी जिसके विरुद्ध अनुमान लगाया गया था कि वर्तमान इकाइयों में उत्पादन 0.95 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ जायेगा । 0.24 लाख मेट्रिक टन के प्रत्याशित अन्तर को पूरा करने और आयातों की आवश्यकता को रोकने के लिये इस इकाई को 3,18.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बनाने का प्रस्ताव था ।

नेशनल इडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार इस कारखाने में 36 महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन हो सकता था। दिसम्बर 1967 में परियोजना की पूंजी लागत का उपरिमुखी परिशोधन 3,18 लाख रुपये से 3,86 लाख रुपये कर दिया गया। वृद्धि मुख्यत: रुपये के अवमूल्यन और सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण थी।

किन्तु इस परियोजना पर अमल कंपनी के भारत सरकार से मार्च 1971 में लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने के पश्चात् 1970-71 में आरम्भ किया गया । एक उपकरण विनिर्माण फर्म के साथ सहयोग करार के आधार पर एक पृथक कंपनी (अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड) का गठन 27 अगस्त 1971 को कंपनी की सहायक संस्था के रूप में हुआ ।

जनवरी 1972 में इस प्रायोजना का हस्तान्तरण सहायक संस्था को उसके जनवरी 1972 में कारबार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात कर दिया गया। सहयोगी फर्म द्वारा जून 1972 में अन्तिम प्रायोजना तथा शक्यता रिपोर्ट पर तैयार की गई जिसके अनुसार अनुमानित पूंजी लागत घटी हुई 30,000 मेट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिये 2,50 लाख रुपये हैं। इस प्रायोजना की स्थापना जनवरी 1973 में शुरू में की गई। यह कार्य पूरा नहीं हुआ है (जून 1975) लेकिन पहले भट्ठे में उत्पादन अप्रैल 1974 में और दूसरे में अक्टूबर 1974 में, प्रारम्भ हो गया । मार्च 1974 तक पूंजीगत व्यय 1,05.29 लाख रुपये था।

प्रायोजना के उत्पादन की लागत तथा लाभदायकता के पुनरीक्षित अनुमान (1967) जैसा कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा परिकलन किया गया था और सहयोगी फर्म द्वारा तैयार किये गये थे (1972) निम्नलिखित थे :—

	एन० आई० डी०सी०	सहयोगी
क्षमता (मेट्रिक टनों में)	38,400	30,000
प्रति मेट्रिक टन उत्पादन की लागत (रुपयों में)	288	390
प्रति मेट्रिक टन औसत बिक्री मूल्य (रुपयों में)	374	500
प्रति मेट्रिक टन सकल लाभ (रुपयों में)	86	110

तथापि अगस्त 1974 में निदेशक मंडल में उत्पादन लागत और मूल्य की जो कि 30,000 मेट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य पर आधारित है निम्नलिखित विवरणों की गणना की—

पैक किये हुए और बोरों में भरे हुए माल की कुल उत्पादन लागत	746 रुपये प्रति मेट्रिक टन
प्रत्याशित बिक्री मूल्य	818 "
लाभ की सीमा	72 "

प्रथम भट्ठे ने 25 अप्रैल 1974 को उत्पादन प्रारंभ किया और 8 अक्टूबर 1974 तक जारी रहा जब कि भट्ठे की मरम्मत हेतु उत्पादन बन्द कर दिया गया। इस अवधि के दौरान लगभग 1,800 मेट्रिक टन डेडबर्न्ट मैगनिसाइट का उत्पादन हुआ । विद्युत् के अक्सर बन्द हो जाने और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ज्वालक मेहराब (बर्न आर्च) समय पूर्व खराब हो गये जिसके कारण अच्छी कोटि का समरूप उत्पादन कठिन हो गया लगभग 800 मेट्रिक टन मैगनेसाइट (35 वैगन भर) सहयोगी फर्म को आपूर्ति किया गया इसमें से केवल 4 वैगन माल स्वीकृत किया गया और शेष 31 वैगन माल अस्वीकृत कर दिया गया ।

बाद में अगस्त 1974 में खरीदारों ने अपने विनिर्देशों में विशेष रूप से ढील दे दी और अस्वीकृत माल का लगभग 40 प्रतिशत स्वीकार कर लिया। शेष माल जो सुपर्दगी के स्थल और काठगोदाम में लदाई के स्थान पर पड़ा है; वह सहायक कंपनी के खर्च पर जले हुए/बिना जले हुए ढेरों को छांट कर बचा लिया जायेगा।

31. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

(अ) उद्यम-कर्ताओं को सस्ती दरों पर विभिन्न आकारों के औद्योगिक प्लाटों को साथ सड़कों, बरसाती नालों तथा विद्युत् वितरण लाइनों के मूल अवसंरचना ढांचे (मूल स्ट्रक्चर) के साथ देने के लिये कंपनी ने संभाव्य विकासात्मक बिन्दुओं पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की एक योजना 1961-62 में प्रारम्भ की । राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत चुने हुए स्थानों पर भूमि अर्जित की जाती है और निम्नलिखित शर्तों पर कंपनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है :—

(क) भूमि पर कब्जा पाने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर औद्योगिक क्षेत्रों के प्रयोजन के हेतु कंपनी उस भूमि को विकसित करेगी, सड़कों के ले-आउट और दूसरी उपयोगी सेवाओं को व्यवस्थित करेगी और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये दूसरे पक्षों को पट्टे पर प्लाट देगी

	अदा की गई मजदूरी (लाख रुपयों में)
1971–72	2.06
1972–73	1.97
1973–74	1.63

वर्ष प्रति वर्ष घटती उत्पादकता तथा बढ़ती हानियों के कारण निदेशक मण्डल ने सितम्बर 1974 में निश्चय किया कि :—

(i) विभिन्न पक्षों से जो कम्पनी के साथ संयुक्त या स्वतंत्र रूप से खानों को चलाने के लिये राजी हों निवेद आमंत्रित करना, और

(ii) इन खानों को बन्द करने की सम्भावना के विषय में राज्य सरकार से बातचीत करना।

इन खानों को बन्द करने या प्रभावशाली ढंग से चलाने के विषय में अन्तिम निर्णय (नवम्बर 1974) नहीं लिया गया है।

30. अल्मोड़ा मैंगनेसाइट प्रायोजना

कम्पनी ने जिला अल्मोड़ा में 36,000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता के एक डेड मैगनेसाइट कारखाना स्थापित करने के लिये दिसम्बर 1973 में लाइसेन्स प्राप्त किया। इस प्रायोजना के लिये नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से एक संभाव्यता रिपोर्ट मई 1965 में प्राप्त की गई। 1973–74 देश में डेड–बर्न्ट मैगनेसाइट जो कि मुख्यतः एक उष्मसह पदार्थ है जिसका इसके-माल मूल रेफरेक्टरीज के निर्माण में किया जाता है, की अनुमानित वार्षिक मांग 1.19 लाख मेट्रिक टन आंकी गई थी जिसके विरुद्ध अनुमान लगाया गया था कि वर्तमान इकाइयों में उत्पादन 0.95 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ जायेगा। 0.24 लाख मेट्रिक टन के प्रत्याशित अन्तर को पूरा करने और आयातों की आवश्यकता को रोकने के लिये इस इकाई को 3,18.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बनाने का प्रस्ताव था।

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार इस कारखाने में 36 महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन हो सकता था। दिसम्बर 1967 में परियोजना की पूंजी लागत का उपरिमुखी परिशोधन 3,18 लाख रुपये से 3,86 लाख रुपये कर दिया गया। वृद्धि मुख्यतः रुपये के अवमूल्यन और सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण थी।

किन्तु इस परियोजना पर अमल कंपनी के भारत सरकार से मार्च 1971 में लाइसेंस का पुनर्वेधीकरण प्राप्त करने के पश्चात् 1970–71 में आरम्भ किया गया। एक उपस्कर विनिर्माण फर्म के साथ सहयोग करार के आधार पर एक पृथक कंपनी (अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड) का गठन 27 अगस्त 1971 को कंपनी की सहायक संस्था के रूप में हुआ।

जनवरी 1972 में इस प्रायोजना का हस्तान्तरण सहायक संस्था को उसके जनवरी 1972 में कारबार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कर दिया गया। सहयोगी फर्म द्वारा जून 1972 में अन्तिम प्रायोजना तथा शक्यता रिपोर्ट पर तैयार की गई जिसके अनुसार अनुमानित पूंजी लागत घटी हुई 30,000 मेट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिये 2,50 लाख रुपये है। इस प्रायोजना की स्थापना जनवरी 1973 में हुई में की गई। यह कार्य पूरा नहीं हुआ है (जून 1975) लेकिन पहले भट्ठे में उत्पादन अप्रैल 1974 में और दूसरे में अक्टूबर 1974 में, प्रारम्भ हो गया। मार्च 1974 तक पूंजीगत व्यय 1,05.29 लाख रुपये था।

प्रायोजना के उत्पादन की लागत तथा लाभदायकता के पुनरीक्षित अनुमान (1967) जैसा कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा परिकलन किया गया था और सहयोगी फर्म द्वारा तैयार किये गये थे (1972) निम्नलिखित थे :—

	एन० आई० डी०सी०	सहयोगी
क्षमता (मेट्रिक टनों में)	38,400	30,000
प्रति मेट्रिक टन उत्पादन की लागत (रुपयों में)	288	390
प्रति मेट्रिक टन औसत बिक्री मूल्य (रुपयों में)	374	500
प्रति मेट्रिक टन सकल लाभ (रुपयों में)	86	110

तथापि अगस्त 1974 में निदेशक मंडल ने उत्पादन लागत और मूल्य को जो कि 30,000 मेट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य पर आधारित है निम्नलिखित विवरणों की गणना की:—

पैक किये हुए और बोरों में भरे हुए माल की कुल उत्पादन लागत	746	रुपये प्रति मेट्रिक टन
प्रत्याशित बिक्री मूल्य	818	"
लाभ की सीमा	72	"

प्रथम भट्ठे ने 25 अप्रैल 1974 को उत्पादन प्रारंभ किया और 8 अक्टूबर 1974 तक जारी रहा जब कि भट्ठे की मरम्मत हेतु उत्पादन बन्द कर दिया गया। इस अवधि के दौरान लगभग 1,800 मेट्रिक टन डेडबर्न्ट मैगनिसाइट का उत्पादन हुआ। विद्युत के अक्सर बन्द हो जाने और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ज्वालक मेहराब (बर्न आर्चेज) समय पूर्व खराब हो गये जिसके कारण अच्छी कोटि का समरूप उत्पादन कठिन हो गया लगभग 800 मेट्रिक टन मैगनेसाइट (35 वैगन भर) सहयोगी फर्म को आपूर्ति किया गया इसमें से केवल 4 वैगन माल स्वीकृत किया गया और शेष 31 वैगन माल अस्वीकृत कर दिया गया।

बाद में अगस्त 1974 में खरीदारों ने अपने विनिर्देशों में विशेष रूप से ढील दे दी और अस्वीकृत माल का लगभग 40 प्रतिशत स्वीकार कर लिया। शेष माल जो सुपुर्दगी के स्थल और काठगोदाम में लदाई के स्थान पर पड़ा है; वह सहायक कंपनी के खर्च पर जले हुए/बिना जले हुए ढेरों को छांट कर बचा लिया जायेगा।

31. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

(अ) उद्यम-कर्ताओं को सस्ती दरों पर विभिन्न आकारों के औद्योगिक प्लाटों को बाह्य सड़कों, बरसाती नालों तथा विद्युत वितरण लाइनों के मूल अवनेत्र ढांचे (इंड्रा स्ट्रक्चर) के साथ देने के लिये कंपनी ने संभाव्य विकासात्मक बिन्दुओं पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की एक योजना 1961–62 में प्रारम्भ की। राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत चुने हुए स्थानों पर भूमि अर्जित की जाती है और निम्नलिखत शर्तों पर कंपनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है :—

(क) भूमि पर कब्जा पाने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर औद्योगिक क्षेत्रों के प्रयोजन के हेतु कंपनी उस भूमि को विकसित करेगी, सड़कों के ले-आउट और दूसरी उपयोगी सेवाओं को व्यवस्थित करेगी और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये दूसरे पक्षों को पट्टे पर प्लाट देगी

(ख) कंपनी राज्य सरकार को भूमि के लिये वह धनराशि देगी जो जिलाधीश द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत निश्चय की जायेगी

(ग) अगर निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भूमि के किसी भाग को विकसित करने में कंपनी असफल रहती है या विकसित प्लाटों को उद्यमकर्ताओं को नहीं देती है तो अप्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण को राज्य सरकार अकृत और शून्य घोषित कर सकती है और भूमि का ऐसा भाग सरकार के पास अधिकार में वापस हो जायेगा और

(घ) पट्टे की अवधि 90 वर्ष है ।

(आ) उद्यमकर्त्ताओं के प्लाटों का नियतन कंपनी द्वारा नब्बे वर्ष के पट्टे पर जैसा जहां है, आधार पर किया जाता है और समतुलन तथा स्थल का विकास नियतभागियों द्वारा अपने खर्च पर किया जाता है। प्रत्येक नियतभागी को दो प्रकार के भुगतान करता है अर्थात्,

(i) प्रथम तीस वर्षों के दौरान 100 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ एक की दर पर पट्टे का लगान बाद के तीस वर्ष पर 150 रुपये की दर से और पट्टे की अवधि के अन्तिम तीस वर्षों में 225 रुपये की दर पर,

(ii) प्रीमियम जिसका 10 प्रतिशत नियतन के समय देय है और शेष 90 प्रतिशत आठ समान वार्षिक किस्तों में (प्रथम किस्त नियतन से दो वर्ष समाप्त होने पर देय होती है) प्रीमियम की अदत्त शेष पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ब्याज सहित। तब से ब्याज की दर $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच रिबेट के साथ बढ़ा दी गयी है जो कि उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां प्लाट स्थित है। स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री का व्यय और वैध खर्च नियतभागियों द्वारा वहन किये जाते हैं ।

(iii) दिसम्बर 1973 तक औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों का नियतन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया था। जनवरी 1974 में कंपनी ने निश्चय किया कि तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में भविष्य में 40 प्रतिशत भूमि का नियतन निम्नलिखित प्रकार के प्रार्थियों के उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये :—

(क) जिनके पास आशय पत्र हो या जो डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत हो।

(ख) जो दूसरे राज्यों से औद्योगिक इकाइयों का दैहिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं।

(ग) जो पहले से एक औद्योगिक इकाई चला रहे हैं किन्तु भूमि की कमी का सामना कर रहे हैं।

(घ) इलेक्ट्रानिक उद्योग।

(ङ) इकाइयां जो आयात प्रतिस्थापन या प्रतिरक्षा/निर्यात पूर्वाभिमुखीकरण मदों का उत्पादन करती हैं।

(च) अभियांत्रिक स्नातक या भूतपूर्व सैनिक।

(छ) सहायक उद्योग।

(ज) इकाइयां जिनको पहले ही मान्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मार्च 1975 तक भूमि अर्जन क्षेत्रों के विकास, प्लाटों का नियतन और औद्योगिक इकाइयों का स्थापित किया जाना की स्थिति परिशिष्ट VI में दर्शाई गई है।

(iv) योजना के कार्यान्वयन के लगभग 13 वर्षों में नियत किए गए प्लाटों के लगभग 47 प्रतिशत पर उद्योग स्थापित किए गए हैं और 31 मार्च 1974 तक भूमि के अर्जन और

विकास पर निवेश किए गए 8.35 करोड़ रुपए का अधिकांश भाग निष्क्रिय रहा है। नवम्बर 1974 में प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों के उपयोग की धीमी गति, विद्युत् सप्लाई की असंतोषजनक स्थिति, सीमेन्ट तथा दूसरी भवन निर्माण सामग्रियों की सप्लाई में राज्य में कमी के कारणों से और विद्युत् सप्लाई के संबंध में राज्य सरकार और राज्य विद्युत परिषद् से आश्वासन न मिलने के कारण उद्यमकर्ता मोटे रूप से नए निवेश जिसमें उन इकाइयों में जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं, अतिरिक्त निवेश भी सम्मिलित हैं, राजी नहीं थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाया गया ऋण प्रतिबंध भी एक दूसरा कारण बताया गया। प्रबंधकों ने यह भी कहा कि भूमि अर्जन की कार्यवाहियों में अर्न्तनिहित विलम्ब और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की कई एजेन्सियों का विकास का समग्र प्रक्रिया में भाग लेने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सका।

(इ) औद्योगिक क्षेत्र योजना राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। राज्य सरकार ने राज्य में भूमि अर्जन और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए अवधि ऋण प्रदान किए जिसमें से 31 मार्च 1974 को 3.30 करोड़ रुपए की एक धनराशि शेष थी।

कम्पनी ने इस योजना पर 13 मार्च 1974 तक (स्थल-पर-सामग्री के मूल्य को घटाकर 8.83 करोड़ रुपए की कुल राशि व्यय किया है जिसके विरुद्ध उसको 2.50 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला था शेष 5.83 करोड़ की राशि का उस तिथि पर कंपनी के तुलन पत्र में चालू परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया हैं। लेखे पट्टे पर दी गई भूमि का कुल मूल्य और प्रीमियम का कुल मूल्य जिसके विरुद्ध पट्टे दिए गए हैं नहीं दर्शाते। इस बात का सत्यापन नहीं हो सका कि तुलन पत्र में दर्शायी गयी चालू परिसंपत्तियों का मूल्य (5.83 करोड़ रुपए) देय प्रीमियम को जोड़ कर नियतन योग्य भूमि का मूल्य (प्रीमियम सहित) निरूपित करती है।

योजना की कुछ क्षेत्रानुसार विशिष्टतायें नीचे वर्णित हैं :—

(i) गोरखपुर में 187.57 एकड़ भूमि अधिकार में ली गई किन्तु स्थानीय निवासियों के प्रतिरोध के कारण केवल 63 एकड़ ही विकसित की जा सकी। अप्रैल 1974 में राज्य सरकार ने कहा कि बड़े पैमाने पर मुकदमाबाजी को बचाने के लिए शेष भूमि को त्याग देने पर कंपनी विचार कर रही है। जिले को "पिछड़ा" मान कर कंपनी द्वारा कुछ कारणों से जो अभिलेख परनहीं हैं,प्रीमियम की अदायगी रियायती शर्तों पर स्वीकार करली गई यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर एक पिछड़ा जिला सूची में नहीं था। कंपनी ने पिछड़े क्षेत्रों में रियायती शर्तें स्वीकार करने हेतु कोई सामान्य निर्णय लिया है।

(ii) विकास के लिए भूमि की अनुपयुक्तता तथा एक हरी पट्टी (क्षेती) का आवश्यकता के कारण नैनी के औद्योगिक क्षेत्र में 777 एकड़ में से केवल 55 एकड़ विकसित किए जा सके।

(iii) हरद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में अधिकार में लिए गए 104 एकड़ में से केवल 55 एकड़ विकसित किए जा सके क्योंकि भूमि पहाड़ी और पथरीली थी।

(v) गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्रीमियम का हिसाब लगाते समय विद्युतीकरण पर किए गए व्यय के 17.50 लाख रुपए को खाते में नहीं लिया गया। इसी प्रकार नैनी के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण अवधि की पूंजी पर 4 वर्ष की बजाय 2 वर्ष के लिए ब्याज का प्राविधान किया गया। इन अवअनुमानों और मन्द गतिवान औद्योगिक क्षेत्रों की हानियों को दूर करने के लिए 14 अक्तूबर 1971 से गाजियाबाद और कानपुर के प्लाटों के प्रीमियम को दरें 2 रुपए प्रति वर्ग गज और लखनऊ के प्लाटों पर 1 रुपया प्रति वर्ग गज बढ़ा दी गयीं। अप्रैल, 1974 में सरकार ने बताया कि तेज गतिवान क्षेत्रों की दरों को इस प्रकार निश्चित करना कि मन्द गतिवान क्षेत्रों की हानियों को पूरा किया जा सके, विचाराधीन हैं। नैनी और बरेली के प्लाटों की प्रीमियम का कम दर निश्चित करने के बावजूद पर्याप्त संख्या में उद्यमकर्ता इन क्षेत्रों में आकर्षित नहीं किए गए ।

(v) मूल रूप से यह प्रस्तावित था कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की योजना एक पृथक योजना के रूप में 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाई जाएगी और उसी के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों का प्रिमिअम की राशि निश्चित की जाएगी। प्रबंधकों द्वारा इस विषय की समीक्षा नवम्बर 1972 में की गई और यह निश्चय किया गया कि प्रीमियम की दरों को "न लाभ न हानि" के आधार पर निश्चित करना अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित न रहे बल्कि इसको एक साथ मिला कर सब औद्योगिक क्षेत्रों के निबल प्रतिलाभ पर लागू करना चाहिए। हर एक औद्योगिक क्षेत्र के प्लाटों की असली लागत के पृथक लेखे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जैसा कि प्रबंधकों ने नवम्बर 1974 में बताया, प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में कार्य पूरा करना शेष था और एक क्षेत्र पर पूर्ण कार्य पूरा करने के पश्चात् ही लागत का सही चित्र सामने आएगा। प्रबंधकों ने यह भी बताया कि हर क्षेत्र पर लाभ या हानि का पहले से बताना संभव नहीं होगा। चूंकि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एक सतत प्रक्रिया के जिसमें समय समय पर नए क्षेत्र जुड़ते रहते हैं, उपर्युक्त निश्चय को दृष्टि में रखते हुए किसी इस बात की गणना करना निकट भविष्य में संभव नहीं होगा कि औद्योगिक क्षेत्रों की योजना कुल मिला कर लाभ या हानि पर चल रही है या न लाभ न हानि के आधार पर। वास्तविक और आगे होने वाले अनुमानित व्यय और लागत-विश्लेषण के आधार पर योजना के कार्यकारी परिणामों का मूल्यांकन अब तक (अप्रैल 1975) नहीं किया गया है।

(vi) मानक पट्टे में एक समय-सीमा उल्लिखित है जिसके अन्दर औद्योगिक इकाई का स्थापन कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए था और सब पहलुओं से पूर्ण भी कर लिया जाना चाहिए यदि पट्टेदार निर्धारित समय के अन्दर (या बढ़ी हुई अवधियों के अन्दर जो स्वीकृत की गई हों) ऐसा करने में असमर्थ रहता है और/या समय से ब्याज सहित प्रीमियम की राशि और पट्टा लगान अदा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी को अधिकार है कि वह परिसर में पुन: प्रवेश करे और पट्टेदार द्वारा दिए गए सारे धन को जब्त कर ले और अदत्त बकाया को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल कर ले। कंपनी द्वारा इस शर्त में अप्रैल 1972 में ढील दे दी गई जब यह निश्चय किया गया कि कुल प्रीमियम का केवल 20 प्रतिशत जब्त किया जाये, और शेष यदि कोई हैं वापस कर दिया जाये या नए प्लाटों के नियतन में समायोजित कर दिया जाए।

बकीदारों से वसूलियां करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में तत्परता की कमी रही है तुरन्त जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 1974 को विभिन्न पट्टेदारों से प्रीमियम और ब्याज की प्रदत्त बकायों की 54.36 लाख रुपए की राशि देय थी जैसा कि औद्योगिक क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है (वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था) :—

औद्योगिक क्षेत्र	बकायादारों की संख्या	देय प्रीमियम की धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल देय धनराशि	बकायादारों की संख्या जिनको नोटिस जारी की गई
गाजियाबाद	250	13.44	14.87	28.33	12
लखनऊ	26	1.89	2.15	4.04	5
नैनी	12	1.28	1.57	2.85	4
बरेली	4	0.22	0.27	0.49	1
गोरखपुर	3	0.06	0.17	0.23	..
संडीला	1	0.55	0.83	1.38	..
हरद्वार	10	0.20	0.33	0.63	..
साहिबाबाद	44	7.77	8.74	16.51	19
जोड़	350	25.41	28.95	54.36	41

योजना के प्रारम्भ से बकाया अदा न करने के कारण पुन: प्रवेश का अधिकार (पट्टे को रद्द करके) 73 मामलों में (1971 में 53 मामले और 1972 में 20 मामले) लागू किया गया। किन्तु इकाई पर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहने या सम्मत अवधि के अन्दर उसको पूरा न करने की बिना पर पुन: प्रवेश करने का कोई मामला नहीं था।

(vii) राज्य सरकार ने राज्य के 36 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। सरकार और उसके उपक्रमों अर्थात् उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने विशेष योजनायें बनाई और उन इकाइयों को जिनकी स्थापना उन जिलों में की जानी थी, रियायतें दीं। प्रीमियम की दरों की अनुपूर्ति करने और पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की शर्तों को उदार बनाने के प्रश्न पर निदेशक-मण्डल द्वारा नवम्बर 1972 में विचार किया गया लेकिन मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया (अप्रैल 1975)।

32. संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनायें

अक्तूबर 1970 में कम्पनी ने राज्य सरकार के परामर्श पर यह निश्चय किया कि उसके द्वारा चलाए गए प्रायोजनाओं में से कुछ प्रायोजनायें संयुक्त क्षेत्र में होंगी। संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनाओं के सम्भाव्य क्षेत्रों की खोज और जांच के लिये कंपनी ने उसी समय कम्पनी के अध्यक्ष उनके प्रबन्ध निदेशक और उद्योग निदेशक की एक समिति गठित की। इस समिति ने अभी तक (नवम्बर 1974) कोई बैठक नहीं की है। निदेशक मण्डल द्वारा 10 सितम्बर 1973 को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन उद्योग निदेशक, और कानपुर एक उद्योगपति (जो कम्पनी के एक निदेशक भी हैं) की एक दूसरी समिति नए आशय-पत्रों और लाइसेन्सों के लिए भारत सरकार को आवेदन करने हेतु एक नीति निकालने के लिए गठित की गई ऐसा प्रतीत होता है कि इस समिति की नियमित रूप से बैठक नहीं हुई। अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक की पहल पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर तदर्थ आधार पर विचार किया गया। प्रायोजनाओं के चयन के पूर्व कोई व्यवस्थित आयोजना या संभाव्यता (फीजिबिलिटी) नहीं थी और निर्णायक तत्व उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की प्रत्याशाएं दीं। यह अपेक्षित था कि सम्भाव्यता अध्ययन संयुक्त उद्योगों के प्रत्याशित सहयोगियों द्वारा किए जायेंगे।

उन प्रायोजनाओं के चयन के बाद जिनकी अर्थक्षमता पूर्ण समझी गई कम्पनी भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त करती है और उसके पश्चात् उन उद्यमकर्ताओं से जिनको इस क्षेत्र में जानकारी (नो हाऊ) और प्रायोजना के स्थापना हेतु आवश्यक धन की क्षमता है आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने हेतु प्रेस में विज्ञापन देती है। प्रार्थियों द्वारा दी गई सम्भाव्यता रिपोर्टों की जांच की जाती है और चयन किया जाता है। तब सहयोगी के परामर्श से इकाई की स्थापना के लिए आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाता है।

निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को संयुक्त क्षेत्र की प्रायोजनाओं में भाग लेने के लिए मानक शर्तों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) औद्योगिक इकाई की मालिक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो जो राज्य में पंजीकृत होगी।

(ख) कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय और उत्पादन इकाई राज्य में स्थित होंगे।

(ग) शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत कम्पनी देगी, 25 प्रतिशत सहयोगियों तथा उनके साथियों द्वारा लिया जायगा और शेष 49 प्रतिशत अभिदान के लिए जनता को दिया जाना था। यदि कोई पक्ष अपने सब या कुछ शेयर नियत करना चाहे तो दूसरे पक्ष को अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

(घ) उन मामलों के अलावा जिनमें जानकारी (नो हाऊ) का विदेश से आयात करना था, सहयोगी तकनीकी जानकारी (नो हाऊ) तथा दूसरी तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करेगा, जिसमें विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का तैयार करना सम्मिलित है जिसके लिए उनको किस्तों में एक निश्चित धन दिया जाना था। आवर्ती रायल्टी के साथ जिसकी गणना निवल बिक्री पर की जानी थी।

(ङ) प्रारम्भिक व्यय कम्पनी और सहयोगियों के बीच बराबर बराबर बांटे जायेंगे।

नीचे दी गई तालिका में उन प्रायोजनाओं की सूची है, जिनका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया था और जिनके लिए आशय-पत्र 31 मार्च 1974 तक प्राप्त कर लिए गए थे।

प्रायोजना का नाम	पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)	वार्षिक क्षमता	भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र के अनुमोदन किए जाने की तिथि
छपाई की मशीनें	3.60	640 मशीनें 3,000 एम0टी0एस0 ए·डेस	8 जनवरी 1971
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्रायोजना	8.00	6,000 एम0 टी0एस0 इलेक्ट्रोड्स	22 फरवरी 1971
स्कूटर्स	3.75	24,000	22 मई 1971
सेफ्टी रेजर ब्लेड्स	4.00	60 करोड़	11 जून 1971
स्टील बिलेट्स	8.00	1,00,000 मि0ट0	28 जून 1971
जी0 एल0 एस0 लैम्प्स प्रायोजना	1.00	75 लाख	7 फरवरी 1972
हल्की व्यापारिक गाड़ियां	10.00	20,000	12 अप्रैल 1972
नाइलान फिलामेन्ट सूत प्रायोजना	9.00	2,100 मि0 टन	26 जुलाई 1972
झांसी के लिए रिफरेक्टरियां	5.00	50,000 मि0 टन	28 अक्तूबर 1972
लेखन और छपाई कागज प्रायोजना	50.00	1,00,000 मि0 टन	29 नवम्बर 1972
कास्टिक सोडा प्रायोजना	10.00	33,000 मि0टन	12 अप्रैल 1973
टी0 वी0 रिसीवर सेट	0.30	5,000	2 मई 1973
मिर्जापुर के लिए रिफरेक्टरियां	1.85	25,000 मि0 टन	28 जनवरी 1974
सिन्थेटिक डिटरजेन्ट (पूर्ण क्षेत्र के लिए)	2.00	10,000 मि0 टन	21 मार्च 1974
स्कूटर के टायर और ट्यूब	1.30	5,00,000	30 मार्च 1974

दूसरा अध्याय

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग—III

22. प्रस्तावना

31 मार्च 1974 को राज्य सरकार की 25 (8 सहायक कंपनियों सहित) कंपनियां थीं, जबकि 31 मार्च 1973 को 18 (3 सहायक कंपनियों सहित) कंपनियां थीं। 25 में से 22 (7 सहायक कंपनियों सहित) कंपनियां अपने लेखे 31 मार्च को, और 2 (एक सहायक कंपनी सहित) कंपनियां 30 सितम्बर को बन्द करती हैं। एक कंपनी अर्थात् उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त निगम ने, जो अप्रैल 1973 में समाविष्ट हुई थी, अपने लेखे 31 दिसम्बर 1973 को बन्द किये। इंडियन बाबिन कंपनी लिमिटेड, जिसका ऐच्छिक परिसमापन हो गया, अब समापन की प्रक्रिया में है।

23. 1973-74 के लेखे में दिखाये गये 16 कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का सारूप विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है।

नीचे दिखलाई गई कंपनियों के लेखे बकाया हैं

	वर्ष जब से लेखे बकाया है
(क) उत्तर प्रदेश एक्स्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1973-74
(ख) उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास कारपोरेशन लिमिटेड	1973-74
(ग) उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1972-73

24. प्रदत्त पूंजी-

1973-74 के अन्त तक 16 कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 46,13.53 लाख रुपये थी। 31 मार्च 1974 को राज्य सरकार, नियंत्रक कंपनी और वैयक्तिक पार्टियों द्वारा 16 कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में किये गये निवेश का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

कंपनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य सरकार	नियंत्रक कंपनी	वैयक्तिक पार्टियां	योग
				(लाख रुपयों में)	
कंपनियां जिन पर राज्य सरकार का पूर्णरूप से स्वामित्व है।	14	44,35.76	..	..	44,35.76
कंपनियां जिन पर नियंत्रक कंपनी का स्वामित्व है।	1	..	0.18	..	0.18
कंपनियां जिन पर नियंत्रक कंपनी और वैयक्तिक पार्टी का स्वामित्व है	1	..	1,62.59	15.00	1,77.59
जोड़	16	44,35.76	1,62.77	15.00	46,13.53

25. लाभ और लाभांश—

पूर्व वर्ष के 2.71 लाख रुपये लाभके मुकाबिले 16 कंपनियों के 1973–74 के वर्ष चालन परिणाम ने 273.35 लाख रुपये की निबल हानि दर्शाई। जब कि दो कंपनियों अर्थात् उत्तर प्रदेश स्टट इंडस्ट्रियल डवलपमट कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के लाभ में बहुत बढ़ोत्तरी हुई, एक कंपनी अर्थात् उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के लाभ में भारी कमी हुई, दो कंपनियों अर्थात् उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन में भारी हानियाँ हुईं। एक कंपनी अर्थात् महमूदाबाद पीपुल्स टैक्सटाइल्स लिमिटेड में संचित हानि (4.81 लाख रुपये) उसके 5.61 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 86 प्रतिशत थी।

तीन कंपनियों ने 1973–74 में लाभांश घोषित किये जिसकी समग्र राशि 19.15 लाख रुपये थी और जो 16 कंपनियों (2 सहायक सहित) के 46,13.53 लाख रुपये कुल प्रदत्त पूंजी का 0.42 प्रतिशत था। अधिशेष रकम को आरक्षितों में विनियोजन करके कारोबार में प्रतिधारण कर लिया गया। कंपनियों के नाम तथा अधिशेष, घोषित लाभांश, इत्यादि के साथ नीचे दर्शाया गया है

कंपनियों के नाम	अधिशेष की राशि	कारोबार में प्रतिधारण की गई राशि	लाभांश की राशि
		(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	47.68	41.43	6.25
उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	48.87	44.97	3.90
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स कारपोरेशन	78.68	69.68	9.00
जोड़ ..			19.15

छः कंपनियों को जिसकी प्रदत्त पूंजी 20,58.29 लाख रुपये थी, 4,10.72 लाख रुपए का घाटा हुआ जिसमें से 3,99.01 लाख रुपये केवल दो कंपनियों के।

अनुभाग–IV

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

26. प्रस्तावना—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का निगमन मार्च 1971 में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को उन्नतशील बनाना एवं आगे बढ़ाना है।

(2) कार्य—कंपनी वर्तमान काल में निम्नलिखित कार्य में लगी है :—

(क) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास,

(ख) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किये गये शेयरों का बीमा (अन्डर राइटिंग) करना,

(ग) संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनाओं की स्थापना के लिये भारत सरकार से औद्योगिक लाइसेंसों का प्राप्त करना और

(घ) चूना पत्थर, डालोमाइट और मैंगनेसाइट की खानो और खदानो परिचालन।

(3) पूंजी संरचना—आरंभ में कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी जो कि 1969–70 में बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये कर दी गई जो प्रत्येक 100 रुपये के 10 लाख इक्विटी शेयरों में थी।

31 मार्च 1974 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी (पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा अंशदायी) 798.73 लाख रुपये थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने राज्य सरकार से औद्योगिक क्षेत्रों की विकास योजना को पोषण के लिये 8 प्रतिशत की दर से ऋण लिये जिसके साथ 2 1/2 प्रतिशत की मूल धन और ब्याज को समय से भुगतान लिय जाने के लिये छूट थी। 1973–74 तक कुल ऋण 757.75 लाख रुपये लिये थे जिसमें से 428.00 लाख रुपये की अदायगी कर दी गई। 31 मार्च 1974 को 329.75 लाख रुपये बकाया थे।

(4) वित्तीय स्थिति—1973–74 तक के पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के अन्त तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट करती है।

(I) देयतायें	1971–72	1972–73	1973–74
	(लाख रुपयों में)		
(क) प्रदत्त पूंजी	7,98.73	7,98.73	7,98.73
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	70.89	79.08	99.02
(ग) उधार	4,06.63	3,85.75	3,29.75
(घ) चालू देयतायें (प्राविधानों सहित)	1,55.76	2,04.17	3,01.52
	14,32.01	14,67.73	15,29.02

(II) परिसम्पत्तियां—			
(क) ग्रास ब्लाक	7.29	8.38	
(ख) घटायें मूल्य-ह्रास	3.68	4.13	8.90
(ग) निवल	3.61	4.25	4.70
			4.20
स्थायी परिसम्पत्तियां चालू			
(क) पूंजीगत चालू कार्य निर्माण	17.93	0.80	
(ख) निवेश	..	51.00	0.82
(ग) चालू परिसम्पत्तियां (ऋण और अग्रिम सहित)	14,10.47	14,11.68	54.19
			14,69.81
जोड़	14,32.01	14,67.73	15,29.02
(III) नियोजित पूंजी	12,58.32	12,62.76	12,26.67
(IV) निवल मूल्य	8,69.62	8,77.81	8,97.75

नोट—(क) नियोजित पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों पूंजीगत चालू निर्माण कार्यों को छोड़ कर और कार्य चालन पूंजी को निरूपित करती है ।

(ख) निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि को जोड़ कर और अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को घटा कर प्रदर्शित करता है ।

27. नकदी की व्यवस्था—

(i) 1973-74 तक के प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि में कम्पनी ने अपने क्रिया कलापों को वित्त पोषण के लिये राज्य सरकार से शेयर पूंजी और ऋण के रूप में अधोलिखित धनराशियां प्राप्त की जिसका एक बड़ा भाग बैंकों में मांग और मियादी जमा में रक्खा गया जैसा नीचे दर्शाया गया है : —

वर्ष	वर्ष के दौरान इकट्ठी की गई शेयर पूंजी	वर्ष के दौरान लिये गये ऋण	प्रत्येक वर्ष के अन्त तक बैंकों में जमा की गई राशि
	(लाख रुपयों में)		
1969-70	74.00	85.00	2,69.11
1970-71	2,59.75	1.00	4,26.14
1971-72	24.00	2,21.00	5,68.92
1972-73	..	1,08.00	4,23.20
1973-74	..	..	3,19.58

निधियों को उपयोग में न लाने का कारण प्रबन्धक ने मार्च 1974 में बताया कि :—

(i) कतिपय कंपनियों द्वारा जिनके शेयरों का बीमा किया था विलम्ब से शेयरों का जारी किया जाना और,

(ii) दूसरे वायदों को पूरा करने के लिये निधियों का अपने पास रखे रहना ।

(II) **कार्य चालन परिणाम** 1973-74 तक पांच वर्षों के दौरान कंपनी के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित थे :—

	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
			(लाख रुपयों में)		
(i) कर के पूर्व व्यय	21.70	35.59	45.30	49.28	60.27
(ii) कर प्राविधान	7.43	16.88	13.35	17.85	24.30
(iii) कर के पश्चात् लाभ	14.27	16.71	31.95	31.43	35.91
(iv) संचित लाभ	15.90	30.60	60.05	63.34	77.25
(तुलन पत्र में ले जाये गये लाभ सहित सामान्य आरक्षण)					

लाभ में वृद्धि के कारण यह बताये गये :—

(क) सहायक कंपनियों से लिये गये शेयरों पर अधिक लाभांश (1969-70 में 15.48 लाख रुपये, 1970-71 में 20.29 लाख रुपये 1971-72 में 22.40 लाख रुपये, 1972-73 24.81 लाख रुपये और 1973-74 में 29.66 लाख रुपये)

(ख) **वाणिज्यिक**—बैंकों में मांग और मियादी जमा में रखी गई अतिरिक्त पूंजी पर अर्जित किया गया ब्याज (1969-70 में 11.71 लाख रुपये 1970-71 में 18.30 लाख रुपये 1971-72 में 22.92 लाख रुपये 1972-73 में 31.03 लाख रुपये और 1973-74 में 20.20 लाख रुपये) और

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत आवंटित की गई भूमि पर आस्थगित प्रीमिअम पर प्राप्त ब्याज (1969-70 में 8.16 लाख रुपये, 1970-71 में 18.30 लाख रुपये, 1971-72 में 8.16 लाख रुपये, 1972-73 में 15.89 लाख रुपये और 1973-74 में 33.76 लाख रुपये) ।

लाभों का अधिकांश भाग मांग और मियादी जमा में रखे गये ऋण पूंजी सहित निष्कार्य पूंजी पर अर्जित ब्याज के कारण हुआ बताया गया । जहां तक ऋण पूंजी का प्रश्न है जो कि औद्योगिक क्षेत्र योजना को पोषित करने के लिये प्राप्त किया गया था राज्य सरकार से लिये गये ऋणों पर ब्याज प्रभार (दर 4 प्रतिशत और 5½ प्रतिशत के बीच हेर फर कर रही थी) औद्योगिक भूमि के नियत प्राप्तियों से प्रीमियम के आस्थगित भाग पर लिये गये ब्याज से कम था ।

28. **शेयरों का बीमा (अन्डरराइटिंग)**

(क) अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये कंपनी मुख्यतः राज्य के अन्दर निजी क्षेत्र में विनियोज इकाइयों के प्रवर्तन तथा स्थापना हेतु साधनों को जुटाने में सहायता करने के लिए लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किये गये शेयरों का, बीमा करती है ।

कम्पनी ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 1974 तक 60 इकाईयों को बीमा करने की सुविधायें प्रदान की । एक मामले में 20 लाख रुपये के एक वर्तमान ऋण को परिवर्तित कर अधिमान शेयर लिये गये । मार्च 1974 तक कुल बीमा वचन बढ़ता 6,32.18 लाख रुपये की थी जिसके विरुद्ध कंपनी को 4,58.26 लाख रुपयों के शेयर लेने पड़े । इन कंपनियों द्वारा 31 मार्च 1974 तक एकत्र की गई कुल शेयर पूंजी 96 करोड़ रुपये थी ।

कंपनी केवल ऐसी इकाइयों के शेयरों का बीमा करती रही है जिन के शेयर दूसरी वित्तीय संस्थाओं जैसे इन्डस्ट्रिअल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया और इन्डस्ट्रिअल डेवेलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया द्वारा बीमा किये गये हैं और बीमा करने हेतु प्रत्याशित इकाइयों के वित्तीय मूल्यांकन तकनीकी समीक्षा और निरीक्षण के लिए इन संस्थाओं पर निर्भर रहती रही है ।

(स) 1973-74 में समाप्त तीन वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त इकाइयों से कंपनी को प्राप्त लाभांश के विवरण निम्नांकित हैं:—

	1971-72	1972-73	1973-74
सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	6	9	9
वर्ष के अन्त में कंपनी द्वारा लगाई गई पूंजी (लाख रुपयों में)	1,00.20	1,43.00	1,52.29
वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश (लाख रुपयों में)	22.40	24.81	29.66

पांच इकाइयां जिनमें कम्पनी द्वारा 1965 से 1973 की अवधि में 34.45 लाख रुपये नीचे की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप लगाये गये थे अभी निर्माण अवस्था में थी (मार्च 1975)। निर्माण-कार्यों में एक से लेकर सात वर्षों का विलम्ब हुआ।

बारह इकाइयां जिनमें कम्पनी द्वारा 1962 से 1972 की अवधि में बीमे के अनुबन्धों के अनुसार 90.41 लाख रुपये लगाये गये थे, अपने न्यूनतम प्राप्त लेखों के अनुसार संचित हानियों पर चल रही हैं।

(ग) **सहायता प्राप्त इकाइयों पर नियंत्रण**—बीमे के अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने डायरेक्टरों और अधिकारियों को और कुछ मामलों में राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डों में डायरेक्टरों के रूप में नियुक्त कर दिया था पर एक नमूने की जांच में प्रकट किया कि नामित डायरेक्टरों ने सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डों की कई बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं लिया।

बीमे के सितम्बर 1973 में जारी किये गये आदेशों के अनुसार, नामित डायरेक्टरों को सहायता प्राप्त इकाइयों के बोर्ड की हर बैठक के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी डायरेक्टर ने किसी बैठक के बाद निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

बीमे के करारों के अन्तर्गत कंपनी को अधिकार था कि वह निर्माण अवस्था में तथा इकाइयों को चालू करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय निरीक्षण करे पर सहायता प्राप्त कंपनियों में से किसी का भी निरीक्षण नहीं किया गया ऐसे निरीक्षण न करने या ऐसे निरीक्षणों के लिये एक नियमित प्रक्रिया निर्धारित न करने के कोई कारण नियत नहीं किये गये।

(घ) **शेयरों का निस्तारण**—प्रवर्तकों को कुछ हस्तान्तरणों को छोड़कर कोई भी शेयर होल्डिंग (इक्विटी और अधि- मान) जिसको कि कम्पनी ने विभिन्न बीमों के करारों के अनुसार खरीदा था अभी तक बेचने के लिये अर्पण नहीं किये गये। अक्तूबर 1971 में ऐसे शेयरों के बेचने निस्तारण की नीति की कम्पनी द्वारा समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि इसकी ऐसी होल्डिंगों को उनके प्रत्यक्ष मूल्य से अधिक है बेचकर उसके तरल साधनों को बढ़ाया जाये बशर्ते कि इस प्रकार जिनका बाजार में भाव प्राप्त धन अधिक प्रतिलाभ पाने के लिये पुनःनिवेश किया जा सके। किसी इकाई द्वारा उन लक्ष्यों को पूरा करने के बाद ही जिनके लिये सहायता दी गई थी शेयर छोटी ढेरियों (लाटस) में बेचे सकते थे यह भी निर्णय लिया गया कि शेयरों के निस्तारण के लिये कोई निश्चित कसौटी नहीं होनी जा चाहिये और प्रत्येक मामले को परिस्थितियों को देखते हुए तै किया जायेगा। संचालक मण्डल ने जो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकृत किया वह यह था कि बिक्रियां तभी की जानी चाहिये जब प्रतिलाभ जो पहले ही प्राप्त हो चुका है पर्याप्त प्रतीत हो उस अवधि को भी लेकर जिसमें कोई प्रतिलाभ नहीं था यह नीति देश में दूसरी वित्तीय संस्थाओं की नीति के अनुरूप बताई गई।

(ङ) शेयरों के **बीमा के फलस्वरूप हानियां**—(i) **बिस्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन**—सितम्बर 1974 में कम्पनी ने बिष्ट इन्डस्ट्रिअल कारपोरेशन लिमिटेड, किच्छा (नैनीताल) को 17.98 लाख रुपये के शेयरों (इक्विटी 14.48 लाख रुपये और अधिमान 3.50 लाख रुपये) का बीमा स्वीकृत किया था। इकाई जिसका गठन एक चीनी मिल की स्थापना तथा परिचालन के उद्देश्य से किया गया था जून 1965 में सार्वजनिक इजहाह (ईश) किया और कम्पनी का दायित्व 17.89 लाख रुपये निश्चित किया गया। कम्पनी ने 9 अगस्त 1965 को आवेदन रकम के

4.47 लाख रुपये तथा पहली सितम्बर 1965 को नियतन रकम के रूप में 4.47 लाख रुपये दिया। 4.47 लाख रुपये की एक और रकम 10 दिसम्बर 1965 को प्रथम आंशयाचना (काल) रकम के रूप में दी गई। इकाई प्रासपेक्टस के अनुसार अपने शेयरों को अनुमोदित स्टाक एक्सचेन्जों के पास दर्ज नहीं करा सकी इस आधार पर कम्पनी द्वारा एक मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय में जुलाई 1968 में ब्याज सहित धन की वसूली के लिये दायर किया गया जो कि अभी तक अनिर्णीत है (मार्च 1975) इसी बीच राज्य सरकार ने 12 सितम्बर 1970 को एक अध्यादेश जारी कर उप क्रम को मुख्यतः प्रायोजना को पूरा करने और उत्पादन आरम्भ करने में बत्याधिक विलम्ब के कारण अपने अधिकार में ले लिया। अध्यादेश का स्थान लेने वाले अधिनियम के अनुसार कम्पनी ने दूसरा मुकदमा जिला जज नैनीताल के पास 15 मार्च 1971 को 17.07 लाख रुपये जो कि फरवरी 1971 तक 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित शेयर रकम थे की वसूली के लिये दायर किया जो कि अभी तक अनिर्णीत है (मार्च 1975)।

राज्य सरकार ने इसके पूर्व इस इकाई को दो ऋण दिये थे और तदनुसार उपक्रम को देय 1,31.59 लाख रुपये के कुल मुआवजे में से 82.12 लाख रुपये (ब्याज सहित मूल्धन) कंपनी सहित सभी ऋण दाता और अंशदाताओं में वितरण करने लिये 49.47 लाख रुपये के शेष लेकिन जो रकम इकाई प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति सहित ऋण दाताओं को देय थी वह सरकार से प्राप्त मुआवजे के शेष से अधिक था और 31 मार्च 1974 को कम्पनी का तुलन-पत्र 4.47 लाख रुपये की अंतिम अभियाचन रकम की प्रासंगिक देयता दर्शाता है।

(ii) **हिन्द आटो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ**—इस इकाई की स्थापना लखनऊ में हवाई जहाजों और मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) के पुर्जे बनाने के लिये की गई थी। जून 1963 में इकाई ने 15.19 लाख रुपये के इक्विटी शेयर और 5.00 लाख के अधिमान शेयर जारी किये। बीमे की बचनबद्धता के अनुसार इक्विटी शेयरों के लिये कम्पनी की देयता 6.44 लाख रुपये और अधिमान शेयरों के लिये 2.13 लाख रुपये थी। निरन्तर हानियों के कारण इस इकाई को विलयन पुर्नगठन की एक योजना के अन्तर्गत 1971-72 में आटोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के साथ कर दिया गया। पुरानी इकाई में उसके इक्विटी शेयरों (की होल्डिंग) के विरुद्ध कम्पनी को नई कंपनी में 3.86 लाख रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयर आबंटित किये गये। विलयन के परिणाम स्वरूप कम्पनी ने 2.58 लाख रुपये की हानि उठाई।

29. खनन क्रियायें

(क) **चूना पत्थर (लाइमस्टोन) खानें**—नवम्बर 1962 में कम्पनी ने राज्य सरकार से जिला मिर्जापुर में 2,532.48 एकड़ के कुल क्षेत्र में चूना-पत्थर खोद कर निकालने का खनन पट्टा लिया। चूना-पत्थर को खोद कर निकालने का कार्य 1963-64 में प्रारंभ किया गया और चूना-पत्थर दुर्गापुर इस्पात कारखाने और टाटा लोहा और इस्पात कंपनी लिमिटेड को सप्लाई किया गया, किन्तु इन खानों में से निकाला गया चूना-पत्थर इन दोनों इस्पात कारखानों द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया। कम्पनी ने इन खानों का वाणिज्यिक रूप से खोदाई करते रहने का विनिश्चय किया और नये थोक आर्डर प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये। मई 1968 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने से 30,000 मेट्रिक टन चूना-पत्थर के आर्डर प्राप्त किये गये। कारखाने से 30,000 मीट्रिक टन के लिये एक दूसरा आर्डर फरवरी 1969 में प्राप्त किया गया। इन दोनों आर्डरों की आपूर्ति मई 1970 में पूरी कर दी गई। इस्पात कारखाने में परीक्षण करने पर सप्लाई किया गया चूना-पत्थर अवमानक कोटि का पाया गया और माल की एक बड़ी मात्रा अस्वीकार कर दी गई तथा वापस कर दी गई।

इस सौदे में कम्पनी को 1.71 लाख रुपये का घाटा हुआ। प्रोवती ने अस्वीकृत चूना-पत्थर का मूल्य और भाड़ा खर्च कम्पनी द्वारा बाद में सप्लाई किये गये डोलोमाइट के मूल्य में समायोजन द्वारा वसूल कर लिया। चूना-पत्थर का निकाला जाना 1970 में बन्द कर दिया

गया लेकिन चूना-पत्थर के बाकी बचे स्टाकों की बिक्री जारी रही । आरंभ से चूना-पत्थर का उत्पादन और बिक्रिया निम्नलिखित थीं :—

वर्ष	उत्पादन (मेट्रिक टन)	बिक्रियां (मेट्रिक टन)	बिक्रियां मूल्य (लाख रुपयों में)
	21,888	21,888	2.44
1964–65	20,083	20,083	2.02
1965–66	751	750	0.10
1966–67	379	379	0.09
1967–68	9,589	588	0.06
1968–69	27,398	27,349	3.56
1969–70	..	2,404	0.31
1970–71	..	72	0.01
1971–72	..	146	0.06
1972–73	..	16	0.01
1973–74			

कम्पनी ने अभी तक (नवम्बर 1974) इन खानों के पट्टों के अधिकार वापस नहीं किये हैं और 12,666 रुपये का वार्षिक पट्टा लगान दे रही है ।

(ख) डोलोमाइट खानें—1965–66 में चूना पत्थर की खानों की खोदाई के कार्यों के दौरान कम्पनी ने इस्पात गलाने की श्रेणी के डोलोमाइट का पता लगाया । उसने मई 1967 में राज्य सरकार से 16.563 रुपये वार्षिक लगान पर 1,656.32 एकड़ के पट्टे के अधिकार प्राप्त किये । खोदाई का काम तुरन्त आरम्भ किया गया । प्रारम्भिक प्रायोजना अनुमानों के अनुसार यह आंका गया था कि इन खानों का परिचालन वाणिज्यिक रूप से लाभदायक होगा । आशा की गई थी कि मानक कोटि के डोलोमाइट (डोलोमीय) मुख्य विक्रेता दुर्गापुर इस्पात कारखाना और टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड होंगे और निम्न श्रेणी का डोलोमाइट को जो कि इस्पात कारखानों के अयोग्य था, गिट्टी के रूप में राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेचा जाना था 1972 से उत्पादन में तेज गिरावट आई है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 36,000 मीट्रिक टन का अन्तिम थोक आर्डर, जिसकी पूर्ति जुलाई 1972 से जून 1973 के दौरान होनी थी, केवल जुलाई 1974 में पूरा किया गया । दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा डोलोचिप्स बड़े पैमाने पर अस्वीकृत किये गये ।

खानों के कार्य आरम्भ करने से लेकर अब तक के डोलोमाइट का उत्पादन, बिक्रियां और अस्वीकृतियां निम्नलिखित थी :—

वर्ष	उत्पादन (मेट्रिक टन)	बिक्री (मेट्रिक टन)	मूल्य	अस्वीकृतियां
			(लाख रुपयों में)	
1967–68	30,923	30,923	6.33	..
1968–69	36,190	35,299	8.08	0.25
1969–70	23,837	23,255	5.86	0.14
1970–71	23,261	21,447	5.27	0.13
1971–72	25,041	21,523	5.02	..
1972–73	18,518	12,566	3.23	0.50
1973–74	9,923	5,250	1.37	उपलब्ध नहीं

बिक्री मांग में जो तीव्र गिरावट 1972 में हुई थी। वह बनी हुई है और मई 1974 से कोई आर्डर नहीं है टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड ने अपनी स्वयं की खानें विकसित कर ली हैं और इसलिये कोई दीर्घकालीन आर्डर न देने का निश्चय कर लिया । दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने भी चोपन से दुर्गापुर तक के ऊंचे भाड़ा खर्च के कारण तथा इसलिये कि डोलोमाइट निर्धारित विनिदेश नहीं था आर्डर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । दूसरे इस्पात कारखाने भी इन्हीं कारणों से चोपन के डोलोमाइट की खरीद को अलाभकर पाते हैं (सितम्बर 1974 में) प्रबन्धकों ने यह अनुमान लगाया कि आपात स्थिति को छोड़ कर जब कि वैकल्पिक खानों से आपूर्तियां रुकी रहती हैं इस्पात कारखानों को डोलोमाइट सप्लाई करने के आर्डर प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं थी । सितम्बर 1974 में प्रबन्धकों ने श्रमिक अशान्ति वैगनों के उपलब्ध न होने और विद्युत् में कटौतियों को कम उत्पादन और अनियमित आपूर्ति की स्थिति के कारण बताये ।

इन खानों में डोलोचिप्स के उत्पादन की वर्तमान लागत 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन है जिसके विरुद्ध बिक्री मूल्य 26.25 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । इस कार्य के कार्यकारी परिणाम दर्शाने के लिये कोई अलग लेखे नहीं रखे गये । सितम्बर 1974 में प्रबन्धकों ने निदेश मण्डल को हानियों के निम्नलिखित आंकड़े रिपोर्ट किये :—

वर्ष	हानि (लाख रुपयों में)
1970–71	1.51
1971–72	1.84
1972–73	2.32
1973–74	2.66

चोपन के तीन क्रशरों में से 5 मीट्रिक टन प्रति घन्टों की क्षमता का एक जो 1965 में लगाया गया था गिट्टी पीसने के लिये उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसका उपयोग अस्वीकृत मालों को, गिट्टी के रूप में सप्लाई करने योग्य बनाने के काम में लिया जा रहा है । 5 और मिट्रिक टन प्रति घंटे की क्षमता के शेष दो क्रशर जो 1966–67 में खरीदे गये थे प्रायः अपनी आधी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके दांचे चिटक गये हैं । इन क्रशरों की उपयोगिता की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन खानों का उचित रूप से चालन और न ही आपूर्तियों के संबंध में कोई वायदे करना संभव है ।

(ग) निष्क्रिय श्रम—1970–71 से चूना पत्थर का कोई उत्पादन नहीं हुआ है और डोलोमाइट का उत्पादन भी कम कर दिया गया है। किन्तु श्रमिकों की संख्या में जो 1970–71 में 157, 1971–72 में 199 और 1972–73 में 125 थी कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई । श्रमिकों और दूसरे कर्मचारियों को दी गई मजदूरी की राशि में कोई भारी कमी नहीं हुई जैसा कि नीचे दिये गये विवरणों (निष्क्रिय श्रमिकों की स्थिति दर्शाने वाले लागत अभिलेख अलग नहीं रखे गये हैं) से प्रकट होता है :—

वर्ष	अदा की गई मजदूरी (लाख रुपयों में)
	0.69
1968–69	0.85
1969–70	1.22
1970–71	

	अदा की गई मजदूरी (लाख रुपयों में)
1971–72	2.06
1972–73	1.97
1973–74	1.63

वर्ष प्रति वर्ष घटती उत्पादकता तथा बढ़ती हानियों के कारण निदेशक मण्डल ने सितम्बर 1974 में निश्चय किया कि :—

(i) विभिन्न पक्षों से जो कम्पनी के साथ संयुक्त या स्वतंत्र रूप से खानों को चलाने के लिये राजी हों निवेद आमंत्रित करना, और

(ii) इन खानों को बन्द करने की सम्भावना के विषय में राज्य सरकार से बातचीत करना ।

इन खानों को बन्द करने या प्रभावशाली ढंग से चलाने के विषय में अन्तिम निर्णय (नवम्बर 1974) नहीं लिया गया है ।

30. अल्मोड़ा मैंगनेसाइट प्रायोजना

कम्पनी ने जिला अल्मोड़ा में 36,000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता के एक डेड मैगनेसाइट कारखाना स्थापित करने के लिये दिसम्बर 1973 में लाइसेन्स प्राप्त किया । इस प्रायोजना के लिये नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से एक संभाव्यता रिपोर्ट मई 1965 में प्राप्त की गई। 1973–74 देश में डेड–बर्न्ट मैगनेसाइट जो कि मुख्यतः एक उष्मसह पदार्थ है जिसका इस्तेमाल मूल रेफरेक्टरीज के निर्माण में किया जाता है, की अनुमानित वार्षिक मांग 1.19 लाख मेट्रिक टन आंकी गई थी जिसके विरुद्ध अनुमान लगाया गया था कि वर्तमान इकाइयों में उत्पादन 0.95 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ जायेगा । 0.24 लाख मेट्रिक टन के प्रत्याशित अन्तर को पूरा करने और आयातों की आवश्यकता को रोकने के लिये इस इकाई को 3,18.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बनाने का प्रस्ताव था ।

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार इस कारखाने में 36 महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन हो सकता था । दिसम्बर 1967 में परियोजना की पूंजी लागत का उपरिमुखी परिशोधन 3,18 लाख रुपये से 3,86 लाख रुपये कर दिया गया । वृद्धि मुख्यतः रुपये के अवमूल्यन और सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण थी ।

किन्तु इस परियोजना पर अमल कंपनी के भारत सरकार से मार्च 1971 में लाइसेंस का पुनर्बेधीकरण प्राप्त करने के पश्चात् 1970–71 में आरम्भ किया गया । एक उष्मसह विनिर्माण फर्म के साथ सहयोग करार के आधार पर एक पृथक कंपनी (अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड) का गठन 27 अगस्त 1971 को कंपनी की सहायक संस्था के रूप में हुआ ।

जनवरी 1972 में इस प्रायोजना का हस्तान्तरण सहायक संस्था को उसके जनवरी 1972 में कारबार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कर दिया गया । सहयोगी फर्म द्वारा जून 1972 में अन्तिम प्रायोजना तथा शक्यता रिपोर्ट पर तैयार की गई जिसके अनुसार अनुमानित पूंजी लागत घटी हुई 30,000 मेट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिये 2,50 लाख रुपये हैं । इस प्रायोजना की स्थापना जनवरी 1973 में हाथ में ली गई । यह कार्य पूरा नहीं हुआ है (जून 1975) लेकिन पहले भट्ठे में उत्पादन अप्रैल 1974 में और दूसरे में अक्टूबर 1974 में, प्रारम्भ हो गया । मार्च 1974 तक पूंजीगत व्यय 1,05.29 लाख रुपये था ।

प्रायोजना के उत्पादन की लागत तथा लाभदायकता के पुनरीक्षित अनुमान (1967) जैसा कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा परिकल्पित किया गया था और सहयोगी फर्म द्वारा तैयार किये गये थे (1972) निम्नलिखित थे :—

	एन० आई० डी०सी०	सहयोगी
क्षमता (मेट्रिक टनों में)	38,400	30,000
प्रति मेट्रिक टन उत्पादन की लागत (रुपयों में)	288	390
प्रति मेट्रिक टन औसत बिक्री मूल्य (रुपयों में)	374	500
प्रति मेट्रिक टन सकल लाभ (रुपयों में)	86	110

तथापि अगस्त 1974 में निदेशक मंडल ने उत्पादन लागत और मूल्य की जो कि 30,000 मेट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य पर आधारित है निम्नलिखित विवरणों की गणना की :—

पैक किये हुए और बोरों में भरे हुए माल की कुल उत्पादन लागत	746 रुपये प्रति मेट्रिक टन
प्रत्याशित बिक्री मूल्य	818 "
लाभ की सीमा	72 "

प्रथम भट्ठे ने 25 अप्रैल 1974 को उत्पादन प्रारंभ किया और 8 अक्टूबर 1974 तक जारी रहा जब कि भट्ठे की मरम्मत हेतु उत्पादन बन्द कर दिया गया । इस अवधि के दौरान लगभग 1,800 मेट्रिक टन डेडबर्न्ट मैगनेसाइट का उत्पादन हुआ । विद्युत के अक्सर बन्द हो जाने और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ज्वालक मेहराब (बर्न आर्चेज) समय पूर्व खराब हो गये जिसके कारण अच्छी कोटि का समरूप उत्पादन कठिन हो गया लगभग 800 मेट्रिक टन मैगनेसाइट (35 वैगन भर) सहयोगी फर्म को आपूर्ति किया गया इसमें से केवल 4 वैगन माल स्वीकृत किया गया और शेष 31 वैगन माल अस्वीकृत कर दिया गया ।

बाद में अगस्त 1974 में खरीदारों ने अपने विनिर्देशों में विशेष रूप से ढील दे दी और अस्वीकृत माल का लगभग 40 प्रतिशत स्वीकार कर लिया । शेष माल जो सुपुर्दगी के स्थल और काठगोदाम में लदाई के स्थान पर पड़ा है; वह सहायक कंपनी के खर्च पर जले हुए/बिना जले हुए ढेरों को छांट कर बचा लिया जायेगा ।

31. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

(अ) उद्यम-कर्ताओं को सस्ती दरों पर विभिन्न आकारों के औद्योगिक प्लाटों को बाह्य सड़कों, बरसाती नालों तथा विद्युत् वितरण लाइनों के मूल अवनेत्र ढांचे (इंफ्रा स्ट्रक्चर) के साथ देने के लिये कंपनी ने संभाव्य विकासात्मक बिन्दुओं पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की एक योजना 1961–62 में प्रारम्भ की । राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत चुने हुए स्थानों पर भूमि अर्जित की जाती है और निम्नलिखत शर्तों पर कंपनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है :—

(क) भूमि पर कब्जा पाने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर औद्योगिक क्षेत्रों के प्रयोजन के हेतु कंपनी उस भूमि को विकसित करेगी, सड़कों के ले-आउट और दूसरी उपयोगी सेवाओं को व्यवस्थित करेगी और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये दूसरे पक्षों को पट्टे पर प्लाट देगी

(ख) कंपनी राज्य सरकार को भूमि के लिये वह धनराशि देगी जो जिलाधीश द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत निश्चय की जायेगी

(ग) अगर निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भूमि के किसी भाग को विकसित करने में कंपनी असफल रहती है या विकसित प्लाटों को उद्यमकर्ताओं को नहीं देती है तो अप्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण को राज्य सरकार अकृत और शून्य घोषित कर सकती है और भूमि का ऐसा भाग सरकार के पास अधिकार में वापस हो जायेगा और

(घ) पट्टे की अवधि 90 वर्ष है ।

(आ) उद्यमकर्ताओं के प्लाटों का नियतन कंपनी द्वारा नब्बे वर्ष के पट्टे पर जैसा जहाँ है, आधार पर किया जाता है और समतुलन तथा स्थल का विकास नियतभागियों द्वारा अपने खर्च पर किया जाता है। प्रत्येक नियतभागी को दो प्रकार के भुगतान करना है अर्थात्

(i) प्रथम तीस वर्षों के दौरान 100 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ एक सौ दर पर पट्टे का लगान बाद के तीस वर्ष पर 150 रुपये की दर से और पट्टे की अवधि के अन्तिम तीस वर्षों में 225 रुपये की दर पर,

(ii) प्रीमियम जिसका 10 प्रतिशत नियतन के समय देय है और शेष 90 प्रतिशत आठ समान वार्षिक किस्तों में (प्रथम किस्त नियतन से दो वर्ष समाप्त होने पर देय होती है) प्रीमियम की अदत्त शेष पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ब्याज सहित। तब से ब्याज की दर 13½ प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच रिबेट के साथ बढ़ा दी गयी है जो कि उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां प्लाट स्थित है। स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री का व्यय और वैध खर्च नियत-भागियों द्वारा वहन किये जाते हैं ।

(iii) दिसम्बर 1973 तक औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों का नियतन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया था। जनवरी 1974 में कंपनी ने निश्चय किया कि तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में भविष्य में 40 प्रतिशत भूमि का नियतन निम्नलिखित प्रकार के प्राथियों को उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये :—

(क) जिनके पास आशय पत्र हो या जो डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत हो।

(ख) जो दूसरे राज्यों से औद्योगिक इकाइयों का दैहिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं।

(ग) जो पहले से एक औद्योगिक इकाई चला रहे हैं किन्तु भूमि की कमी का सामना कर रहे हैं।

(घ) इलेक्ट्रानिक उद्योग।

(ङ) इकाइयां जो आयात प्रतिस्थापन या प्रतिरक्षा/निर्यात पूर्वाभिमुखीकरण मदों का उत्पादन करती हैं।

(च) अभियांत्रिक स्नातक या भूतपूर्व सैनिक।

(छ) सहायक उद्योग।

(ज) इकाइयां जिनके पहले ही मान्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मार्च 1975 तक भूमि अर्जन क्षेत्रों के विकास, प्लाटों का नियतन और औद्योगिक इकाइयों का स्थापित किया जाना की स्थिति परिशिष्ट VI में दर्शाई गई है।

(iv) योजना के कार्यान्वयन के लगभग 13 वर्षों में नियत किए गए प्लाटों के लगभग 17 प्रतिशत पर उद्योग स्थापित किए गए हैं और 31 मार्च 1974 तक भूमि के अर्जन और

विकास पर निवेश किए गए 8.35 करोड़ रुपए का अधिकांश भाग निष्क्रिय रहा है। नवम्बर 1974 में प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों के उपयोग की धीमी गति, बिजली सप्लाई की असंतोषजनक स्थिति, सीमेन्ट तथा दूसरी भवन निर्माण सामग्रियों की सप्लाई में राज्य में कमी के कारणों से और विद्युत् सप्लाई के संबंध में राज्य सरकार और राज्य विद्युत् परिषद् से आवश्यक न मिलने के कारण उद्यमकर्ता मोटे रूप से नए निवेश जिस में उन इकाइयों में जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, अतिरिक्त निवेश भी सम्मिलित हैं, राजी नहीं थे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाया गया ऋण प्रतिबंध भी एक दूसरा कारण बताया गया। प्रबंधकों ने यह भी कहा कि भूमि अर्जन की कार्यवाहियों में अन्तर्निहित विलम्ब और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की कई एजेन्सियों का विकास का समग्र प्रक्रिया में भाग लेने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सका।

(इ) औद्योगिक क्षेत्र योजना राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। राज्य सरकार ने राज्य में भूमि अर्जन और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए अवधि ऋण प्रदान किए जिसमें से 31 मार्च 1974 को 3.30 करोड़ रुपए की एक धनराशि शेष थी।

कम्पनी ने इस योजना पर 13 मार्च 1974 तक (स्थल-पर-सामग्री के मूल्य को घटाकर 9.83 करोड़ रुपए की कुल राशि व्यय किया है जिसके विरुद्ध उसको 2.50 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला था शेष 5.83 करोड़ की राशि का उस तिथि पर कंपनी के तुलन पत्र में चालू परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। लेखे पट्टे पर दी गई भूमि का कुल मूल्य और प्रीमियम का कुल मूल्य जिसके विरुद्ध पट्टे दिए गए हैं नहीं दर्शाते। इस बात का सत्यापन नहीं हो सका कि तुलन पत्र में दर्शायी गयी चालू परिसंपत्तियों का मूल्य (5.83 करोड़ रुपए) देय प्रीमियम को जोड़ कर नियतन योग्य भूमि का मूल्य (प्रीमियम सहित) निरूपित करती है।

योजना की कुछ क्षेत्रानुसार विशिष्टतायें नीचे वर्णित हैं :—

(i) गोरखपुर में 187.57 एकड़ भूमि अधिकार में ली गई किन्तु स्थानीय निवासियों के प्रतिरोध के कारण केवल 63 एकड़ ही विकसित की जा सकी। अप्रैल 1974 में राज्य सरकार ने कहा कि बड़े पैमाने पर मुकदमाबाजी को बचाने के लिए शेष भूमि को त्याग देने पर कंपनी विचार कर रही है। जिले को "पिछड़ा" मान कर कंपनी द्वारा कुछ कारणों से जो अभिलेख पर नहीं है प्रीमियम की अदायगी रियायती शर्तों पर स्वीकार करली गई यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर एक पिछड़ा जिला सूची में नहीं था। कंपनी ने पिछड़े क्षेत्रों में रियायती शर्तें स्वीकार करने हेतु कोई सामान्य निर्णय लिया है।

(ii) विकास के लिए भूमि की अनुपयुक्तता तथा एक हरी पट्टी (खेती) का आवश्यकता के कारण नैनी के औद्योगिक क्षेत्र में 777 एकड़ में से केवल 55 एकड़ विकसित किए जा सके।

(iii) हरद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में अधिकार में लिए गए 104 एकड़ में से केवल 55 एकड़ विकसित किए जा सके क्योंकि भूमि पहाड़ी और पथरीली थी।

(v) गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्रीमियम का हिसाब लगाते समय विद्युतीकरण पर किए गए व्यय के 17.50 लाख रुपए को खाते में नहीं लिया गया। इसी प्रकार नैनी के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण अवधि की पूंजी पर 4 वर्ष की बजाय 2 वर्ष के लिए ब्याज का प्राविधान किया गया। इन अवअनुमानों और मन्द गतिवान औद्योगिक क्षेत्रों की हानियों को दूर करने के लिए 14 अक्तूबर 1971 से गाजियाबाद और कानपुर के प्लाटों के प्रीमियम की दरें 2 रुपए प्रति वर्ग गज और लखनऊ के प्लाटों पर 1 रुपया प्रति वर्ग गज बढ़ा दी गयीं। अप्रैल, 1974 में सरकार ने बताया कि तेज गतिवान क्षेत्रों की दरों को इस प्रकार निश्चित करना कि मन्द गतिवान क्षेत्रों की हानियों को पूरा किया जा सके, विचाराधीन है। नैनी और बरेली के प्लाटों की प्रीमियम का कम दर निश्चित करने के बावजूद पर्याप्त संख्या में उद्यमकर्ता इन क्षेत्रों में आकर्षित नहीं किए गए ।

(v) मूल रूप से यह प्रस्तावित था कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की योजना एक पृथक योजना के रूप में 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाई जाएगी और उसी के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाटों का प्रिमिअम की राशि निश्चित की जाएगी। प्रबंधकों द्वारा इस विषय की समीक्षा नवम्बर 1972 में की गई और यह निश्चय किया गया कि प्रीमियम की दरों को "न लाभ न हानि" के आधार पर निश्चित करना अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित न रहे बल्कि इसको एक साथ मिला कर सब औद्योगिक क्षेत्रों के निबल प्रतिलाभ पर लागू करना चाहिए। हर एक औद्योगिक क्षेत्र के प्लाटों की असली लागत के पृथक लेखे उपलब्ध नहीं है क्योंकि जैसा कि प्रबंधकों ने नवम्बर 1974 में बताया, प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में कार्य पूरा करने शेष था और एक क्षेत्र पर पूर्ण कार्य पूरा करने के पश्चात् ही लागत का सही चित्र सामने आएगा। प्रबंधकों ने यह भी बताया कि हर क्षेत्र पर लाभ या हानि का पहले से बताना संभव नहीं होगा। चूंकि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एक सतत प्रक्रिया के जिसमें समय समय पर नए क्षेत्र जुड़ते रहते हैं, उपर्युक्त निश्चय को दृष्टि में रखते हुए किसी इस बात को गणना करना निकट भविष्य में संभव नहीं होगा कि औद्योगिक क्षेत्रों की योजना कुल मिला कर लाभ या हानि पर चल रही है या न लाभ न हानि के आधार पर। वास्तविक और आंके होने वाले अनुमानित व्यय और लागत-विश्लेषण के आधार पर योजना के कार्यकारी परिणामों का मूल्यांकन अब तक (अप्रैल 1975) नहीं किया गया है।

(vi) मानक पट्टे में एक समय-सीमा उल्लिखित है जिसके अन्दर औद्योगिक इकाई का स्थापन कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए था और सब पहलुओं से पूर्ण भी कर लिया जाना चाहिए यदि पट्टेदार निर्धारित समय के अन्दर (या बढ़ी हुई अवधियों के अन्दर जो स्वीकृत की गई हों) ऐसा करने में असमर्थ रहता है और या समय से ब्याज सहित प्रीमियम की राशि और पट्टा लगान अदा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी को अधिकार है कि वह परिसर में पुन: प्रवेश करे और पट्टेदार द्वारा दिए गए सारे धन को जब्त कर ले और अदत्त बकाया को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल कर ले। कंपनी द्वारा इस शर्त में अप्रैल 1972 में ढील दे दी गई जब यह निश्चय किया गया कि कुल प्रीमियम का केवल 20 प्रतिशत जब्त किया जाये, और शेष यदि कोई है वापस कर दिया जाये या नए प्लाटों के नियतन में समायोजित कर दिया जाए।

बकीदारों से वसूलियां करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में तत्परता की कमी रही है तुरन्त जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 1974 को विभिन्न पट्टेदारों से प्रीमियम और ब्याज की प्रदत्त बकायों की 54.36 लाख रुपए की राशि देय थी जैसा कि औद्योगिक क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है (वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं था) :—

औद्योगिक क्षेत्र	बकायादारों की संख्या	देय प्रीमियम की धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल देय धनराशि	बकायादारों की संख्या जिनको नोटिस जारी की गई
गाजियाबाद	250	13.44	14.87	28.33	12
लखनऊ	26	1.89	2.15	4.04	5
नैनी	12	1.28	1.57	2.85	4
बरेली	4	0.22	0.27	0.49	1
गोरखपुर	3	0.06	0.17	0.23	..
संडीला	1	0.55	0.83	1.38	..
हरद्वार	10	0.20	0.33	0.63	..
साहिबाबाद	44	7.77	8.74	16.51	19
जोड़	350	25.41	28.95	54.36	41

योजना के प्रारम्भ से बकाया अदा न करने के कारण पुन: प्रवेश का अधिकार (पट्टे को रद्द करके) 73 मामलों में (1971 में 53 मामले और 1972 में 20 मामले) लागू किया गया। किंतु इकाई पर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहने या सम्मत अवधि के अन्दर उसको पूरा न करने की बिना पर पुन: प्रवेश करने का कोई मामला नहीं था।

(vii) राज्य सरकार ने राज्य के 36 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। सरकार और उसके उपक्रमों अर्थात् उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने विशेष योजनायें बनाई और उन इकाइयों को जिनकी स्थापना उन जिलों में की जानी थी, रियायतें दी। प्रीमियम की दरों की अनुपूर्ति करने और पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की शर्तों को उदार बनाने के प्रश्न पर निदेशक-मण्डल द्वारा नवम्बर 1972 में विचार किया गया लेकिन मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया (अप्रैल 1975)।

12. संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनायें

अक्तूबर 1970 में कम्पनी ने राज्य सरकार के परामर्श पर यह निश्चय किया कि उसके द्वारा चलाए गए प्रायोजनाओं में से कुछ प्रायोजनायें संयुक्त क्षेत्र में होंगी। संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनाओं के सम्भाव्य क्षेत्रों की खोज और जांच के लिये कंपनी ने उसी समय कम्पनी के अध्यक्ष उसके प्रबन्ध निदेशक और उद्योग निदेशक की एक समिति गठित की। इस समिति ने अभी तक (नवम्बर 1974) कोई बैठक नहीं की है। निदेशक मण्डल द्वारा 10 सितम्बर 1973 को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रादेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन उद्योग निदेशक, और कानपुर एक उद्योगपति (जो कम्पनी के एक निदेशक भी हैं) की एक दूसरी समिति नए आशय-पत्रों और लाइसेन्सों के लिए भारत सरकार को आवेदन करने हेतु एक नीति निकालने के लिए गठित की गई ऐसा प्रतीत होता है कि इस समिति की नियमित रूप से बैठक नहीं हुई। अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक की पहल पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त क्षेत्र प्रायोजनों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर तदर्थ आधार पर विचार किया गया। प्रायोजनाओं के चयन के पूर्व कोई व्यवस्थित आयोजना या सम्भाव्यता (फीजिबिलिटी) नहीं थी और निर्णायक तत्व उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की प्रत्याशाएं थीं। यह अपेक्षित था कि सम्भाव्यता अध्ययन संयुक्त उद्योगों के प्रत्याशित सहयोगियों द्वारा किए जायेंगे।

उन प्रायोजनाओं के चयन के बाद जिनकी अर्थक्षमता पूर्ण समझी गई कम्पनी भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त करती है और उसके पश्चात् उन उद्यमकर्ताओं से जिनको इस क्षेत्र में जानकारी (नो हाऊ) और प्रायोजना के स्थापना हेतु आवश्यक धन की क्षमता है आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने हेतु प्रेस में विज्ञापन देती है। प्राप्तियों द्वारा दी गई सम्भाव्यता रिपोर्टों की जांच की जाती है और चयन किया जाता है। तब सहयोगी के परामर्श से इकाई की स्थापना के लिए आवेदकों को कार्यवाही पर विचार किया जाता है।

निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को संयुक्त क्षेत्र की प्रायोजनाओं में भाग लेने के लिए मानक शर्तों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) औद्योगिक इकाई की मालिक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो जो राज्य में पंजीकृत होगी।

(ख) कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय और उत्पादन इकाई राज्य में स्थित होंगे।

(ग) शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत कम्पनी देगी, 25 प्रतिशत सहयोगियों तथा उनके साथियों द्वारा लिया जायगा और शेष 49 प्रतिशत अभिदान के लिए जनता को दिया जाना था। यदि कोई पक्ष अपने सब या कुछ शेयर नियत करना चाहे तो दूसरे पक्ष को अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार होगा।

(घ) उन मामलों के अलावा जिनमें जानकारी (नो हाऊ) का विदेश से आयात करना था, सहयोगी तकनीकी जानकारी (नो हाऊ) तथा दूसरी तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करेगा, जिसमें विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का तैयार करना सम्मिलित है जिसके लिए उनको किस्तों में एक निश्चित धन दिया जाना था। आवर्ती रायल्टी के साथ जिसकी गणना निवल बिक्री पर की जानी थी।

(ङ) प्रारम्भिक व्यय कम्पनी और सहयोगियों के बीच बराबर बराबर बाँटे जायेंगे।

नीचे दी गई तालिका में उन प्रायोजनाओं की सूची है, जिनका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया था और जिनके लिए आशय-पत्र 31 मार्च 1974 तक प्राप्त कर लिए गए थे।

प्रायोजना का नाम	पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)	वार्षिक क्षमता	भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र के अनुमोदन किए जाने की तिथि
छपाई की मशीनें	3.60	640 मशीनें 3,000 एम0टी0एस0 ए-डेस	8 जनवरी 1971
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स प्रायोजना	8.00	6,000 एम0 टी0एस0 इलेक्ट्रोड्स	22 फरवरी 1971
स्कूटर्स	3.75	24,000	22 मई 1971
सेफ्टी रेजर ब्लेड्स	4.00	60 करोड़	11 जून 1971
स्टील बिलेट्स	8.00	1,00,000 मि0ट0	28 जून 1971
जी0 एल0 एस0 लैम्प्स प्रायोजना	1.00	75 लाख	7 फरवरी 1972
हल्की व्यापारिक गाड़ियां	10.00	20,000	12 अप्रैल 1972
नाइलान फिलामेन्ट सूत प्रायोजना	9.00	2,100 मि0 टन	26 जुलाई 1972
झांसी के लिए रिफ्रेक्टरियां	5.00	50,000 मि0 टन	28 अक्तूबर 1972
लेखन और छपाई कागज प्रायोजना	50.00	1,00,000 मि0 टन	29 नवम्बर 1972
कास्टिक सोडा प्रायोजना	10.00	33,000 मि0टन	12 अप्रैल 1973
टी0 वी0 रिसीवर सेट	0.30	5,000	2 मई 1973
मिर्जापुर के लिए रिफ्रेक्टरियां	1.85	25,000 मि0 टन	28 जनवरी 1974
सिन्थेटिक डिटरजेन्ट (पूर्ण क्षेत्र के लिए)	2.00	10,000 मि0 टन	21 मार्च 1974
स्कूटर के टायर और ट्यूब	1.30	5,00,000	30 मार्च 1974

इन प्रायोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) **छपाई की मशीनों की प्रायोजना**--प्रायोजना का सम्मत स्थान उन्नाव है और कानपुर की एक फर्म के साथ सहयोग व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है। सहयोगी पश्चिम जर्मनी से जानकारी (नो हाऊ) प्राप्त करेंगे। सहयोग करार पर 10 सितम्बर 1973 को हस्ताक्षर हुए लेकिन विदेशी तकनीकी परामर्श करार को अभी तक (जुलाई 1975) अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एक कम्पनी अर्थात् प्रिंटिंग मशीन्स (इंडिया) लिमिटेड 30 नवम्बर 1973 को 150 लाख अधिकृत पूंजी के साथ निगमित की गई। आशय-पत्र में अपेक्षित था कि तीन विभिन्न प्रकार की 640 मशीनों (300 प्लेटस/प्रेस 300 सिलिन्डर मशीनें, 40 एक रंगी आफसैट मशीनें) का वार्षिक उत्पादन होगा। किन्तु फिलहाल केवल 300 सिलिन्डर मशीनों के उत्पादन की योजना बनाई जा रही है। कारखाने की इमारत का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है और आवश्यक प्लान्ट और मशीनरी का आर्डर अभी तक (मई 1975) नहीं दिया गया है। सहयोगी फर्म द्वारा 3.06 लाख रु0 दिये जाने के विरुद्ध कंपनी ने शेयर पूंजी के रूप में 3.19 लाख रुपये प्रारम्भिक व्यय के लिये दिये हैं। वर्तमान आशा यह है कि इकाई अक्तूबर 1977 में उत्पादन आरंभ करेगी।

(ii) **लेखन और छपाई कागज प्रायोजना**—कंपनी के अतिरिक्त दो और फर्मों को प्रदेश में इसी प्रकार की इकाइयों की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र स्वीकृत किये गये हैं। मार्च 1973 में कंपनी नें अनुमान लगाया कि यदि दूसरी दो इकाइयां वास्तव में स्थापित हो गई तो तीसरी इकाई के लिये जिसकी कंपनी द्वारा स्थापना का प्रस्ताव है पर्याप्त कच्चा माल नहीं होगा।

(iii) **कास्टिक सोडा प्रायोजना**—मई 1973 में सहयोग प्रस्ताव आमंत्रित किये गये और बारह फर्मों ने आवेदन किया। यह एक विद्युत् प्रधान उद्योग है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् सप्लाई करने के प्रबन्धों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप सहयोग प्रबन्धों और इकाई की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई (मई 1975)।

(iv) **टी0 वी0 रिसीवर सेट प्रायोजना**—अक्तूबर 1974 में कम्पनी द्वारा निश्चय किया गया कि इस प्रायोजना को उनकी प्रार्थना पर आगे कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के प्रादेशीय इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन की एक सहायक संस्था को हस्तान्तरण कर दिया जाए।

(v) **जी0 एल0 एस0 लैम्प्स प्रायोजना**—अक्तूबर 1973 में दिल्ली की एक फर्म के साथ सहयोग व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया। प्रारम्भ में फर्म ने 1 करोड़ 20 लाख जी0 एल0 एस0 लैम्पों की क्षमता वाले कारखाने हेतु तकनीकी जानकारी (नो हाऊ) के लिए 3 लाख रुपयों की फीस बताई (कोट) थी, लेकिन जून 1974 में 6 लाख रुपयों की बढ़ी फीस मांगी राज्य सरकार के निदेश के अन्तर्गत 5 लाख रुपयों पर समझौता कर लिया गया। प्रायोजना का कार्यान्वयन नई कम्पनी के पंजीकृत होने के बाद आरम्भ होगा।

(vi) **स्टील बिलेट्स प्रायोजना**—बलिया में प्रायोजना की स्थापना के लिये कम्पनी ने मुजफ्फरनगर की एक फर्म के साथ सहयोग व्यवस्था कारखाने की इमारतों का निर्माण कार्य जनवरी 1974 में आरम्भ होना था। उद्योग विद्युत् प्रधान है जिस को 50 मेगावाट की निरन्तर विद्युत् सप्लाई की आवश्यकता थी। जब नवम्बर 1973 में मामला

राज्य सरकार को भेजा गया तो नियमित विद्युत् सप्लाई के विषय में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका । पर कम्पनी ने 15 मे0 वा0 विद्युत् से 12 मि0 टन क्षमता की दो बिजली भट्टी चलाने के विकल्प पर विचार किया । इस घटे विद्युत् भार की भी विद्युत् परिषद् द्वारा गारंटी नहीं दी गई और सहयोगियों ने प्रायोजना के कार्यान्वियन में सक्रिय रुचि लेना बन्द कर दिया। कम्पनी पूंजी माल के आयात लाइसेन्स का प्रार्थना–पत्र जिसको आशय पत्र की शर्तों के अनुसार जून 1974 तक दे दिया जाना चाहिये था, नहीं दे सकी ।

शेष प्रायोजनाओं ने अधिक प्रगति नहीं की है । इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के कम्पनी के प्रयासों ने अभी तक (मई 1975) कोई प्रभाव नहीं डाला है । केवल एक मामले में एक कम्पनी पंजीकृत हुई है लेकिन इस इकाई ने भी कारोबार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया है । किसी मामले में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है या प्लाट का साजसामान आदेश किये गये हैं ।

33. लेखा प्रक्रिया और आंतरिक लेखा–परीक्षा

कम्पनी ने अभी तक (मई 1975) कोई आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रारम्भ नहीं किया है । कम्पनी ने अपने विभिन्न विभागों/शाखाओं और अधिकारियों के कार्य, कर्त्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करने और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण प्रयोग करने के लिये कोई लेखा मैनुअल भी नहीं तैयार किया है ।

अनुभाग––V

34. उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड का निगमन 30 मार्च 1971 को पर्वतीय क्षेत्रों की उन्नति करने तथा विकास को आगे बढ़ाने के लिये हुआ । कम्पनी का मुख्य उद्देश्य (i) पर्यटन व्यापार और उद्योग का विकास, (ii) सब्जियों, फलों इत्यादि की बिक्री को प्रोत्साहन, और (iii) क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक एवं कृषि सम्बन्धी विकास को बढ़ाना है ।

(क) एकमुश्त पर्यटन योजना—अप्रैल 1971 में कम्पनी ने आने वाले ग्रीष्म ऋतु (1971) में पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये ऋषिकेश से प्रारम्भ करते हुये केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिये एकमुश्त पर्यटन योजना को संचालन करने का निश्चय किया । तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में परिवहन, आवास, भोजन प्रबन्ध और दृष्यावलोकन इत्यादि सम्मिलित था । कम्पनी द्वारा बनाये गये व्यावहारिक विवरण के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ के संयुक्त पर्यटन के लिये 250 रुपये प्रति यात्री और केवल बद्रीनाथ के लिये 150 रुपये प्रति यात्री का व्यय आंका गया । इसके स्थान पर कम्पनी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की संयुक्त यात्रा पर एवं केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर क्रमशः 265 रुपये और 160 रुपये प्रति यात्री की दर निश्चित् किया । यह मान कर कि पर्यटन आर्थिक दृष्टि से सफल होंगे कम्पनी ने वेतन एवं भत्तों (40,300 रुपय), परिवहन (27,600 रुपये), आवास एवं भोजन प्रबन्ध (40,300 रुपये) और दृष्यावलोकन इत्यादि (10,800 रुपये) पर 1.19 लाख रुपये व्यय किये । आयोजित पर्यटन पहली जून 1971 से प्रारम्भ हुये और सात दिन बाद (7 जून 1971) उनका परित्याग, सड़क की दशा खराब होने व वर्षा के कारण सड़क में कटाओं के आ जाने के कारण, कर दिया गया । पर्यटन के आयोजन से केवल 49,700 रुपये की आय हुई। प्रबन्धकों द्वारा हानि का कारण आयोजित पर्यटन का विलम्ब से प्रारम्भ किया जाना और मौसम का प्रतिकूल होना बताया गया ।

(ख) सेव बिक्री योजना—कम्पनी ने सेव के विपणन और विक्रय करने का निश्चय (अप्रैल 1972) किया और 500 कुन्तल (मूल्य 10,000 लाख रुपये) प्रति वर्ष की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया । जुलाई, 1972 में कम्पनी ने महाराष्ट्र कृषि विकास और उर्वरक निगम, बम्बई से अभिकर्त्ता (एजेन्ट) के रूप में बम्बई पूना क्षेत्र में सेव की फुटकर

बिक्री करने का करार किया । बम्बई में भण्डार हेतु तथा बम्बई एवं पूना में विक्रय के लिये आवश्यकतानुसार सेवों को भेजना था । म0 कृ0 उ0 नि0 बम्बई से एक करारनामा हुआ (जुलाई 1972) जिसमें अभिकर्त्ता (एजेन्ट) को कमीशन (5 प्रतिशत) दिया जाना और उस प्रति सप्ताह बिक्री का विवरण (मात्रा और मूल्य) कम्पनी को भेजना अनुबद्ध था । अनुबन्ध के अनुसार बक्सों में रखकर भेजने के पूर्व सेवों को वर्गानुसार रायल डेलिसियस गोल्डेन और राजमेर–अ, ब और स तीन श्रेणियों में कम्पनी को वर्गीकृत करना था । प्रथम प्रेषित माल के प्राप्त होने पर, म0 कृ0 उ0 नि0 ने कम्पनी को 9 अगस्त 1972 को सूचित किया कि भेजे गये सेव श्रेणी के अनुसार नहीं है और शीतागार में संग्रह के अयोग्य है एवं कम मांग के कारण उनको अवक्रमित कोटि का मानकर बेचा जा रहा है । कम्पनी से तत्स्थानीय झूसी के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा गया । पुनः म० कृ० उ० नि० ने 14 अगस्त 1972 को सूचित किया कि भेजे गये सेव खट्टे, सड़े और फफूंद लगे हैं अतएव प्रति किलो से कम की दर पर उनकी बिक्री की जा रही है । कम्पनी को और प्रेषण न करने का परामर्श दिया गया । उस समय तक 9.65 लाख रुपये के मूल्य का सेव प्रेषित किया जा चुका था, और परिवहन (3.19 लाख रुपये) संस्थापन (1.40 लाख रुपये) शीतागार प्रभार (0.95 लाख रुपये) एवं अन्य विविध मदों (कमीशन के 0.42 लाख रुपये लेकर 0.80 लाख रुपये) पर 6.34 लाख रुपये व्यय किये जा चुके थे । किन्तु सेव मात्र 6.25 लाख रुपये में बिक सके जिसके फलस्वरूप 9.74 लाख रुपये की हानि हुई । जनवरी 1973 में महा प्रबन्धक को जिन्होंने हानि की जांच पड़ताल की थी ज्ञात हुआ कि 19 अगस्त 1972 तक अभिकर्त्ता द्वारा प्राप्त सेव शीतागार में (पूना में विलम्ब से शीतागार के चालू किये जाने के कारण) रक्खे नहीं गये जिसके फलस्वरूप सेव सड़ गये और बिक्री के लियें अयोग्य हो गये थे । अनुबन्ध में दण्ड धारा न होने के कारण अभिकर्त्ता (म0 कृ0 उ0 नि0 पर 9.74 लाख रुपये की हानि का दायित्व स्थिर नहीं किया जा सका । जुलाई 1972 में अन्तिम रूप देने से पूर्व अनुबन्ध का प्रारूप वित्त विभाग या वित्त प्रबन्धक (फाइनेन्स मैनेजर) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था । सरकार ने जनवरी 1973 में बताया कि मामला पंच फैसले में विचाराधीन है ।

(ग) सेव से माल तैयार करने की प्रायोजना का परित्याग—सितम्बर 1971 में कम्पनी ने सेव साइडर और पेक्टिन के निर्माण के लिये पर्वतीय क्षेत्र में सेव से माल तैयार करने के संयंत्र को लगाने का निश्चय किया तदनुसार, प्रबन्धक ने सेन्ट्रल फूड टैक्नोलाजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर से एक व्यावहारिक रिपोर्ट देने के लिये निवेदन किया (अक्तूबर 1971) और इस कार्य के लिये 10,000 रुपये दिये (मई 1972) । 14 जून 1972 को प्राप्त व्यावहारिक रिपोर्ट के अनुसार निर्माण के लिये प्रस्तावित पदार्थ देश में लोकप्रिय नहीं थे और व्यापारिक आधार पर उनका उत्पादन करने से पूर्व व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी। सेव साइडर के अतिरिक्त, अन्य उत्पादन जैसेसेव ब्रांडी और अलूचा ब्रांडी काभी निर्माणकरना होगा। जुलाई 1972में कम्पनी ने यू0पी0 एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 13.05 लाख रुपये की पूंजी से प्रक्रिया संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया । किन्तु प्रायोजना का, राज्य सरकार की मंत्रणा पर परित्याग कर दिया गया (अगस्त 1973) क्योंकि यू0 पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उसी प्रकार का संयंत्र हल्द्वानी में स्थापित होने जा रहा था जहां उसके पास पहले से ही एक सेव समाहरण संयंत्र था और वह सेव ब्रांडी के निर्माण कार्य को भी अपने हाथ में ले रहा था । 10,000 रुपये का व्यय निष्फल रहा ।

जनवरी 1975 में सरकार ने बताया कि अलूचा ब्रांडी, सेव ब्रांडी और वोडका के निर्माण के लिये योजना आयोग का सुझाव कम्पनी के विचाराधीन है ।

35. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड

(क) सायबान का ढह जाना—22 अगस्त 1971 को राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क के वीकर्स प्लान के भट्ठे के ऊपर इस्पात का बना सायबान ढह गया । मलबे को हटाने (जिसपर 0.25 लाख रुपये खर्च हुए) और नये सायबान के लगाने (कीमत 2.25 लाख रुपये)

में फैक्ट्री 143 दिनों तक बन्द पड़ी रही। बन्दी के फलस्वरूप 35.18 लाख रुपये कीमत की 47,538 टन सीमेन्ट क्लिंकर के उत्पादन (665 टन औसत उत्पादन प्रति दिन की दर से) की हानि हुई। अगस्त 1971 में प्रबन्धकों ने फैक्ट्री के उप निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता और राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, डाला के मुख्य अभियन्ता की एक जांच समिति बनाई जिसका विचार था (अप्रैल 1972) कि "सायबान के ढह जाने का कारण भट्ठी की चिमनी द्वारा गर्म गैसों के साथ क्लिंकर की धूल उड़कर उत्केदित रूप से इकट्ठा होना तथा सायबान की छत के ऊपर से उसकी नियमित रूप से कर्मचारियों द्वारा (0.25 लाख रुपये वार्षिक व्यय पर पृथक् से नियुक्त किये गये थे) इस ढहने की घटना से कुछ समय पूर्व से सफाई न करना था।" समिति ने एक कर्मचारी और आठ श्रमिकों को इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार पाया और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश किया। कर्मचारी को चेतावनी दी गई और आठ श्रमिकों के दो वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया।

(ख) कर का अतिरिक्त भुगतान—बिक्री कर क्रय मूल्य पर देय होता है जिसकी (क्रय मूल्य) परिभाषा इस प्रकार की गई है: किसी वस्तु की खरीद के लिये किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया वह मूल्य/देय धनराशि जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त भाड़े अथवा माल छुड़ाई के व्यय सम्मिलित न किये जायं यदि ये खर्च अलग से दिखला कर वसूल किये जाते हैं। राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क में जो केन्द्रीय एवं राज्य बिक्री कर नियमों के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड व्यापारी है, डी0 जी0 एस0 एन्ड डी0 के रेट कन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत बिक्री की गई सीमेन्ट पर रेल भाड़े को बिलों (रेल द्वारा गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार पहुंचाने का खर्च शामिल करके) में अलग से नहीं दिखलाया। यद्यपि डी0जी0 एस0 एन्ड डी0 ने अप्रैल 1970 में रेल भाड़े को बिल में अलग से दिखाने के लिये हिदायतें दी थीं। परिणाम स्वरूप रेल भाड़े पर भी बिक्री कर (केन्द्रीय और राजकीय) फैक्ट्री पर निर्धारित किया गया, जो वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान 15.34 लाख रुपये (14.68 लाख रुपये और 0.66 लाख रुपये क्रमशः राज्य और केन्द्रीय बिक्री करके) हुए। फैक्ट्री ने 14.68 लाख रुपये (केन्द्रीय बिक्री कर की राशि 0.66 लाख रुपये अभी भी देना शेष है) मार्च 1974 में भुगतान किया। इसमें से 6.12 लाख रुपये से संबंधित ग्राहकों से वसूल नहीं किये जा सके।

(ग) ट्रान्सफारमर के लिये भाड़ा—राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री की डाला यूनिट में सीमेन्ट के उत्पादन को दोष रहित बनाने के लिये दो कम्प्रेसर खरीदे गये और नवम्बर 1971 में चालू किये गये। प्रबन्धकों ने दो ट्रान्सफारमरों को क्रय करने का भी निर्णय लिया (सितम्बर 1971) और उनके आने तक यू0 पी0 राज्य विद्युत परिषद् से 1,035 रुपये प्रति माह के केराये की दर पर ट्रान्सफारमर लिये गये। स्विज गेयर के साथ दो ट्रान्सफारमरों की आपूर्ति के लिये दो आदेश 93,500 रुपये के फरवरी 1972 में बम्बई की एक फर्म को दिये गये। फर्म ने अनुसूचित समय (जून 1972) के अनुसार पूर्ति नहीं की। अप्रैल 1973 में क्रय के लिये निविदायें फिर मांगी गईं। क्रय संगठन के कार्यभारी अधिकारी द्वारा नई दिल्ली की एक फर्म का 1.02 लाख रुपये का प्रस्ताव इस अनुबद्ध के साथ कि आदेश दिये जाने की तारीख से आठ माह के अन्दर आपूर्ति वह करेगा, स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई, किन्तु प्रबन्धकों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका और अप्रैल 1973 में फिर अल्पावधिक निविदा मांगी गई जिसमें नई दिल्ली की उसी फर्म का 1.02 लाख रुपयों पर 29.15 प्रतिशत बढोत्तरी जोड़कर, न्यूनतम छठा प्रस्ताव स्वीकार किया गया; दो ट्रान्सफारमरों के आपूर्ति आदेश जुलाई 1973 में दिये गये। ट्रान्सफारमरों की कीमत (जून 1974 में प्राप्त हुए) 1.36 लाख रुपये हुई। इस बीच, कम्पनी विद्युत परिषद् को भाड़ा देती रही जिसकी राशि नवम्बर 1971 से जुलाई 1974 तक 0.36 लाख रुपये हुई। नई दिल्ली की फर्म का पूर्व प्रस्ताव (1.02 लाख रुपये) स्वीकार न करने से, इस प्रकार भाड़े के (0.07 लाख रुपये) परिहार्य व्यय के अतिरिक्त 0.34 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (जनवरी 1975) कि ट्रान्सफारमरों को किराये पर लेना ही पड़ा क्योंकि दिल्ली की फर्म द्वारा आपूर्ति में बिलम्ब था।

(घ) बोरों का क्रय—वर्ष में 60 लाख बोरों की आवश्यकता के मुकाबिले 77 लाख नये बोरों की आपूर्ति 1972–73 में करने के कम्पनी के क्रयादेश बाकी पड़े हुए थे (अप्रैल 1972)। इस आशंका से कि माल की सुपुर्दगी का नियत समय से पूर्ति कर्त्ता द्वारा पालन न किया जा सकेगा, कम्पनी ने (गनी ट्रेडर्स एसोसियेशन से की गई जांच के आधार पर) कलकत्ता की एक फर्म को 180.70 रुपये प्रति 100 बोरे, चुर्क में रेल तक निष्प्रभार की दर से 48 लाख बोरों की आपूर्ति करने का एक क्रय आदेश 16 जून 1972 को दिया। इसी अवधि में अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से जिस समय पर आपूर्ति की जा रही थी उसके मुकाबिले इस फर्म का भाव 3.95 रुपये प्रति 100 बोरे अधिक था। इन आधारों पर कि अगस्त 1972 तक आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है (22 लाख नये बोरे स्टाक में थे.) कम्पनी की भन्डार क्षमता सीमित है और कलकत्ता की फर्म के दर अनुचित रूप से अत्यधिक' है, यह क्रयादेश (जो चुर्क फैक्ट्री के लिये था) 14 सितम्बर 1972 को रद्द कर दिया गया। उस समय तक फर्म द्वारा 17.59 लाख नये बोरों की आपूर्ति की जा चुकी थी। ऊंची दर से बोरों की खरीद के फलस्वरूप 0.62 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

12 सितम्बर 1973 को कलकत्ता की फर्म ने रद्द किये गये क्रयादेश के शेष बोरों की आपूर्ति पुनरारंभ करने के लिये अभिवेदन किया। 23 अक्तूबर 1973 को आपूर्ति कर्त्ता से समझौता करते समय कम्पनी ने 29 लाख नये बोरे 180.70 रुपये प्रति 100 बोरे की दर से लेना स्वीकार किया, और मार्च 1974 तक आपूर्ति हो जानी थी। इस आपूर्ति कर्त्ता से जिस भाव का समझौता किया गया वह अन्य आपूर्तिकर्ताओं के उस समय के भाव की तुलना में 6.95 रुपये प्रति 100 बोरे अधिक था। इसके फलस्वरूप 2.01 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने नवम्बर 1974 में बताया कि इन बोरों के क्रय करने के कारण (i) पहले मामले में आपूर्ति विफल होने की संभावना थी और (ii) बाद के मामले में बोरों की कीमत के बढ़ने की आशंका थी।

36. इंडियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड

कोयले का क्रय—1200 एम0टी0 कोयले की आपूर्ति के लिये कम्पनी द्वारा नवम्बर 1973 में निविदायें आमंत्रित की गईं। निविदायें खुलने पर (5 दिसम्बर 1973) बरेली की एक फर्म का 248 रुपये प्रति एम0 टी0 का निम्नतम प्रस्ताव जो 4 जनवरी 1974 तक वैध था, कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया। किन्तु, आपूर्ति कर्त्ता को आपूर्ति आदेश 22 फरवरी 1974 को दिये गये जिसको इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि निविदा की वैध अवधि समाप्त हो चुकी है। 4 मार्च 1974 को निविदायें पुनः आमंत्रित की गईं और बरेली की एक अन्य फर्म का 332 रुपये प्रति एम0 टी0 का आपूर्ति प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तदनुसार, इस आपूर्ति कर्त्ता को कोयले (1200 एम0 टी0) की आपूर्ति का आदेश 6 मार्च 1974 को दिया गया। नवम्बर 1973 की निविदाओं के आधार पर वैध अवधि के अन्दर क्रयादेश न दिये जाने के फलस्वरूप 1.008 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1974) कि कम्पनी ने आपूर्ति आदेश इस आशा से पहले नहीं दिये कि कंट्रोल दर से कोयला प्राप्त हो जायेगा।

37. टरपेंटाइन सबसिडियरी लिमिटेड

भाड़े की वसूली होना—अप्रैल 1971 में कम्पनी ने निश्चय किया कि बिक्री के लिये पीपों में एजेंटों को भेजे गये वार्निश के पारेषण पर 10 रुपये प्रति पीपे की दर से भाड़े की वसूली की जावे; कम्पनी ने यह भी निश्चय किया कि यदि पीपे 90 दिनों के अन्दर वापस नहीं किये जावें तो एक रुपया प्रति पीपा प्रति पखवारे की विलम्ब के लिये दंड लगाया जाय, किन्तु एजेंटों से न तो भाड़े की वसूली की गई और न ही नियत समय में पीपों को न लौटाने पर उन पर कोई दंड ही लगाया गया। इसके फलस्वरूप अप्रैल 1971 से मार्च 1974 की अवधि में भाड़े के 0.93 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर 1974) कि कोई भी एजेंट लौटाये जाने वाले पीपों में माल की आपूर्ति लेने को तैयार नहीं थे इसलिये वसूली नहीं की गई।

38. एशो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

(क) निकासी एजेंट की नियुक्ति—जनवरी 1969 में कलकत्ता की एक फर्म को 1 जनवरी 1969 से बारह मास के लिये कलकत्ता पोर्ट पर आयात किये गये 'जेटर' ट्रैक्टरों फालतू पुर्जे, इत्यादि के उठाने धरने हेतु कम्पनी का निकासी एजेंट नियुक्त किया गया। जनवरी 1969 में किये गये अनुबन्ध के अनुसार निकासी एजेंट को माल कि सी0 आई0 एफ0 कीमत पर 24 पैसे प्रति 100 रुपये की दर से कमीशन भुगतान होना था। अप्रैल 1969 में निकासी एजेंट ने पूर्व सम्मत दर पर माल को उठाने धरने के कार्य को करने में असमर्थता प्रकट की और 40 पैसे प्रति 100 रुपये की दर से कमीशन की मांग के लिये बल दिया जिसे कम्पनी ने उस माल के संबंध में स्वीकार कर लिया जो पोर्ट पर हटाने के लिये पड़ा हुआ था। सितम्बर 1969 में नई निविदायें आमंत्रित की गईं और अक्तूबर 1969 में कलकत्ते की उसी फर्म को 100 रुपये पर 55 पैसे की निविदा दर के स्थान में बात चीत से तय की गई 40 पैसे की दर पर अक्तूबर 1969 से एक वर्ष के लिये कार्य दे दिया गया। अप्रैल 1970 में निकासी एजेंट को 2.70 लाख रुपये का अग्रिम धन (अनुबन्ध में बिना कोई प्राविधान के) सीमा शुल्क तथा पोर्ट निकासी और टायर ट्यूब के आयात से संबंधित प्रासंगिक व्यय के लिये दिया गया। फिर भी, निकासी एजेंट द्वारा पोर्ट से माल की निकासी नहीं हो सकी और कम्पनी को सीमा शुल्क तथा अन्य पोर्ट व्यय के अलावा 1.02 लाख रुपये विलम्ब-शुल्क पोर्ट अधिकारियों को भुगतान करने पड़े। निकासी एजेंट ने अग्रिम राशि को अपने व्यापार चलाने में उपयोग कर लिया था। और धनराशि को शर्त की अवधि समाप्त होने के बाद भी रोके रक्खा। एजेंट की 10,000 रुपये की जमानत जमा के मुकाबिले अक्तूबर 1970 के अन्त में विलम्ब-शुल्क (1.02 लाख रुपये), अग्रिम राशि (3.66 लाख रुपये), पोर्ट-कमिश्नर से प्राप्त एवं एजेंट द्वारा रोक ली गई वापसी रकम (1.02 लाख रुपये) और अन्य देय रकमों (0.66 लाख रुपये) के 6.36 लाख रुपये एजेंट से वसूल होना था।

करारनामें की शर्त के अनुसार विवाद का निपटारा कम्पनी के चेयरमैन द्वारा नामित एक मात्र मध्यस्थ द्वारा किया जावेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कम्पनी ने 19 फरवरी 1971 को एक मध्यस्थ नामित किया जिसने 5.64 लाख रुपये कम्पनी को एजेंट द्वारा देय बताया (27 अप्रैल 1972)। चूंकि एजेंट की फर्म पहले ही परिसमाप्त हो गई, इस राशि की वसूली अभी तक (अप्रैल 1975) नहीं हुई। परिसमापन कार्यवाही में कम्पनी का स्थान आरक्षित लेनदार के रूप में है।

मामले की सूचना कम्पनी को सितम्बर 1973 में दी गई, उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 1975)।

(ख) स्टील का क्रय—जुलाई 1970 में कम्पनी द्वारा स्टील मैटीरियल (592 एम0 टी0) की आपूर्ति के लिये निविदायें आमंत्रित की गईं। ग्यारह प्राप्त निविदाओं में से जो 15 जुलाई 1970 को खुली, सात रद्द कर दी गई क्योंकि अपेक्षित बयाने की धनराशि जमा नहीं हुई थी। शेष चार निविदायें, जो 15 अगस्त 1970 तक वैध थी, प्रचलित जे0 पी0 सी0 के भाव की तुलना में अधिक (25 से 50 प्रतिशत) मानी गई। 10 अगस्त 1970 को कम्पनी ने क्रय की सीमा 300 एम0 टी0 निश्चय किया और 20 अगस्त 1970 को कानपुर की तीन फर्मों को आपूर्ति आदेश दे दिये गये। किन्तु आपूर्तिकर्त्ताओं ने आपूर्ति करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आपूर्ति आदेश वैध अवधि की समाप्ति के बाद दिये गये थे। सितम्बर

1970 में निविदायें पुनः आमंत्रित की गई और जो भाव प्राप्त हुये वे जुलाई 1970 में प्राप्त भावों की अपेक्षा ऊंचे थे। एक सौ पांच टन (जिसमें 38 एम0 टी0 उस एक फर्म का सम्मिलित है जिसे आपूर्ति आदेश अगस्त 1970 में दिये गये थे) हील नवम्बर 1970 में कानपुर की दो फर्मों से ऊंची दर (जे0 पी0 सी0 के भाव की तुलना में 25 से 50 प्रतिशत ऊंचे थे) पर खरीदी गयी। वैध अवधि के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप न दिये जाने के फलस्वरूप 0.40 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जनवरी 1975 में सरकार ने बताया कि लोहे और स्टील के भावों की विविधता कम्पनी द्वारा प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

डी० बैरथ

(डी० बैरथ)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-I

इलाहाबाद : 30 SEP 1975

प्रतिहस्ताक्षरित

अधेन्दु बक्सी

(अधेंन्दु बक्सी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली: 3 OCT 1975

परिशिष्ट

परि-

(संदर्भ : पैरा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के 1973–74 के

क्रमांक	परिषद् का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तारीख	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ(+)/ हानि(−)	लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	विद्युत	1 अप्रैल 1959	9,63,51.80(−)	33,07.50	40,64.65

शिष्ट I

1, पृष्ठ 1)

वित्तीय परिणामों का विवरण

दीर्घकालिक कर्जों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (6)+(8)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (6)+(7)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13
40,64.65	7,57.15	0.78	9,02,49.16	7,57.15	0.84

परि–

[संदर्भ : पैरा

राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के पश्चात् पूर्ण

थरमल स्टेशन	स्थापित क्षमता (एम0 डब्लू0)	मशीनों की पूर्ति का स्रोत	चालू किये जाने की नियत तिथि	चालू किये जाने की वास्तविक तारीख
हरदुआगंज स्टेज—I	60			
यूनिट–I (30एम0डब्लू0)		विदेशी	उपलब्ध नहीं	अप्रैल 1962
यूनिट–II (30एम0डब्लू0)		विदेशी	उपलब्ध नहीं	जून 1962
हरदुआगंज स्टेज–II	30			अप्रैल 1964
हरदुआगंज स्टेज–III	100			..
यूनिट–I (50एम0डब्लू0)		"	"	मार्च 1968
यूनिट–II (50एम0डब्लू0)		"	"	जनवरी 1969
हरदुआगंज स्टेज—IV	110			
यूनिट–I (55एम0डब्लू0)		स्वदेशी	अप्रैल 1970	जुलाई 1971
यूनिट–II (55एम0डब्लू0)		"	अक्तूबर 1970	नवम्बर 1972
ओबरा	250			
यूनिट–I (50एम0डब्लू0)		विदेशी	उपलब्ध नहीं	अगस्त 1967
यूनिट–II (50एम0डब्लू0)		"	..	मार्च 1968
यूनिट–III (50एम0डब्लू0)		"	..	अक्तूबर 1968
यूनिट–IV (50एम0डब्लू0)		"	..	जून 1969
यूनिट–V (50एम0डब्लू0)		"	..	जुलाई 1971
ओबरा एक्सटेन्शन स्टेज–I	300			
यूनिट–I (100एम0डब्लू0)		स्वदेशी	अगस्त 1971	जुलाई 1973
यूनिट–II (100एम0डब्लू0)		"	अप्रैल 1972	दिसम्बर 1974
यूनिट–III (100एम0डब्लू0)		"	नवम्बर 1972	अभी चालू नहीं हुआ
पनकी	64			
यूनिट–I (32एम0डब्लू0)		विदेशी	उपलब्ध नहीं	नवम्बर 1967
यूनिट–II (32एम0डब्लू0)		"	"	मार्च 1968

शिष्ट II

10 ब, पृष्ठ 26]

और चालू किए गए बिजली घरों का विवरण

चालू किये जाने में विलम्ब की सीमा	परियोजना की लागत: मूल अनुमान के अनुसार	पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार	मार्च, 1974 तक वास्तविक	मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक कीमत की प्रतिशतता	स्थापित क्षमता की प्रति के0 डब्लू0 लागत: मूल अनुमान के अनुसार	वास्तविक लागत के अनुसार
	(लाख रुपयों में)				(रुपयों में)	
	5,59.31	5,49.00	5,49.00	98	932	915
	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..
	2,59.20	3,30.72	4,46.59	172	861	1,489
	10,44.49	19,99.53	19,49.39	181	1,044	1,949
	10,97.44	21,56.12	25,42.40	232	998	2,339
लगभग 1½ वर्ष						
लगभग 2 वर्ष						
	27,25.00	40,56.69	39,69.39	145	1,090	1,588
	31,31.00	53,33.82	60,35.03	192	1,778	2,012
लगभग 2 वर्ष						
लगभग 3½ वर्ष						
	6,81.61	10,51.00	12,78.54	187	1,065	1,966

परिशिष्ट III

[संदर्भ : पैरा 16 (7), पृष्ठ 73]

31 अगस्त 1974 को 61 मंडलों द्वारा धारण किए गए वास्तविक भंडार का विवरण

मंडल का नाम	स्टाफ कमेटी द्वारा भंडार सीमा का सुझाव	वास्तविक भंडार धारण किये गये	धारण किये गये अतिरिक्त भंडार का मूल्य
	(करोड़ रुपयों में)		
कुमायूं डिवीजन, अल्मोड़ा	0.15	1.28	1.13
विद्युत् अनुरक्षण मंडल मैनपुरी	0.15	1.05	0.90
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मुरादाबाद	0.15	0.91	0.76
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, लखीमपुर–खीरी	0.15	0.81	0.66
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मोदीनगर	0.15	0.65	0.50
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, फैजाबाद	0.15	0.70	0.55
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बस्ती	0.15	0.68	0.53
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, कानपुर	0.15	0.65	0.50
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, इलाहाबाद	0.15	0.34	0.19
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, झांसी	0.15	0.23	0.08
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बांदा	0.15	0.42	0.27
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, लखनऊ	0.15	0.40	0.25
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, हरदोई	0.15	0.37	0.22
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, सीतापुर	0.15	0.23	0.08
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, उन्नाव	0.15	0.30	0.15
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, हाथरस	0.15	0.20	0.05
लखनऊ ईलेक्ट्रीसीटी सप्लाई अंडर टैकिंग, लखनऊ	0.15	0.28	0.13
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मथुरा	0.15	0.26	0.11
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, आगरा	0.15	0.22	0.07
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, एटा	0.15	0.25	0.10
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मेरठ–I	0.15	0.28	0.13
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गाजियाबाद	0.15	0.50	0.35
विद्युत अनुरक्षण मंडल, मेरठ–II	0.15	0.19	0.04
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बुलन्दशहर (दक्षिण)	0.15	0.41	0.26
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बुलन्दशहर (उत्तर)	0.15	0.31	0.16
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, शामली	0.15	0.75	0.60
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बरेली	0.15	0.32	0.17
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, पीलीभीत	0.15	0.53	0.38
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बिजनौर	0.15	0.57	0.42

परिशिष्ट III—समाप्त

मंडल का नाम	स्टाफ कमेटी द्वारा भंडार सीमा का सुझाव	वास्तविक भंडार धारण किये गये	धारण किये गये अतिरिक्त भंडार का मूल्य
	(करोड़ रुपयों में)		
कुमायूं मंडल पिथौरागढ़	0.15	0.32	0.17
कुमायूं मंडल, हल्दवानी	0.15	0.60	0.45
कुमायूं मंडल, काशीपुर	0.15	0.38	0.23
गढ़वाल मंडल, उत्तर काशी	0.15	0.20	0.05
वितरण मंडल, मुरादाबाद	0.15	0.30	0.15
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, रामपुर	0.15	0.62	0.47
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बदायूं	0.15	0.38	0.23
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, बाराबंकी	0.15	0.49	0.34
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गोंडा	0.15	0.48	0.33
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, सुल्तानपुर	0.15	0.31	0.16
विद्युत् अनुरक्षण् मंडल, प्रतापगढ़	0.15	0.36	0.21
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, देवरिया	0.15	0.35	0.20
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गाजीपुर	0.15	0.53	0.38
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, वाराणसी	0.15	0.27	0.12
विद्युत् अनुरक्षण मंडल, मिर्जापुर	0.15	0.39	0.24
परिचालन और अनुरक्षण मंडल 'ब', पावर हाउस, कासिमपुर	0.15	0.88	0.73
भंडार भुगतान मंडल 'अ', पावर हाउस कासिमपुर	0.15	0.76	0.61
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, इलाहाबाद	0.30	0.47	0.17
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, फर्रुखाबाद	0.30	0.50	0.20
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, मथुरा	0.30	0.38	0.08
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, मेरठ	0.30	0.36	0.06
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, सहारनपुर	0.30	0.38	0.08
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, बरेली	0.30	0.42	0.12
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, मुरादाबाद	0.30	0.37	0.07
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, बिजनौर	0.30	0.42	0.12
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, गोंडा	0.30	0.38	0.08
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, गोरखपुर	0.30	0.37	0.07
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, आजमगढ़	0.30	0.59	0.29
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, गाजीपुर	0.30	0.47	0.17
ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, वाराणसी	0.30	0.75	0.45
परीक्षण मंडल, रुड़की	0.08	0.30	0.22
परीक्षण मंडल, फैजाबाद	0.08	0.34	0.24
जोड़	10.96	28.21	17.25

परि-

(संदर्भ : पैरा 18,

वर्ष 1971–72 से 1973–74 में उपभोक्ता के अनुसार जोड़े गये

उपभोक्ता की श्रेणी	1971–72			
	जोड़ा गया भार (एम0 डब्ल्यू0)	कुल जोड़े गये भार पर प्रतिशतता	बिक्री की गई ऊर्जा (दस लक्ष के0 डब्ल्यू0 एच0 में)	कुल बिक्री की गई ऊर्जा पर प्रतिशतता
घरेलू	388	14.2	264	5.9
वाणिज्यिक	101	3.7	54	1.2
औद्योगिक	1,096	40.2	2,682	59.9
सार्वजनिक प्रकाश	7	0.3	17	0.4
रेलवे ट्रैक्शन	77	2.8	130	2.9
सिंचाई/कृषि	926	33.9	694	15.5
सार्वजनिक जल–कल और मल पम्पिंग	16	0.6	57	1.3
लाइसेन्सधारी	101	3.7	413	9.2
अतिरिक्त राजकीय उपभोक्ता	16	0.6	164	3.7
जोड़	2,728	100	4,475	100

शिष्ट IV

पृष्ठ 80)

भार का ब्योरा, ऊर्जा की बिक्री और राजस्व प्राप्ति का विवरण।

1971–72		1972–73		
राजस्व (लाख रुपयों में)	कुल राजस्व पर प्रतिशतता	जोड़ा गया भार (एम0 डब्ल्यू0)	कुल जोड़े गये भार पर प्रतिशतता	बिक्री की गई ऊर्जा (दस लक्ष के0 डब्ल्यू0 एच0 में)
833	13.7	421	14.0	272
165	2.7	102	3.4	57
2,708	44.6	1,178	39.2	2,823
49	0.8	8	0.3	17
179	3.0	81	2.7	172
1,365	22.5	1,091	36.3	795
71	1.2	18	0.6	59
567	9.4	91	3.0	447
130	2.1	16	0.5	148
6,067	100	3,006	100	4,790

परिशिष्ट IV—समाप्त

उपभोक्ता की श्रेणी	1972-73			1973-74					
	कुल बिक्री की गई ऊर्जा पर प्रतिशतता	राजस्व (लाख रुपयों में)	कुल राजस्व पर प्रतिशतता	जोड़ा गया भार (एम0 डब्ल्यू0)	कुल जोड़े गये भार पर प्रतिशतता	बिक्री की गई ऊर्जा (दस लाख के० डब्ल्यू0 एच0 में)	कुल बिक्री की गई ऊर्जा पर प्रतिशतता	राजस्व (लाख रुपयों में)	कुल राजस्व पर प्रतिशतता
घरेलू	5.7	935	12.2	491	14.4	274	6.4	953	12.8
वाणिज्यिक	1.2	189	2.5	116	3.4	61	1.4	199	2.7
औद्योगिक	58.9	3,240	42.4	1,289	37.8	2,304	53.5	3,132	42:0
सार्वजनिक प्रकाश	0.4	51	0.7	9	0.3	16	0.4	50	0.7
रेलवे ट्रैक्सन	3.6	271	3.5	81	2.4	166	3.9	256	3.4
सिंचाई कृषि	16.6	2,027	26.5	1,295	37.9	827	19.0	1,901	25.5
सार्वजनिक जलकल और मल पम्पिंग	1.2	81	1.0	22	0.6	63	1.5	90	1.2
लाइसेन्सधारी ..	9.3	719	9.4	94	2.7	432	10.0	718	9.6
अतिरिक्त राजकीय उपभोक्ता	3.1	135	1.8	16	0.5	167	3.9	153	2.1
जोड़	100	7,648	100	3,413	100	4,310	100	7,452	100

परि-

(संदर्भ : पैरा 23,

सरकारी कंपनियों के 1973-74

क्रमांक	कंपनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तारीख	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+)/ हानि (-)
1	2	3	4	5	6
	चालू संस्थायें–				
1	इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कंपनी लिमिटेड, बरेली	उद्योग	22 फरवरी 1924	2,70.97	(—) 18.40
2	मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड, मुहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद)	योजना	2 दिसम्बर 1964	5.91	(—) 0.15
3	यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	कृषि	29 मार्च 1967	6,11.10	(+) 47.68
4	यू0पी0 स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	उद्योग	26 मार्च 1971	9,75.33	(—) 1,68.41
5	यू0पी0 स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मिर्जापुर	,,	29 मार्च 1972	28,28.61	(—) 2,13.73
	संवर्धक और विकासात्मक संस्थायें–				
6	यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	29 मार्च 1961	12,27.50	(+) 60.21
7	यू0पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	,,	जून 1958	5,16.78	(+) 48.87
8	यू0पी0 टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	,,	2 दिसम्बर 1969	7,33.29	(+) 78.68
9	यू0पी0 पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, फैजाबाद	कृषि	30 मार्च 1971	75.81	(+) 6.34
10	यू0पी0 पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल	कृषि	30 मार्च 1971	50.00	(—) 7.77

शिष्ट V

पृष्ठ 89)

के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ-कालिक कर्जों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रति लाभ (6) + (8)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रति लाभ (6) + (7)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता
7	8	9	10	11	12	13
(लाख रुपयों में)						
0.81	0.81	(—) 17.59	..	2,49.31	(—) 17.59	..
0.04	0.04	(—) 0.11	..	1.08	(—) 0.11	..
14.81	14.81	62.49	10.22	6,38.21	(+) 62.49	9.79
40.27	16.27	(—) 1,52.14	..	3,29.83	(—) 1,28.14	..
1,05.38	97.93	(—) 1,15.80	..	24,95.88	(—) 1,08.35	..
18.40	18.40	78.61	6.4	12,26.67	(—) 78.61	6.41
33.50	33.50	82.37	15.94	5,15.39	82.37	15.98
5.29	..	78.68	10.73	7,38.53	83.97	11.38
0.32	0.24	6.58	8.68	75.39	6.66	8.83
0.17	..	(—) 7.77	..	43.94	(—) 7.60	..

परिशिष्ट V—समाप्त

क्रमांक	कंपनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तारीख	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+)/ हानि (−)	लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घ-कालिक कर्जों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रति लाभ (6)+(8)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रति लाभ (6)+(7)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रति लाभ की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ यू0पी0 लिमिटेड, लखनऊ	उद्योग	29 मार्च 1972	3,05.42	(+)0.41	0.17	0.16	0.57	0.19	3,05.27	0.58	0.19
12	यू0पी0 हैण्डलूम, पावरलूम, वित्त एवं विकास निगम, कानपुर	,,	9 जनवरी 1973	71.00	(−)2.26	2.06	2.06	(−)0.20	..	68.01	(−)0.20	..
	संस्था जो बन्द हो रही है–											
13	इण्डियन वाबिन कंपनी लिमिटेड, बरेली	उद्योग	22 फरवरी 1924	3.07	(+)0.03	..	..	0.03	0.97	3.67	0.03	0.82
	सहायक संस्थायें–											
14	टर्पेन्टाइन सब्सिडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली	उद्योग	11 जुलाई 1939	13.61	(+)0.50	..	..	0.50	3.67	13.79	0.50	3.63
15	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा (नैनीताल)	,,	17 फरवरी 1972	4,99.37	(−)1,05.64	20.60	17.08	(−)88.56	..	2,42.99	(−)85.04	..
16	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा	,,	27 अगस्त 1971	100.00	(−)42.85	6.99	6.28	(−)36.57	..	1,28.54	(−)35.86	..

* निर्माण काल की अवधि में भुगतान किए गए 3.37 लाख रुपए छोड़कर

टिप्पणियां—

(i) निविष्ट पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घ कालिक कर्जों और निर्बाध आरक्षित निधि को प्रद-

(ii) लगाई गई पूंजी में निवल नियत परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों को छोड़

(iii) क्रमांक 4 और 15 अर्थात् यू0पी0 स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड और किच्छा शुगर

(iv) क्रमांक 16 यथा अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा के सामने दिये गये

(30 अप्रैल 1974)

शित करती है (सब आंकड़े वर्ष के अन्त के हैं) ।

कर) और कार्य चालन पूंजी शामिल है (सब आंकड़े वर्ष के अन्त के हैं) ।

कंपनी लिमिटेड के सामने दिया गया विवरण लेखे वर्ष 30 सितम्बर 1973 के अन्त तक का है ।

आंकड़े 31 अक्टूबर 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के लेखे के अनुसार हैं ।

परि॰

(संदर्भ : पैरा 31,

1975 तक भूमि अर्जन, क्षेत्र का विकासी,

स्थान	भूमि का कुल क्षेत्र जो कब्जे में है	क्षेत्र जिसमें विकास किया जा चुका है	नियतन के लिये भूमि का क्षेत्र	नियतन के लिये प्लाट
	(एकड़ में)			
गाजियाबाद	3807	3341	2538	1187
हरद्वार	104	80	52	189
बरेली	357	357	268	111
लखनऊ (अमौसी और सरोजिनी नगर)	454	454	394	164
कानपुर	307	307	241	327
गोरखपुर	63	63	45	41
नैनी	777	777	550	230
उन्नाव ..	381	310	215	144
संडीला ..	1734	300	1684 (250 विकसित तथा 1434 अविकसित)	31
सिकन्दराबाद	1243	1243	990	277
वाराणसी	281	281	184	187
आगरा	37	..	..	..

शिष्ट VI

पृष्ठ 100)

प्लाटों का नियतन और औद्योगिक यूनिटों के आने की स्थिति का विवरण

नियतन की गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	नियतन किये गये प्लाट	प्लाटों की संख्या जिनपर यूनिटों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है	प्लाटों की संख्या जिन पर यूनिटों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है	कैफियत
2538	1187	298	395	लगभग 250 एकड़ भूमि का विकास हो रहा है।
44	122	6	18	
40	17	9	..	
394	91	28	14	सरोजनी नगर में 150 एकड़ का आवंटन स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को किया गया।
191	294	24	28	
24	24	1	3	
107	93	8	4	25 एकड़ के 27 प्लाट उद्योग निदेशालय को उसकी सहायक इकाईयों के लिए स्थानान्तरित कर दिये गये।
209	132	..	10	75 एकड़ अविकसित भूमि एक इकाई को आवंटित की गई।
250	9	..	2	अविकसित 150 एकड़ का खन्ड इनसो आटो को आवंटित किया गया।
292	184	..	3	भूमि का एक भाग अभी भी विकास के अन्तर्गत है।
59	17	..	1	
..	..	..	..	27 एकड़ भूमि का विकास हो रहा है।

परिशिष्ट VI—समाप्त

स्थान	भूमि का कुल क्षेत्र जो कब्जे में है	क्षेत्र जिसमें विकास किया जा चुका है (एकड़ में)	नियतन के लिये भूमि का क्षेत्र	नियतन के लिये प्लाट	नियतन की गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	नियतन किये गये प्लाट	प्लाटों की संख्या जिन पर यूनिटों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है	प्लाटों की संख्या जिन पर यूनिटों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है	कैफियत
रायबरेली	366	287	169	136	132	49	1	1	30.42 एकड़ अविकसित भूमि का स्वदेशी काटन मिल्स को आवंटन किया गया। 25.40 एकड़ के 14 प्लाट प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आफ यू0 पी0 को आवंटित किये गये। 28.71 एकड़ के 18 प्लाटों को उत्तर प्रदेश उद्योग निगम को आवंटित किया गया। 2.40 एकड़ का एक प्लाट उप-स्टेशन को आवंटित किया गया। 50.00 एकड़ भूमि दोनों तरफ अविकसित पड़ी है।
झांसी	25	..	..	..	..	..	..	..	
जोड़	9936	7800	7280	3024	4280	2219	375	479	